खण्ड-225, अंक-1
सोमवार, 9 श्रावण, शक संवत् 1883
(31 जुलाई, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 225 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय--सूची

सोमवार, ३१ जुलाई, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१-४
प्रश्नोत्तर	५-२६
श्री लायकसिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा, की गिरफ्तारी की सूचना ..	२६
बद्रीनाथ--केदारनाथ मोटर-मार्ग पर बस दुर्घटनाओं के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गई) ..	२७
नियम ५२ के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में हैजे की बीमारी के संबंध में वक्तव्य की मांग	२८
उर्दू को नया स्थान प्रदान किये जाने के बारे में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग	२८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	२८-२९
कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा जनसंघ की सदस्यता ग्रहण करने की सूचना ..	२९
सोशलिस्ट पार्टी के नेता पद पर श्री रामस्वरूप वर्मा के चुनाव की सूचना	२९
वित्त विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३०
उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३०
जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (अध्याय ३) नियमावली, १९६१ (मेज पर रखी गयी)	३०
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियम (मेज पर रखे गये) ..	३०
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ (मेज पर रखी गयी)	३१
उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३१
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत (छठीं) (संशोधन) आज्ञा, १९६० (मेज पर रखी गयी) ..	३१
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	३१-३२
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत नियमावली (मेज पर रखी गयी)	३२
उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	३२

मंगलवार, १ अगस्त, १९६१

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९७–१००
प्रश्नोत्तर	१०१–१२९
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	१३०
पूर्वी अंचल में अवर्षण तथा मंत्रि-परिषद् की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	१३०
राप्ती नदी पर कैंटी ब्रिज के गिर जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	१३०
नियम ५२ के अन्तर्गत गन्ना मिल मालिकों पर किसानों के बकाया रुपये की वसूलयाबी के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग	१३०–१३१
जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य की मांग	१३१
नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	१३१
बद्रीनाथ--केदारनाथ मोटर-मार्ग पर बस दुर्घटना सम्बन्धी कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर विवाद स्थगित करने के सम्बन्ध में सूचना ..	१३२
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण से सम्बन्धित प्रस्ताव (स्वीकृत)	१३२–१३३
२५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	१३३
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	१३३
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	१३४
उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ (विचार जारी)	१३४–१४४
उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ ..	१४४–४६
उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ ..	१५६
उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	१५६–१७४
नत्थियां	१७५–१८८

बुधवार, २ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	१८९–१९३
प्रश्नोत्तर	१९३–२१२
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियम (मेज पर रखे गये) ..	२१२

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) नियमावली, १९६१ (मेज पर रखी गयी) ..	२१२-२१३
श्री बंशीधर शुक्ल द्वारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	२१३
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विभिन्न विषयों पर वक्तव्य के लिये समय निर्धारण	२१३-२१५
उर्दू को नया स्थान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग	२१५
राप्ती नदी पर कैंटी ब्रिज के गिर जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	२१५-२२१
नियम ५२ के अन्तर्गत गन्ना मिल-मालिकों पर किसानों के बकाया रुपये की वसूलयाबी के सम्बन्ध में वक्तव्य	२२१-२२५
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ (जारी)	२२५-२३३
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ (जारी) ..	२३३-२४०
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (प्रशासक की नियुक्ति) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	२४१-२४४
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	२४४-२५५
कार्यक्रम पर व्यवस्था का प्रश्न	२५५
बद्रीनाथ--केदारनाथ मार्ग पर बस दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (स्वतः समाप्त)	२५५-२७७
आगामी कार्यक्रम के बारे में सूचना	२७७
नत्थियां	२७८-२७९

शुक्रवार, ४ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	२८१-२८५
प्रश्नोत्तर	२८५-३०६
प्रश्नों के उत्तर में अत्यधिक विलम्ब की शिकायत	३०६
देहरादून के चाय बागान के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	३०७
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी ..	३०७
प्रदेश के विभिन्न भागों में हैजे की बीमारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	३०७-३१५
जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (स्थगित)	३१५
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी ..	३१५-३१७
विधान परिषद् के सदस्य-मंत्रियों के लिये सदन में पृथक् स्थान निर्धारित करने का सुझाव	३१७

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	३१७-३१८
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	३१८
क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	३१८
जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (स्थगित)	३१९
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५७-५८ के वार्षिक प्रतिवेदन पर विवाद	३१९-३३५
उर्दू को नया स्थान प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा	३३५-३६४
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	३६४
उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	३६४
सदन का आगामी कार्य-क्रम	३६५
हैजे के आंकड़ों के सम्बन्ध में शोधन वक्तव्य	३६५-३६६
नत्थियां	३६७-४२३

सोमवार, ७ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	४२५-४२९
प्रश्नोत्तर	४२९-४३९
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	४३९
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के कार्य से सम्बन्धित विभिन्न प्रतिवेदन (मेज पर रखे गये)	४३९-४४०
उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली नियमावली, १९६१ (मेज पर रखी गई)	४४०
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	४४०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	४४१-४४२
हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अनुत्तीर्ण छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	४४२-४४८
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	४४८-४५०
'ग्राम्या' अखबार में छपे लेख के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (स्थगित) ..	४५०-४५१
दर्शक-दीर्घा प्रवेश-पत्र की व्यवस्था में परिवर्तन पर आपत्ति ..	४५१
विधान परिषद् के सदस्य मंत्रियों के लिये सदन में पृथक् स्थान निर्धारित करने का सुझाव	४५१-४५५

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश पब्लिक गैम्बलिंग (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	४५५-५०१
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचार जारी)	५०१-५०५

मंगलवार, ८ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	५०७-५११
प्रश्नोत्तर	५११-५२७
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	५२७-५२८
जिला अलीगढ़ में बढ़ती हुई कत्लों की संख्या के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५२८-५३१
ग्राम ददुआ, जिला चमोली में जमीन धंसने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ का वक्तव्य	५३१-५३५
उत्तर प्रदेश द्वितीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया)	५३५
इंडियन टरपेंटाइन व रोजिन कम्पनी से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति का १९वां प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया)	५३६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (पुरःस्थापित किया गया)	५३६-५३७
अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी	५३७
इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरांत पारित)	५३७-५५६
क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९६१ (विचार जारी) ..	५५६-५८४
नत्थियां	५८५-५८९

बुधवार, ९ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	५९१-५९५
प्रश्नोत्तर	५९५-६१३
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ९ की स्वीकृति पर आपत्ति ..	६१४-६१५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें	६१५
दोहरीघाट नहर के फटने के फलस्वरूप सूखा पड़ने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१६-६१९
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अनावृष्टि के फलस्वरूप व्यापक क्षति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६१९-६२१
देहरादून के चाय बागान के मजदूरों द्वारा हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	६२१-६२२

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	६२२-६२३
अतिरिक्त अनुदान उपस्थित करने के संबंध में सूचना ..	६२३
उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ (पुरः स्थापित किया गया)	६२३-६२४
द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति का सरकारी सचिवालय से सम्बन्धित बीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	६२४
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गयी)	६२४-६२६
क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (जारी) ..	६२६-६२७
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ (जारी) ..	६२७-६४०
क्रिमिनल लाज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	६४०-६४३
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (द्वितीय) संशोधन विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित)	६४३-६७७
नत्थी	६७८-६९१

वृहस्पतिवार, १० अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	६९३-६९७
प्रश्नोत्तर	६९७-७२३
कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग के संबंध में शिकायत ..	७२४
उत्तर-प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) . ..	७२४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	७२४-७२६
लखनऊ नगरमहापालिका द्वारा कैन्टूनमेंट रोड स्थित एक मकान गिराये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	७२६-७३१
गन्ने का दाम कम करने के विषय में केन्द्रीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७३१-७३६
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (जारी) ..	७३६
विभिन्न दलों द्वारा सदन का परित्याग	७३६-७३७
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६१ (बिचारोपरान्त पारित)	७३७-७५१
उत्तर प्रदेश विधि संशोधन विधेयक, १९६१ (विचारोपरान्त पारित) ..	७५१-७६८
संबंधित मंत्री की अनुपस्थिति के कारण सदन का स्थगन ..	७६८-७६९
नत्थियां	७७०-७८३

शुक्रवार, ११ अगस्त, १९६१ ई०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	७८५-७८९
प्रश्नोत्तर	७८९-८०२
लखनऊ विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी के विरुद्ध श्री गौरीशंकर राय द्वारा की गई शिकायत के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	८०२-८०३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें (प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	८०३-८०५
विधेयकों के विलम्ब से वितरण पर आपत्ति	८०५-८०६
इंटरमीडिएट एजूकेशन (संशोधन) विधेयक के संबंध में जानकारी ..	८०६
नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत सूचनाओं को कुछ दिनों के उपरान्त कार्य-सूची में रखने पर आपत्ति	८०६-८०७
कार्य-क्रम में परिवर्तन पर आपत्ति	८०७-८१०
पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी सेवाओं में तीन साल आयु की छूट देने के संबंध में संकल्प (जारी) .. .	८१०-८५९
सदन का आगामी कार्य-क्रम	८५९
नत्थी	८६०

सोमवार, २१ अगस्त, १९६१

उपस्थित सदस्य	८६१-८६५
प्रश्नोत्तर	८६५-८८८
प्रश्नों के सम्बन्ध में आपत्ति	८८९
उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६० (संयुक्त प्रवर समिति के कार्यकाल में वृद्धि के प्रस्ताव की विधान परिषद् द्वारा स्वीकृति की सूचना)	८८९
उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८९०
मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) बिधेयक, १९६१ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	८९०
श्री बनारसीदास गौड़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचनायें	८९०
कार्ग-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	८९०-८९२
बरेली में एक रहस्यमय विदेशी जासूस की गिरफ्तारी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत दिये जाने वाले वक्तव्य के सम्बन्ध में सूचना ..	८९२

विषय	पृष्ठ-संख्या
साप्ताहिक कार्यक्रम	८९३
दोहरीघाट नहर के फटने के फलस्वरूप सूखा पड़ने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८९३-८९८
झांसी जिलान्तर्गत देवगढ़ में जैन मंदिरों में मूर्तियों के सिर काटे जाने के संबन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	८९८-९०३
१९६१-६२ के प्रथम पूरक अनुदानों के लिए मांगें (प्रस्तुत की गईं) ..	९०३
१९५७-५८ के अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (प्रस्तुत की गईं) ..	९०४
नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत विषयों के संबंध में जानकारी की मांग ..	९०४
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६० (संयुक्त प्रवर समिति का कार्य-काल बढ़ाने का संकल्प-स्वीकृत)	९०४-९१८
उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६० (विचारोपरान्त पारित)	९१८-९३७
चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने से सम्बद्ध २ अगस्त, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद	९३७-९४४
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषयों के लिये निर्धारित तिथियों की सूचना	९४४
कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की बैठक के सम्बन्ध में सूचना ..	९४४
नत्थियां	९४५-९५२

शासन

राज्यपाल

डाक्टर बूरूगुल रामकृष्ण राव

मंत्रि परिषद्

मंत्री (जो मंत्रि-मंडल के सदस्य हैं)

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल० एल० बी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, नियोजन, उद्योग, विद्युत्, शक्ति, सूचना, स्वास्थ्य एवं हरिजन कल्याण मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल० एल० बी०, विधान सभा सदस्य, न्याय, माल और सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री चरणसिंह, एम० ए०, एल० एल० बी०, विधान सभा सदस्य, गृह तथा कृषि मंत्री।

आचार्य जुगुल किशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री।

श्री हरगोविन्द सिंह, एम० ए०, एल० एल० बी०, विधान परिषद् सदस्य, वित्त मंत्री।

श्रीमती सुचेता कृपलानी, एम० ए०, विधान परिषद् सदस्य, सामूहिक योजनायें, ग्राम और लघु उद्योग तथा श्रम।

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल० एल० बी०, विधान सभा सदस्य, खाद्य मंत्री।

मंत्री (जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम० एस० सी०, पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य, आबकारी राज्य मंत्री।

श्री मंगलाप्रसाद, विधान सभा सदस्य, सहकारिता तथा संसदीय कार्यराज्य मंत्री।

श्री मुजफ्फरहसन, विधान सभा सदस्य, परिवहन राज्य मंत्री।

श्री राममूर्ति, विधान सभा सदस्य, सिंचाई राज्य मंत्री।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वास्थ्य राज्य मंत्री।

श्री अलगूराय शास्त्री, विधान परिषद् सदस्य, अर्थ और संख्या तथा वन मंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, विधान परिषद् सदस्य, स्वशासन राज्य मंत्री।

श्री गोविन्द सहाय, विधान सभा सदस्य, सहायता तथा पुनर्वासन राज्य मंत्री।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी, विधान सभा सदस्य, हरिजन कल्याण राज्य मंत्री।

श्री रऊफ जाफरी, विधान सभा सदस्य, सूचना राज्य मंत्री।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा, विधान सभा सदस्य, विद्युत् उप मंत्री।

श्रीमती प्रकाशवती सूद, विधान सभा सदस्य, समाज कल्याण उप मंत्री।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उप मंत्री।

श्री मलखानसिंह, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उप मंत्री।

श्री वसी नकवी, विधान सभा सदस्य, श्रम उप मंत्री।

श्री धर्मसिंह, विधान सभा सदस्य, चिकित्सा उप मंत्री।

श्री नवलकिशोर, विधान सभा सदस्य, गृह उप मंत्री।

श्री उदयशंकर, विधान सभा सदस्य, राजस्व उप मंत्री।

श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल, विधान सभा सदस्य, राजस्व उप मंत्री।

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

डाक्टर रामनारायण पांडेय, विधान परिषद् सदस्य, मुख्य मंत्री के सभा-सचिव।

श्री कृपा शंकर, विधान सभा सदस्य, परिवहन मंत्री के सभा-सचिव।

श्री गनेशी लाल, विधान सभा सदस्य, स्वशासन मंत्री के सभा-सचिव।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री	..	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	..	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	..	नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	..	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	..	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	..	कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री	..	बरौंसा
८	अभयराम यादव, श्री	..	जसवंतनगर
९	अमरनाथ, श्री	..	महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	..	मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती	..	अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	..	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जरीर जाफरी, श्री	..	उतरौला
१४	अली जहीर, श्री सैयद	..	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेशकुमार सिन्हा, डाक्टर	..	मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	..	भोजपुर
१७	अवधेशप्रतापसिंह श्री	..	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री,	..	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	..	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	..	झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	..	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	..	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्मशाह, श्री	..	राबर्ट्सगंज
२४	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	..	नाम निर्देशित (आंग्ल-भारतीय)
२५	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	..	सगरी
२६	इरतजा हुसैन, श्री	..	सियाना
२७	इस्तफा हुसेन, श्री	.	गोरखपुर
२८	उग्रसेन, श्री	..	सलेमपुर(पश्चिम)
२९	उदयशंकर दुबे, श्री	..	बस्ती
३०	उबैदुर्रहमान, श्री	..	बांसी (पूर्व)
३१	उमाशंकर शुक्ल, श्री	..	कानपुर शहर
३२	उल्फतसिंह, श्री	..	सहसवान
३३	ऊदल, श्री	..	कालासला
३४	एस० अहमद हसन, श्री	..	कानपुर शहर
३५	ओंकारनाथ, श्री	..	चुनार
३६	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	..	शाहाबाद
३७	कमरुद्दीन, श्री	..	बुधना
३८	कमलकुमारी गोईन्दी, कुमारी	..	करछना
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	..	चन्दौली

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले	.	मुवायां
४१	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छन्नन गुरु	..	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याणराय, श्री	..	शाहाबाद
४३	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	..	महाइच
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री	..	कासगंज
४५	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	..	कादीपुर
४६	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	..	सुल्तानपुर
४७	केशभान राय, श्री	..	मगहर
४८	केशव पांडेय, श्री	..	मनीराम
४९	केशवराम, श्री	..	बिसौली
५०	कैलाशकुमार सिंह, श्री	..	इस्लामनगर
५१	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	..	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५२	कैलाशप्रकाश, श्री	..	मेरठ शहर
५३	कैलाशवती, श्रीमती	..	छिल्लुपुर
५४	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	..	छिबरामऊ
५५	कृपाशंकर, श्री	..	नगर
५६	खजानसिंह, चौधरी	..	उन्नाव
५७	खमानीसिंह, डाक्टर	..	मुरादाबाद (देहात)
५८	खयालीराम, श्री	..	मोहनलालगंज
५९	खुशीराम, श्री	..	पिथौरागढ़
६०	खूबसिंह, श्री	..	धामपुर
६१	गंगाधर जाटव, श्री	..	एतमादपुर
६२	गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)	..	गोंडा (दक्षिण)
६३	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	..	एटा
६४	गंगाप्रसाद सिंह, श्री	..	रसरा
६५	गजेंद्रसिंह, श्री	..	बिधुना
६६	गज्जूराम, श्री	..	ललितपुर
६७	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	..	बांसगांव
६८	गनेशचन्द्र काछी, श्री	..	भोगांव
६९	गनेशीलाल चौधरी, श्री	..	बिस्वां
७०	गयाप्रसाद, श्री	..	कुंडा
७१	गयाबख्शसिंह, श्री	..	इसौली
७२	गयूर अली खां, श्री	..	भवन
७३	गरीबदास, श्री	..	कालपी
७४	गिरधारीलाल, श्री	..	धामपुर
७५	गुप्तारसिंह, श्री	..	सरेनी
७६	गुरुप्रसादसिंह, श्री	..	मुसाफिरखाना
७७	गुलाबसिंह, श्री	..	मसूरी
७८	गेंदादेवी, श्रीमती	..	खलीलाबाद
७९	गेंदासिंह, श्री	..	पडरौना (पूर्व)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
८०	गोकुलप्रसाद, श्री	..	चायल
८१	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	..	नारायनी
८२	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	..	जालौन
८३	गोविन्द सहाय, श्री	..	नगीना
८४	गोविन्दसिंह विष्ट, श्री	..	अल्मोड़ा
८५	गौरीराम गुप्त, श्री	..	फरेंदा (पश्चिम)
८६	गौरीशंकर राय, श्री	..	बलिया
८७	घनश्याम डिमरी, श्री	..	बद्रीनाथ
८८	घासीराम जाटव, श्री	..	भरथना
८९	चन्द्रजीत यादव, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना
९०	चन्द्रदेव, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९१	चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	..	निजामाबाद
९२	चन्द्रभानु गुप्त, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	..	बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	..	बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	..	बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री	..	कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	..	कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री	..	खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	...	आगरा शहर
१०२	छेदीलाल, श्री	..	श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	..	सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	..	हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री	.	बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री	..	मोहम्मदी
१०७	जगदीशप्रसाद, श्री	..	हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	..	बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	..	सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथप्रसाद, श्री	.	धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	..	फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री	.	करवी
११३	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	..	गंगा सलाण
११४	जगवीरसिंह, श्री	.	अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री	..	गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर	..	हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री	..	घिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	..	टांडा
११९	जरगाम हैदर, श्री सैयद	..	बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री	..	मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर शहर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२२	जागेश्वर, श्री	..	किशनपुर
१२३	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	कांठ
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	..	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	..	मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	..	घाटमपुर
१२७	झारखण्डे राय, श्री	..	घोसी
१२८	टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री	..	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	..	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	..	सादाबाद
१३१	गर्रीसिंह, श्री	..	राठ
१३२	डूंताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	..	मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	..	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	..	लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री	..	लखनऊ शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस० जी०	..	कानपुर शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री	..	शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	..	बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी	..	नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	..	बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की
१४५	दीपंकर, आचार्य	..	बड़ौत
१४६	दीवनारायण मणि त्रिपाठी, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
१४७	दुर्योधन, श्री	..	महाराजगंज
१४८	देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा शहर
१४९	देवदत्तसिंह, श्री	..	टप्पल
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	..	जमौर
१५१	देवराम, श्री	..	शादियाबाद
१५२	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	..	अकबरपुर
१५३	द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर
१५४	द्वारिकाप्रसाद, श्री	..	कन्नौज
१५५	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेन्दा (पूर्व)
१५६	धनीराम, श्री	..	लालगंज
१५७	धनुषधारी पांडेय, श्री	..	महुली
१५८	धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	सिरौली
१५९	धर्मपालसिंह, श्री	..	तुलसीपुर
१६०	धर्मसिंह, श्री	..	अनूपशहर
१६१	नत्थाराम रावत, श्री	..	बाराबंकी
१६२	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	..	फरीदपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१६३	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	करहल
१६४	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१६५	नन्दराम, श्री	..	कुण्डा
१६६	नरदेवसिंह दतियानवी, श्री	..	चांदपुर
१६७	नरेन्द्रसिंह भण्डारी, श्री	..	केदारनाथ
१६८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़
१६९	नवलकिशोर, श्री	..	आंवला
१७०	नागेश्वरप्रसाद, श्री	..	गरवारा
१७१	नारायणदत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल
१७२	नारायणदास पासी, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
१७३	निरंजनसिंह, श्री	..	पीलीभीत
१७४	नेकराम शर्मा, श्री	..	अतरौली
१७५	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	..	अतरौलिया
१७६	पब्बरराम, श्री	..	गाजीपुर
१७७	परमानन्द सिनहा, श्री	..	सोरांव (पश्चिम)
१७८	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	..	पुर्वा
१७९	पहलवानसिंह, चौधरी,	..	बांदा
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	..	मेरठ (छावनी)
१८१	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	..	फखरपुर
१८२	प्रतापभानप्रकाश सिंह, श्री	..	लहरपुर
१८३	प्रतापसिंह, श्री	..	टनकपुर
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	..	लम्भुआ
१८५	प्रभुदयाल, श्री	...	बानगंगा (पश्चिम)
१८६	फतेहसिंह राणा, श्री	..	सरधना
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री	..	श्रीनगर
१८८	बदलूराम, श्री	..	बहराइच (दक्षिण)
१८९	बलदेवसिंह, श्री	..	महदेवा
१९०	बलदेवसिंह आर्य, श्री	..	शाहाबाद
१९१	बसन्तलाल, श्री	..	लखनऊ (छावनी)
१९२	बादामसिंह, श्री	..	शिकारपुर
१९३	बाबूराम, श्री	..	भोजीपुरा
१९४	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	..	प्रतापगंज
१९५	बालकराम, श्री	..	तिलहर
१९६	बालेश्वर प्रसादसिंह श्री	..	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९७	बिन्दुमती दास श्रीमती	..	प्रतापगंज
१९८	बिशम्बरसिंह, श्री	..	हस्तिनापुर
१९९	बिहारीलाल, श्री	..	बीसलपुर
२००	बुलाकीराम, श्री	..	हरदोई
२०१	बुद्धीलाल, श्री	..	नानपारा
२०२	बद्धोसिंह, श्री	...	बहजोई
२०३	बृजबासी लाल, श्री	...	बीकापुर (पश्चिम)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०४	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	...	बिल्हौर
२०५	बेचनराम, श्री	...	ज्ञानपुर
२०६	बेचनराम गुप्त, श्री	..	ज्ञानपुर
२०७	बेनीबाई, श्रीमती	..	मऊ
२०८	बैजूराम, श्री	..	सिधौली
२०९	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
२१०	ब्रजभूषणशरण, श्री	..	देहरादून
२११	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर शहर
२१२	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	..	भावापुर
२१३	भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१४	भगवतीसिंह विशारद, श्री	..	भगवन्तनगर
२१५	भगवतीप्रसाद वर्मा, श्री	..	बाराबंकी
२१६	भजनलाल, श्री	..	औरैया
२१७	भीखालाल, श्री	..	हसनगंज
२१८	भीमसेन, श्री	..	खुर्जा
२१९	भुवनेशभूषण शर्मा, श्री	...	इटावा
२२०	भूपकिशोर, श्री	...	अलीगंज
२२१	मंगलाप्रसाद, श्री	..	मेजा
२२२	मंजूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर
२२३	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	..	नौगढ़
२२४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	...	अमीसन
२२५	मदन पांडेय, श्री	..	तिलपुर
२२६	मदनमोहन, श्री	.	फैजाबाद
२२७	मन्नालाल, श्री	..	मोहमदी
२२८	मलखानसिंह, श्री	..	सिकन्दराराव
२२९	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	मैनपुरी
२३०	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	..	दसना
२३१	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	...	स्वार टांडा
२३२	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)		मुजफ्फराबाद
२३३	महमूद हुसैन खां, श्री	..	सम्भल
२३४	महादेवप्रसाद, श्री	..	फखरपुर
२३५	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	..	केवाई
२३६	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	लखनऊ शहर (मध्य)
२३७	महीलाल, श्री	..	बिलारी
२३८	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	..	वाह
२३९	महेशसिंह, श्री	..	हरदोई
२४०	माताप्रसाद, श्री	..	शाहगंज
२४१	मानधातासिंह, श्री	..	कोपाचीत
२४२	मिहरबानसिंह, श्री	.	भरथना
२४३	मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री	.	रुदौली
२४४	मुक्तिनाथ राय, श्री	..	गोपालपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२४५	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल
२४६	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	..	बीसल
२४७	मुबारक अली खां, श्री	..	उसेहट
२४८	मुरलीधर, श्री	..	माहुल
२४९	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर
२५०	मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री	..	सफीपुर
२५१	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	वाराणसी शहर (उत्तर)
२५२	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर)
२५३	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	बानगंगा (पूर्व)
२५४	मुहम्मद हुसैन, श्री	..	बरेली छावनी
२५५	मूलचन्द, श्री	..	मिसरिख
२५६	मोतीलाल अवस्थी, श्री	..	कानपुर (देहात)
२५७	मोहनलाल, श्री	..	महोबा
२५८	मोहनलाल गौतम, श्री	..	कोयल
२५९	मोहनलाल वर्मा, श्री	..	संडीला
२६०	मोहनसिंह मेहता, श्री	..	दानपुर
२६१	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	..	रायबरेली (उत्तर)
२६२	यमुनासिंह, श्री	..	शादियाबाद
२६३	यशपालसिंह, श्री	..	देवबन्द
२६४	यशोदादेवी, श्रीमती	..	बांसगांव
२६५	यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा	..	जौनपुर
२६६	रऊफ जाफरी, श्री	..	मछलीशहर
२६७	रघुनाथसहाय यादव, श्री	..	किशनपुर
२६८	रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री उपनाम लाल साहब	..	सादुल्लानगर
२६९	रघुराज सिंह चौधरी, श्री	..	बुलन्दशहर
२७०	रघुवीरराम, श्री	..	मोहम्मदाबाद
२७१	रघुवीरसिंह, श्री (एटा)	..	जलेसर
२७२	रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)	..	बागपत
२७३	रणबहादुरसिंह, श्री	..	हरैया (पश्चिम)
२७४	रमाकांतसिंह, श्री	..	अमेठी
२७५	रमानाथ खैरा, श्री	..	ललितपुर
२७६	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	..	बरसाथी
२७७	राघवराम पांडेय, श्री	..	गोंडा (दक्षिण)
२७८	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	..	मलकापुर
२७९	राजकिशोर राव, श्री	..	इकौना
२८०	राजदेव उपाध्याय, श्री	..	सिधुवाजोबना
२८१	राजनारायण, श्री	..	कसबरसरकारी
२८२	राजनारायण सिंह, श्री	..	अहरौरा
२८३	राजबिहारी सिंह, श्री	..	कसवर राजा
२८४	राजाराम शर्मा, श्री	..	खलीलाबाद

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२८५	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	..	डोमरियागंज (उत्तर)
२८६	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	..	मौदहा
२८७	राजेन्द्रदत्त, श्री	..	शिकारपुर
२८८	राजेन्द्रसिंह, श्री	..	गोंडवा
२८९	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	..	शमसाबाद
२९०	रामअधार तिवारी, श्री	..	प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९१	राम अभिलाख, श्री	..	गोंडा (उत्तर)
२९२	रामकिंकर, श्री	..	पट्टी
२९३	रामकुमार वैद्य, श्री	..	अमरोहा
२९४	रामकृष्ण जैसवार, श्री	..	कंतित
२९५	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	..	फर्रुखाबाद
२९६	रामचन्द्र उनियाल, श्री	..	रवांईं
२९७	रामचन्द्र विकल, श्री	..	सिकन्दराबाद
२९८	रामजीलाल सहायक, श्री	..	सरधना
२९९	रामजीसहाय, श्री	..	सिलहट
३००	रामदास आर्य, श्री	..	जानसठ
३०१	रामदीन, श्री	..	करहल
३०२	रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर
३०३	रामनाथ पाठक, श्री	..	दोआबा
३०४	रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	मुरहुरपुर
३०५	रामपाल त्रिवेदी, श्री	..	मलीहाबाद
३०६	रामप्रसाद, श्री	..	सलोन
३०७	रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	कोयल
३०८	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैंसडाउन
३०९	रामबली, श्री	..	मुसाफिरखाना
३१०	राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी
३११	रामरतनप्रसाद, श्री	..	रसरा
३१२	रामरती देवी, श्रीमती	..	अकबरपुर
३१३	रामलक्षण तिवारी, श्री	..	बांसडीह (पूर्व)
३१४	रामलखन, श्री (वाराणसी)	..	चन्दौली
३१५	रामलखन मिश्र, श्री	..	बांसी (पश्चिम)
३१६	रामलखन सिंह, श्री	..	रारी
३१७	रामलाल, श्री	..	नगर
३१८	रामवचन यादव, श्री	..	माहुल
३१९	रामशरण यादव, श्री	..	मोहनलालगंज
३२०	राम समझावन, श्री	..	केराकत
३२१	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	..	एतमादपुर
३२२	रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	नत्थूपुर
३२३	रामसूरत प्रसाद, श्री	..	पिपराइच
३२४	रामस्वरूप यादव, श्री	..	जसराना
३२५	रामस्वरूप वर्मा, श्री	..	भोगनीपुर

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३२६	रामहेतसिंह, श्री	..	छाता
३२७	रामायणराय, श्री	..	पडरौना (दक्षिण)
३२८	रामेश्वरप्रसाद, श्री	.	बछरावां
३२९	रुकनुद्दीन खां, श्री	..	कोंहडौर
३३०	रूमसिंह, श्री	..	खेरा बजेहरा
३३१	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	काशीपुर
३३२	लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	गरोथा
३३३	लक्ष्मीनारायण, श्री	..	पहाड़पुर
३३४	लक्ष्मीनारायण वसल, श्री	..	फतेहाबाद
३३५	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट
३३६	लायकसिंह, चौधरी	..	शिकोहाबाद
३३७	लालबहादुर, श्री	..	शिवपुर
३३८	लालबहादुरसिंह, श्री	..	केराकत
३३९	लुत्फअली खां, श्री	..	हापुड़
३४०	लोकनाथसिंह, श्री	..	कटेहर
३४१	वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री	..	हैदरगढ़
३४२	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	जमानिया
३४३	वसी नकवी, श्री	..	रोखा
३४४	वासुदेव दीक्षित, श्री	..	खागा
३४५	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	..	मोदीनगर
३४६	विजयशंकर सिंह, श्री	..	मुहम्मदाबाद
३४७	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	..	शाहाबाद
३४८	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	..	देवप्रयाग
३४९	विशालसिंह, श्री	..	भिटौली
३५०	विश्रामराय, श्री	..	आजमगढ़
३५१	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	..	करांद
३५२	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	..	फतेहपुर-सीकरी
३५३	वीरसेन, श्री	..	हापुड़
३५४	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना
३५५	वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी
३५६	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	..	महोबा
३५७	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर
३५८	शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर
३५९	शकुन्तला देवी, श्रीमती	..	हरौरा
३६०	शब्बीर हसन, श्री	..	खजुहा
३६१	शमसुल्ल इस्लाम, श्री	..	निधपुर
३६२	शम्भुदयाल, श्री	..	संडीला
३६३	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	हरद्वार
३६४	शिवगोपाल तिवारी, श्री	..	सफीपुर
३६५	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	..	सिधुवाजोबना
३६६	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	..	खीरी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३६७	शिवमंगलसिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३६८	शिवमूर्ति, श्री	..	फूलपुर
३६९	शिवराजबलीसिंह, श्री	..	फतेहपुर
३७०	शिवराजबहादुर, श्री	..	नवाबगंज
३७१	शिवराजसिंह यादव, श्री	..	बिसौली
३७२	शिवराम, श्री	..	अफजलगढ़
३७३	शिवराम पांडेय, श्री	..	डेरापुर
३७४	शिववचन राव, श्री	..	सलेमपुर (दक्षिण)
३७५	शिवशंकरसिंह, श्री	..	डलमऊ
३७६	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	..	इकौना
३७७	शीतलाप्रसाद, श्री	.	तरबगंज
३७८	शोभनाथ, श्री	..	राबर्ट्सगंज
३७९	श्यामलाल, श्री	..	माट
३८०	श्यामलाल यादव, श्री	..	मुगलसराय
३८१	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	..	किथोर
३८२	श्रीकृष्ण गोयल, श्री	..	उझानी
३८३	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	खैरागढ़
३८४	श्रीनाथ, श्री	..	मोहम्मदाबाद गोहना
३८५	श्रीनाथ भार्गव, श्री	..	मथुरा
३८६	श्रीनिवास, श्री	..	गांगिरी
३८७	श्रीपालसिंह, कुंवर	..	शाहगंज
३८८	संग्रामसिंह, श्री	..	सोरांव (पूर्व)
३८९	सईद अहमद अन्सारी, श्री	..	ज्वालापुर
३९०	सजीवनलाल, श्री	..	हसनगंज
३९१	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	..	दादरी
३९२	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९३	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	..	सरजू
३९४	सियादुलारी, श्रीमती	..	करवी
३९५	सीताराम, डाक्टर	..	सिलहट
३९६	सीताराम शुक्ल, श्री	..	हर्रैया (पूर्व)
३९७	सुक्खनलाल, श्री	..	हसनपुर
३९८	सुखरानी, श्रीमती	..	फतेहपुर
३९९	सुखरामदास, श्री	..	टांडा
४००	सुखलाल, श्री	..	औरइया
४०१	सुखीराम भारतीय, श्री	..	फूलपुर
४०२	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	..	मऊ
४०३	सुनीता चौहान, श्रीमती	..	सलोन
४०४	सुन्दरलाल, श्री	..	फरीदपुर
४०५	सुरथबहादुरशाह, श्री	..	निघासन
४०६	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर
४०७	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	..	पुवायां

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४०८	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	..	बिसवां
४०९	सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज
४१०	सूरतचन्द रमोला, श्री	..	टेहरी
४११	सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा
४१२	सोहनलाल धुसिया, श्री	..	बांसी (पूर्व)
४१३	हमीदुल्ला खां, श्री	..	चारदा
४१४	हरकेशबहादुर, श्री	..	पट्टी
४१५	हरदयालसिंह, श्री	..	जलालाबाद
४१६	हरदयालसिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४१७	हरदेवसिंह, श्री	..	देवबन्द
४१८	हरिदत्त कांडपाल, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
४१९	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	..	दातागंज
४२०	हरिहरबख्शसिंह, श्री	..	पाली
४२१	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर
४२२	हरीसिंह, श्री	..	किथौर
४२३	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	..	मुरादाबाद शहर
४२४	हिम्मतसिंह, श्री	..	डिवाई
४२५	हुकुमसिंहविसेन, श्री	..	कैसरगंज
४२६	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	मंझनपुर
४२७	होरीलाल यादव, श्री	..	कन्नौज
४२८	[रिक्त]	..	इगलास
४२९	[रिक्त]	..	ठाकुरद्वारा
४३०	[रिक्त]	..	बबेरू
४३१	[रिक्त]	..	लखनऊ (छावनी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल–एल० बी०

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस–सी० ।

सचिव, विधान मंडल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल–एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल–एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।
श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।
श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ३१ जुलाई, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४१

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेश चन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कमता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह,डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीरामगुप्त, श्री
गौरी शंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री

चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातारामचौधरी, श्री
दीनदयालुकरुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिका प्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री

बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भज्जूलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनपांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेंद्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री

रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वज्रंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन , श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भु दयाल , श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामलाल , श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यअली पांडेय, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

स्वशासन राज्य मन्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा, वन राज्य मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ३१ जुलाई, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में डी०ए० वी० कालेज के निकट जमीन धसने से दुर्घटना

**१—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत २७ जून को डी० ए० वी० कालेज, लखनऊ के पास पाइप लगाते समय ५ मजदूर मिट्टी धसक जाने से दब कर मर गये?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशी लाल चौधरी)—जी हां, इस प्रकार की एक दुर्घटना हुई थी जिसमें चार मजदूर मर गये थे तथा एक दबने के पश्चात् जीवित निकाल लिया गया था।

**२—श्री झारखंडेराय—यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—नगर महापालिका ने ठेकेदार को लापरवाही तथा रात के समय बिना आज्ञा व बिना सूचना कार्य जारी करवाने के लिये अपराधी पाया है। गत २७ जून को मामला पुलिस को सौंप दिया गया और आई० पी० सी० की दफ़ा ३०४-अ के अनुसार ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही हो रही है। मुकदमे की पहली तारीख २५ जुलाई को पड़ चुकी है। इसके अतिरिक्त ओवरसियर भी मुअत्तल कर दिया गया है तथा इसके विरुद्ध जांच हो रही है।

मृतकों के आश्रितों के सहायतार्थ सरकार ने ५०० रुपये का अनुदान दिया है। यह भी आशा है कि कोट का फैसला हो जाने पर Workmens' Compensation Act के अन्तर्गत ठेकेदार से हर्जाना लिया जा सकेगा।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जांच-पड़ताल के दौरान में इस बात का पता चला कि यह जमीन क्यों एकाएक धसक कर नीचे गिर पड़ी?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—महानगरपालिका ने इसकी जांच करायी तो उससे यह मालूम हुआ कि बिना ओवरसियर की इजाजत के जो काम हो रहा था उससे आगे जमीन पोली थी और इस वजह से वह जमीन धसक गयी।

श्री झारखंडेराय—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या जांच पड़ताल में इस बात का भी पता चला है कि जब गड्ढे खोदे गये तो गड्ढे के साथ पटरी से लग कर जमीन के धंसने से रोकने का उपाय जो हमेशा हुआ करता है, वह इस मामले में बिलकुल नहीं किया गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—रिपोर्ट में ऐसी बात नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि पहले भी जब वहां मिट्टी खोदी जा रही थी तो इस बात की शिकायत मजदूरों की ओर से की गयी थी कि कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही पहले कर ली जाय ताकि जमीन की धंसक न होने पावे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—पाइप लगाने से पहले क्या इस बात के लिए भूमि का सर्वेक्षण किसी इंजीनियर से करा लिया गया था जिससे यह मालूम हो सके कि यहां यह पाइप लगाना ठीक होगा या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, सर्वेक्षण करा लिया गया था और वहां ओवरसियर तैनात था कि वह बराबर देखता रहे कि ठीक-ठीक काम होता है। दुर्भाग्य से उस रोज ओवर-सियर के चले जाने के बाद यह काम हुआ और यह दुर्घटना हो गयी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना के घटने के कितनी देर बाद नगरमहापालिका के कर्मचारियों को इस बात का समाचार प्राप्त हुआ और घटना घटने के कितनी देर बाद वे वहां पहुंचे तथा उनके द्वारा उनको कोई सहायता पहुंचायी जा सकी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—घटना के थोडी देर बाद जब मुहल्ले वालों ने उनमें से एक आदमी को बचाया तो उसके बचाने के बाद ही थोड़ी देर में सूचना मिलने पर वहां के लोगों ने पहुंच कर उस काम को बन्द करा दिया। ठेकेदार स्वयं चला गया था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

प्रारम्भिक तथा जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को वेतन देर में मिलने की शिकायत

*१—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया) तथा **श्री रामायणराय**—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री १० अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के क्रम में कृपा कर बतायेंगे कि गत एक वर्ष के भीतर किस जिले ने कितने अध्यापकों का वेतन ठीक समय से दे दिया ?

*२—जिस जिले में एक महीना से अधिक वेतन बकाया रहा है उसका कारण क्या है ?

*३—क्या सरकार बकाया रकम का सूद दिलाने की कोई व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, हम पहचान नहीं पा रहे हैं, यह बता दिया जाय कि कौन-कौन नये मिनिस्टर हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष—जब आप मिनिस्टरों को नहीं पहचानते तो फिर सदस्यों को क्या पहचानेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—बहुत से चुनकर नहीं आये हैं और मिनिस्टर बना दिये गये हैं, उनको कैसे पहचानें ? (हंसी)

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में आप देखें केवल २ बातें पूछी गई थीं, एक तो यह कि क्या यह सही है कि एक वर्ष में किस जिले ने कितने अध्यापकों का वेतन समय से दिया और दूसरा यह था कि जिस जिले में एक मास से अधिक वेतन बाक़ी रहा उसका कारण क्या है। तो क्या सरकार को जानकारी हो चुकी है कि बहुत सी जगह एक मास से अधिक का वेतन बाक़ी रहा है ? और अगर इस का पता चल गया है तो क्या अभी उसके कारण का पता सरकार चला रही है या किस चीज की सूचना वह एकत्र कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय सदस्य ने तमाम जिलों के बारे में पूछा था। इत्तफाक से कुछ जिलों से अभी सूचना नहीं आई है और कुछ से अधूरी आई है, ज्यादातर जिलों से तो आ गई है। कुछ मामले ऐसे भी हैं कि जिनमें एक मास से ज्यादा का वेतन बाकी है, लेकिन ऐसे कम मामले हैं।

श्री गेंदासिंह—यह जो बकाया है वह काफी बड़े पैमाने पर बाकी है, तो क्या यह सही है कि उसका कारण यह है कि सरकार अपने अनुदान की रकम नियमित रूप से नहीं देती? क्या नियमित रूप से सरकार की तरफ से अनुदान दिया गया या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आंशिक रूप में तो माननीय सदस्य की बात सही है, लेकिन जो रकम बाक़ी है वह कोई ज्यादा नहीं है। जब सारे प्रदेश का आप एवरेज लगायेंगे तो थोड़े ही कॉलेज में ऐसी बकाया है लेकिन उस का अकेले यही कारण नहीं है कि समय से ग्रान्ट न मिलने से समय से वेतन नहीं मिला, यह तो कई कारणों में से एक कारण हो सकता है, कहीं अध्यापक छुट्टी चले गये, कहीं मुअत्तल रहे, और चीजें भी हुईं जिनके कारण यह देरी हुई। उन में से एक कारण यह भी है।

[३१ जुलाई, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तालबेहट की कर्जा सोसाइटियों के बकायेदार सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही

*१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तालबेहट, जिला झांसी की किन-किन कर्जा सोसाइटियों के सदस्यों पर जनवरी, १९६१ तक कितना-कितना रुपया बकाया था और कब से?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८५ पर।)

*२—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त बकायेदार सोसाइटियों में से किन-किन सोसाइटियों के सदस्यों पर बकाया अदा न करने के कारण कितना कितना जुर्माना किया गया है और किस तारीख में?

श्री रामस्वरूप यादव—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६ पर)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो सूची दी गई है उसके अनुसार ताजग्राम सोसाइटी पर १९५६–५७ और १९५७–५८ का केवल १५६ रुपया बाक़ी था और दूसरी सोसाइटियों पर १९५६–५७ और ९१५७–५८ में ३,००० रुपया बाक़ी था? यदि हां, तो केवल ताजग्राम सोसाइटी के सदस्यों पर ही कार्यवाही करने का कारण क्या है?

श्री रामस्वरूप यादव—बकाया के आंकड़े तो स्वयं हमने दे ही दिये है और उस के लिए हर एक सोसाइटी अपनी आम बैठक में कार्यवाही करती है और सालसी की कार्यवाही तो उनके खिलाफ भी हो रही है। हरिजन नं० १ तालबेहट में १४ बकायादार हैं और उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही की जा रही है, हरिजन नं० २ में ६ बकायादार हैं, ४ पर डिक्री हो गई है और २ के मामलों में अभी फैसला नहीं हुआ है। सहकारी समिति तालबेहटा खास में १२ बकायादार हैं, ८ के विरुद्ध कार्यवाही हो गई है और ४ के विरुद्ध हो रही है और सहकारी समिति तालबेहटा चौवियाना में २७ बकायादार हैं जिनमें से २३ पर कार्यवाही हो गई है और ४ पर सालसी की कार्यवाही हो रही है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मन्त्री जी को जानकारी है कि उक्त ए० डी० ओ० के विरुद्ध वहां की मंडल कांग्रेस कमेटी ने भ्रष्टाचार की शिकायत की है और इसके कारण १५६ रुपया की बकाया होने पर उन्होंने मंडल कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के ऊपर ३१२ रुपया जुर्माना किया है?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—इसकी इत्तिला तो नहीं है कि जो मंडल कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं उन्हीं पर जुर्माना किया गया है।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या मंत्री जी इस बात की जांच करा के उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करायेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—सवाल यह है कि उन्होंने सोसाइटी के बाई-लाज के मुताबक ही किया है। बाई-लाज में वह १०० रुपया तक जुर्माना कर सकते हैं, वही तय करते हैं कि किस वजह से यह हुआ है, किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है या क्यों हुआ है। उन्होंने बाई-लाज के मुताबिक ही किया है, उनके खिलाफ़ नहीं किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इस बात को देखते हुए कि जिन लोगों पर जुर्माना हुआ है उन्हीं लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें की थीं और दूसरे यह देखते हुए कि जितना बाकी था उससे ज्यादा जुर्माना किया गया है, मंत्री जी इन अधिकारियों के खिलाफ जांच करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—चीजें बहुत स्पष्ट हैं, कोई जांच का सवाल नहीं पैदा होता।

नन्दगांव की नलकूप तथा वाटर वर्क्स योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब

*३—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नन्दगांव, जिला मथुरा में जो नलकूप तथा वाटर वर्क्स सो स्कीम चल रही थी उस पर कब तक कार्य शुरू हो जायगा तथा इतना समय लगने का क्या कारण था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्नोल्लिखित योजना नियोजन विभाग की है परन्तु इसको कार्यान्वित करने का कार्य स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के सुपुर्द किया गया है। योजना पर कार्य शुरू हो गया है परन्तु इसके लागत का पूर्ण धन न प्राप्त होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ। अपेक्षित धन मिल जाने पर योजना शीघ्र कार्यान्वित हो सकती है।

गाजियाबाद नगरपालिका के सलेज फार्म की नीलामी के विरुद्ध शिकायत

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको जिला मेरठ की गाजियाबाद नगरपालिका ने सलेज फार्म का जो नीलाम २३ सितम्बर, १९६० को किया था उसके सम्बन्ध में कोई लिखित शिकायत १६ जनवरी, १९६१ को दी गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां।

शिकायत पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह ज्ञात है कि इसी सम्बन्ध में १९६० के सूट सं० ८३७ में स्टे आर्डर को वैकेट करते हुए मुंसिफ गाजियाबाद ने अपने फैसले में लिखा है—

"Under what circumstances defendant no. 1 got it, it may be best known to defendant no. 1 or the Municipal Board. But on the face of it the action of the Board in giving auction to defendant no. 1 does not appear to be above board. I have no hesitation in making the remark that there was or may be collusion between Municipal Board and defendant no. 1" ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां, लेकिन मुंसिफ के यह रिमार्क उपयुक्त नहीं प्रतीत होते, क्योंकि नगरपालिका ने सलेज फार्म के नीलाम में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की थी

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस व्यक्ति की बोली थी और जिससे एक-चौथाई रुपया भी जमा करा लिया गया था उसको ठेका न दे कर दूसरे आदमी को क्यों दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बात यों है कि जो माननीय सदस्य की इत्तला है वह कुछ अधूरी है। जो नीलाम हुआ था उसमें यह पहले ही कह दिया गया था कि पहले एक-एक प्लाट अलग-अलग नीलाम होगा और फिर इकट्ठा होगा। अलग-अलग जो प्लाट नीलाम हुए तो इनकी बोली कुछ प्लाट की अधिक थी लेकिन जो इकट्ठे नीलाम हुए तो इनमें से कुछ लोग गए, उन्होंने बोली बोली, वह कम रही। जिसकी ज्यादा बोली आई उसी को दिया गया और उसी के नाम सारा प्लाट ट्रांसफर हुआ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब जुडीशियरी के लोग किसी अफसर के या किसी और के ऊपर कोई रिमार्क देते हैं तो कौन इसका फैसला करता है कि जुडिशियरी का यह रिमार्क उचित है या नहीं ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह फैसले का सवाल तो अपने-अपने ऊपर है। लोग अपनी-अपनी राय देते हैं। लोग फैसला करते हैं कि कौन सही है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नीलाम पहले हुए थे उनकी एक-चौथाई रकम जमा करा ली गई थी और उसके बाद फिर दोबारा नीलाम किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, लेकिन नीलाम तभी पूरा हुआ जब कि पूरे प्लाट्स का नीलाम हो गया और उसका भी एक-चौथाई जमा हो गया।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब पूरे प्लाट्स एक साथ नीलाम करने में जो बोली बोली गयी उसके अनुसार ही यह नीलाम करना था तो अलग-अलग नीलाम की क्या आवश्यकता पड़ी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह इस कारण होता है कि अलग-अलग प्लाट्स की जब बोली होती है तो हिसाब लगा लिया जाता है, अगर इससे रुपया ज्यादा आएगा तो इस हिसाब से दिया जाएगा और अगर इकट्ठे बेचने में ज्यादा आएगा तो उस हिसाब से दिया जाएगा।

एटा नगरपालिका में गबन की जांच

*६—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या मार्च, १९६१ में एटा नगरपालिका में काफी बड़ी धनराशि के गबन किये जाने की सूचना उसे मिली है ? यदि हां, तो कितने रुपयों की तथा किस-किस मद में गबन हुआ है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मामले की सूचना सरकार को कब और किसके द्वारा मिली तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सत्य है कि एटा नगरपालिका के अध्यक्ष ने मार्च, १९६१ में रिपोर्ट की थी कि ५० हजार रुपये गबन कर लिए गये हैं और इसी आधार पर वहां के एक्जीक्यूटिव आफिसर, खजांची तथा उप-खजांची को मुअत्तल किया गया था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कितने रुपये का गबन था, यह तो नहीं है लेकिन यह वाकया है कि इस तरह की रिपोर्ट थी और उसकी जांच कराई गई थी।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो लोग मुअत्तल किये गये थे—गोपाल स्वरूप माथुर, अनोखेलाल शर्मा, मकसूद हसन—ये लोग फिर बहाल कर दिये गये या इनके ऊपर जुर्म साबित हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने अभी कहा कि हां कुछ ऐसी बात थी और कुछ लोग मुअत्तल किये गये थे और पहले कहा कि ऐसी बात नहीं है, तो जब गबन नहीं था तो क्यों मुअत्तल किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा नहीं कहा। शिकायत थी मगर जिस तारीख की बात बतलायी गई उस तारीख में नहीं थी। पुरानी तारीखों की थी। जो जवाब है 'नहीं' में वह इसलिए है कि जिस तारीख का इसमें सवाल किया गया है उस तारीख में गबन नहीं था बल्कि पुराना मामला था, उसी की जांच के बारे में मैंने जवाब दिया।

श्री देवनारायण भारतीय—किसी भी तारीख में हुआ हो, कोई गबन हुआ कि नहीं ? और यदि हुआ तो कितने का हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी जवाब दिया गया जो पहले शिकायतें थीं उनमें कुछ लोग मुअत्तल किये गये थे, कार्यवाही हो रही है, जांच-पड़ताल हो रही है और जो गबन हुआ था, या जो गबन की शिकायत थी वह पहले की तारीख की थी, उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री उग्रसेन—कितने का गबन हुआ इसका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—इसके लिए नोटिस चाहिए, वह कह तो रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सत्य है कि सरकार के शिक्षा विभाग का १०,००० रु० इस घपले में फंस गया था जिसे वार्षिक शिक्षानुदान १४,००० रु० में से काट कर पूरा किया गया जिससे उक्त नगरपालिका को केवल ४,००० रु० ही मिला.....

श्री अध्यक्ष—आप तो बहुत लम्बा स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक-एक सवाल कीजिये।

कुंवर श्रीपालसिंह—जो रकम गबन हुई है उसमें सरकार की तरफ से जो शिक्षानुदान दिया जाता है उसमें के भी १०,००० रु० शामिल है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस के लिए नोटिस की जरूरत है।

श्री रामायणराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस गबन की सूचना उन्हें कब प्राप्त हुई और उसके लिये कार्यवाही कब उन्होंने आरम्भ की ?

श्री चतुर्भुज सर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये।

सहकारी पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केन्द्र, बिलारी

*८—आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—क्या यह सही है कि सहकारी पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिये बिलारी (मुरादाबाद) में जो प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है उसमें ऐसे प्रशिक्षणार्थी भी हैं जिनके जिलों में पूर्व ही प्रशिक्षण केन्द्र खुले हुये हैं और उन्हें वहां प्रवेश न करके बिलारी भेजा गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां।

*९—आचार्य दीपंकर—क्या यह सही है कि इस प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकांश प्रशिक्षणार्थी बीमार हो चले हैं और वे अपने जिलों में स्थित केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

*१०—आचार्य दीपंकर—यदि हां, तो क्या सरकार इसको व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त परिस्थिति में इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

आचार्य दीपंकर—यह देखते हुये कि जिन जिलों में ऐसे सहकारी पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण केन्द्र खुले हैं वहां भी स्थान रिक्त हैं, क्या कारण है कि सरकार ने प्रशिक्षणार्थियों को दूसरे जिलों में भेजा जबकि खुद उनके जिले में जगह खाली थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, किसी विशेष केन्द्र के लिये सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग के लिये विज्ञापन नहीं निकलता है। साधारणतः प्रदेश के हर जिले में विज्ञापन निकाला जाता है कि कौन कौन सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग लेना चाहता है। उनका फिर चुनाव होता है। उसकी विधि है। चुनाव के बाद में कोशिश की जाती है कि जिस जिले का ट्रेनी रहने वाला है उसे उसी जिले के प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जाय, वह भी मैरिट से भेजा जाता है। लेकिन अगर किसी प्रशिक्षण केन्द्र में ज्यादा लड़के हो जाते हैं तो दूसरी जगह भेजना पड़ता है। इसलिये २, ४ उम्मीदवार दूसरी जगह भेज दिये गये ।

आचार्य दीपंकर—क्या यह बात सही नहीं है कि अलग अलग जिलों में प्रशिक्षणार्थियों को भेजने के पूर्व इस बात की जांच नहीं की गई कि उनके जिले में स्थान रिक्त हैं कि नहीं ?

श्री मंगलाप्रसाद—वाकया यह है कि हर केन्द्र में जो ट्रेनीज जाते हैं उसका एक नम्बर बांध दिया गया कि ८०, ८० लड़के जायेंगे। अब जिस जगह ८४ आदमी चुन लिये गये तो वहां ८० आदमी तो उसी जगह अलाट कर दिये जाते हैं और जो बच रहते हैं उनको दूसरी जगह जहां जगह खाली होती है, भेज दिया जाता है। इसलिये २ मेरठ के मुरादाबाद चले गये, और २ अलीगढ़ से चले गये, जो दूसरी जगह था। अब अगर किसी ने बीच में दरख्वास्त दी होती कि फलां जगह खाली है स्थान, हमको वहां भेज दिया जाय तो ऐसा हो जाता है कि उनको भेज दिया जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा मांग भी नहीं हुई ।

गोंडा जिले में पंचायत प्रधानों का चुनाव

*११—श्री दीनदयालु करुण (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा के अन्तर्गत हुये गत पंचायत चुनाव में कितने प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुये और कितने मतदान द्वारा निर्वाचित हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला गोंडा में पंचायतों के तृतीय सामान्य निर्वाचनों में निर्वाचित कुल २,२६० प्रधानों में १,०२२ प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हुये तथा १,२३८ प्रधान मतदान द्वारा निर्वाचित हुये हैं ।

*१२—श्री दीनदयालु करुण (अनुपस्थित)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त निर्वाचित प्रधानों में से कितने चार्ज पा चुके हैं कितने नहीं तथा कितने प्रधानों के पिटीशन चल रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—२,२६० निर्वाचित प्रधानों में से २,०३१ प्रधानों को चार्ज मिल चुका है तथा २२९ प्रधानों को चार्ज दिलाने की कार्यवाही चल रही है तथा १६७ प्रधानों के निर्वाचन के विरुद्ध पिटीशन चल रहे हैं ।

सहकारी संघ, फैजाबाद को बाइलाज में संशोधन करने का आदेश

*१३—**श्री अवधेशप्रतापसिंह** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले में डिप्टी रजिस्ट्रार ने एक डी० ओ० द्वारा जिला सहकारी संघ, फैजाबाद को यह आदेश दिया है कि पुराने बाइलाज को रद्द करके माडल बाइलाज मान लिये जायं जिससे सरकारी कर्मचारी जिला सहकारी सभा के अध्यक्ष व मंत्री बन जायं ?

श्री मंगलाप्रसाद—उप-निबंधक फैजाबाद ने जिला सहकारी संघ फैजाबाद को अपने बाइलाज में संशोधन करने के लिये लिखा था लेकिन संशोधन कराने का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को संघ का अध्यक्ष व मंत्री बनाना नहीं था ।

*१४—**श्री अवधेश प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिला सहकारी सभा, फैजाबाद ने डिप्टी रजिस्ट्रार के सुझाव के अनुसार अपने परिवर्तित बाइलाज की रजिस्ट्री के लिये अरसे से प्रार्थना-पत्र दे रखा है जिसकी रजिस्ट्री अभी तक नहीं की गई ?

श्री मंगलाप्रसाद—जिला सहकारी सभा ने अपने बाइलाज में कुछ संशोधन करके उनकी रजिस्ट्री का प्रार्थना पत्र २८-६-६० को उप-निबन्धक फैजाबाद को दिया था, लेकिन यह संशोधन सहकारी नियम और विभागीय निदेशों के अनुकूल नहीं थे इसलिये उनकी रजिस्ट्री नहीं की गई और समिति को सूचित कर दिया गया कि वे संशोधन को ठीक करें ।

नगरपालिका बुलन्दशहर के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के प्राविडेण्ट फंड का रोकना

*१५—**श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित), **श्री मन्नालाल** (जिला खीरी), **श्री शिवराम** (जिला बिजनौर) तथा **श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में नगरपालिका बुलन्दशहर के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को १९५८ से अब तक उनका प्राविडेन्ट फंड का रुपया क्यों नहीं दिया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—यह ठीक नहीं है कि अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को सन् १९५८ से उनके प्राविडेंट फंड का रुपया नहीं दिया गया है। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को उनके प्रावीडेंट फंड का अधिकांश भाग दिया जा चुका है। केवल अल्प भाग सूद न जोड़े जाने के कारण देना शेष है। कुछ को प्रावीडेन्ट फंड विशेष कारणवश नहीं दिया गया है। उनके सम्बन्धित मामलों पर निर्णय हो जाने पर तुरन्त दे दिया जायगा ।

*१६—**श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल** (अनुपस्थित), **श्री मन्नालाल, श्री शिवराम तथा श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला बुलन्दशहर में नगरपालिका कर्मचारियों का २ आना रुपया उनके वेतन में से काटा जाता है ? यदि हां, तो वह कब से काटा जा रहा है और अब तक इन कर्मचारियों के हिसाब में क्यों नहीं जमा किया गया ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां, यह धन १९३८ ई० से कर्मचारियों के वेतन से काटा जा रहा है। दिनांक १ अप्रैल, १९५९ से बोर्ड द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटा गया प्रावीडेंट फंड का रुपया व बोर्ड की ओर से उसका अपना भाग जमा नहीं किया जा सका है। इसका मुख्य कारण यह है कि बोर्ड की जल कल योजना के ऋण की वार्षिक खंडिका (किस्त) अपने ही फंड के अन्य मदों की आय से ही देनी पड़ रही है। चूंकि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया जल कर सिविल कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया गया है अतः उससे आय नहीं हो रही है। इसी कारण बोर्ड को कुछ आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड ने अपने बजट वर्ष १९६१-६२ में प्राविडेंट फंड का गत सब रुपया देने के हेतु प्राविजन कर लिया है तथा आशा की जाती है कि वह धन शीघ्र पूर्णतः जमा कर दिया जायगा ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्राविडेन्ट फंड कुछ विशेष कारणों से रोका गया है और उनके मामले अभी विचाराधीन हैं, तो वह किसकी अदालत में और किनके यहां विचाराधीन हैं और कब तक उन पर निर्णय हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बोर्ड के ही अन्दर विचाराधीन हैं क्योंकि बोर्ड ही में शिकायतें चल रही हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि वे गरीब कर्मचारी हैं और दो आने रुपया उनके वेतन से काट कर जमाकर लिया गया है, यह बताने का कष्ट करेंगे, कि किस कानून के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी ने अभी तक अपना हिस्सा उसमें नहीं मिलाया है ?

श्री अध्यक्ष—इससे सरकार से क्या सम्बन्ध है ?

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि नगरपालिका के अधिकारियों ने किस कानून के अनुसार हिस्सा नहीं मिलाया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट और रूल्स हैं, उन्हीं के अनुसार काम होता है। हो सकता है कि कभी-कभी उनके अनुसार काम होने में विलम्ब होता हो।

श्री रामायणराय—छोटे कर्मचारियों का जो पैसा काटा जा रहा है उसके लिये कौन सा कानून और नियम है यह हम लोग जानना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—कानून का सवाल आप यहां नहीं पूछ सकते।

श्री रामायणराय—श्रीमन्, अल्प वेतन भोगी लोगों के वेतन से दो आने रुपया कटौती करने के बजाय सरकार अनुदान दे सकती है। जल-कल विभाग के घाटे की पूर्ति कर्मचारियों के वेतन से कटौती के द्वारा की जा रही है, यह माननीय मंत्री ने स्वयं अपने उत्तर में कहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्राविडेंट फंड का पैसा इस वजह से नहीं रोका गया कि वहां पर जल-कल योजना बनी। जवाब यह था कि चूंकि बोर्ड के पास इस योजना के कारण अपना हिस्सा मिलाने के लिये पैसा नहीं था इसलिये वह रुपया अभी तक नहीं दिया जा सका। यह नहीं कि उस योजना में उनका पैसा लगा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—जो दो आने रुपया काटा गया यह प्राविडेंट फंड जमा करने के लिये काटा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री अध्यक्ष—तो यह जल-कल योजना के लिये नहीं काटा गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं।

श्री उग्रसेन—जब बोर्ड यह समझता था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि अपना हिस्सा मिला सकें तो फिर कर्मचारियों के वेतन से पैसा काटा क्यों गया ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप म्युनिसिपैलिटी से पूछिये।

श्री उग्रसेन—उनके मालिक तो यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न का जवाब वह नहीं दे सकेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बोर्ड ने जो अपनी स्थिति अच्छी कर ली है, तो क्या सरकार ने विशेष अनुदान दिया है या उसने टैक्स लगाया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह मालूम नहीं है कि ग्रांट मिली है या उसने टैक्स वसूल किया है, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी हो गई है यह सूचना सही है ।

गांव सभा साहबगंज में गबन की शिकायत

*१७—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय वर्ष १९५७–५९ में गांव सभा साहबगंज (तहसील फरेंदा जिला गोरखपुर) में कोई गबन हुआ था और इसी सम्बन्ध में उक्त तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई रिपोर्ट भी सरकार को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उक्त गबन की धनराशि क्या है और रिपोर्ट की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी नहीं ।

*१८—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस गबन के सम्बन्ध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गनेशीलाल चाधरी—प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब तहसीलदार और दूसरे अधिकारियों ने सूचना नहीं भेजी है तो क्या उनकी सूचना है कि गांव सभा, साहबगंज में गबन हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक साहब ने शिकायत की थी और वह परगनाधीश के पास आई थी । उसको उन्होंने पुलिस में भेज दिया ।

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शिकायत आये कितने दिन हुये और उसकी जांच का कार्य कब तक सम्पन्न हो जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जांच का कार्य तो सम्पन्न हो गया है। पुलिस ने पाया कि शिकायत निराधार है ।

वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का बकाया

*१९—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी डी०सी०डी०एफ० की कितने रुपये की पूंजी इस वक्त है और वह किन-किन कार्यों में लगी हुई है?

*२०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५० से लेकर अब तक कितना रुपया लोगों पर बकाया है ? क्या उनमें से कुछ फेडरेशन के डाइरेक्टर तथा कर्मचारी भी हैं ? यदि हां, तो उन पर कितना–कितना रुपया बाकी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी को यह सूचना इस सेशन में प्राप्त हो जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—ऐसी आशा तो की जाती है और वह तो नियमों में भी है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी को ज्ञात कि ऐसी शिकायत है कि इस धनराशि में से काफी बड़ा हिस्सा गबन हुआ है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसकी कोई खबर नहीं है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को जानकारी है कि आज से दो वर्ष पूर्व डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का जो बकाया था उसकी पूरी सूची मैंने प्रस्तुत की थी और वह सरकार के पास मौजूद है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो इससे उठता नहीं है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, पूरी सूची उनके पास मौजूद है, यह छिपा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप भेज दीजिये ।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी इसकी पूंजी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, इसके आंकड़े इस समय नहीं हैं । लेकिन सूचना आ चुकी थी और १९,२० सवाल दोनों संबंधित हैं, इसलिये इकट्ठा जवाब दे दिया गया है।

जालौन जिले में साधन सहकारी समितियां

*२१—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में अब तक कितनी साधन सहकारी समितियां गठित हो चुकी हैं और किन-किन स्थानों पर ?

श्री मंगला प्रसाद—३१ मार्च, १९६१ तक १११ समितियां गठित हुई थीं । इनके नाम सूची में दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८७–८८ पर)

रायबरेली जिले में पंचायत घरों का निर्माण

*२२—श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबलेली में प्रथम तथा द्वितीय योजना काल में अलग-अलग कितने पंचायत घरों के बनाने का लक्ष्य था ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—प्रथम योजनाकाल में ६६१ और द्वितीय योजनाकाल में ४६७ पंचायत घर बनाने का लक्ष्य था ।

*२३—श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या सरकार उक्त जिले में प्रथम तथा द्वितीय योजना में पूर्ण हुए पंचायत घरों की अलग-अलग सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—वांछित सूचियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८९–९२ पर)

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या मंत्री जी का ध्यान इस ओर गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६६१ में से केवल १३७ और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४६७ में से केवल १४१ पंचायतघरों का ही निर्माण हो सका है ? यदि हां, तो लक्ष्य के पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहली योजना में १४० मकान बने हैं और दूसरी में १४१ बने हैं, यह संख्या बहुत कम है । इसका कारण यह था कि प्लानिंग विभाग के पास पैसा नहीं था इसलिये धनाभाव के कारण कम बन सके।

श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या मंत्री जी इस बात को रियलाइज करते हुए कि प्लानिंग कमेटी को कम रुपया दिया गया था अब उसको अधिक रुपया देकर अन्य जिलों के बराबर उसको करने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह प्लानिंग डिपार्टमेंट का अपना काम है । मेरे खयाल में वह और सब जिलों की जरूरत देखते हुए और इस जिले की भी जरूरत देखते हुए, जहां जितनी जरूरत होगी, उसको जरूर देगा।

श्री गेंदासिंह—प्रदेश की योजना में जिले की योजना का ध्यान रखा गया था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप को [illegible] लेना चाहिये कि रखा गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—जिस प्रकार रायबरेली जिले में लक्ष्य के केवल ३३ प्रतिशत पंचायतघर बन सके, यही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में थी कि सरकार धनाभाव के कारण केवल ३३ प्रतिशत पंचायतघर बनवा पायी, तो क्या सरकार उन दोनों योजनाओं के शेष लक्ष्य को तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा करने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—धनाभाव के संबंध में पहले स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये। सरकार के पास धनाभाव है या कंट्रीब्युटरी बेसिस है इसलिये जनता के पास पैसा न होने के कारण धनाभाव है ? इसको स्पष्ट कर दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा—पंचायतघर ज्यादातर कंट्रीब्युटरी बेसिस पर बने हैं। कहीं-कहीं स्पेशल केसेज में गवर्नमेंट पूरा बनवा देती है। वैसे पंचायतों से जहां पैसा मिलता है वहीं बनता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पंचायतघरों का निर्माण कंट्रीब्युटरी बेसिस पर होता है और गांव सभाओं के पास आम तौर से इतना धन नहीं होता है, क्या सरकार पंचायतघरों की अनिवार्यता को देखते हुये इस पर विचार करेगी कि सरकार स्वयं अनुदान दे कर धन की पूर्ति करे ताकि पंचायतघर हर गांव में बन सकें ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—पंचायतघरों की योजना जो प्लानिंग कमीशन ने आल इंडिया पैटर्न मंजूर किया है, उसके अन्तर्गत चलायी जाती है। उस पैटर्न के अन्तर्गत उन्हीं पंचायतघरों को स्वीकार किया जाता है जिनके बनाने के लिये पंचायतें मैचिंग ग्रांट अपने पास से या अपने जरियों से इकट्ठा कर लें।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय नियोजन मंत्री इस बात की जांच करावायेंगे कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंचायतघरों के लिये जो रुपया रखा गया था उसमें बहुत सा लैप्स हो गया ? एक हजार रुपया ब्लाक देता है और दो हजार रुपया जनता को देना पड़ता है और जनता की हालत गिर चुकी है, इसकी छानबीन करेंगे, जिससे तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह रुपया यूटिलाइज हो सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हां, यह सही है कि बहुत सी ऐसी धनराशियां जिनमें मैचिंग ग्रांट नहीं मिली, वह लैप्स हो गयीं। जैसा कि मैंने बताया, प्लानिंग कमीशन ने सारे देश के लिये एक पैटर्न कम्युनिटी प्राजेक्ट्स और पंचायतों का बना रखा है और इसी के अन्तर्गत सारे देश में कार्य हो रहा है। तो जहां, उस पैटर्न के अन्तर्गत, मैचिंग ग्रांट की आवश्यकता होती है और वे संस्थायें मैचिंग ग्रांट नहीं दे पातीं, वह संस्थायें उस धनराशि को उपलब्ध नहीं कर पातीं।

जिला सहकारी बैंक, उन्नाव का बकाया

*२४—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहकारी उपभोक्ता भंडार, उन्नाव के ऊपर अब तक सहकारी जिला बैंक, उन्नाव का कितना रुपया बाकी है ? क्या उसमें से कुछ रुपया उपभोक्ता भंडार के पदाधिकारियों के ऊपर भी बकाया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव—जिला सहकारी बैंक उन्नाव का कोई रुपया सहकारी उपभोक्ता भंडार, उन्नाव अथवा उसके पदाधिकारियों पर बकाया नहीं है। दूसरे भाग के प्रश्न नहीं उठते।

*२५—**श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहुउद्देशी सहकारी कृषि समिति, नवाबगंज (उन्नाव) के ऊपर जिला सहकारी बैंक, उन्नाव का अब तक कितना रुपया बकाया है ? क्या उस रुपये में से सहकारी समिति के पदाधिकारियों के ऊपर भी कुछ बकाया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री रामस्वरूप यादव---न तो जिला सहकारी बैंक उन्नाव का कथित समिति पर कोई बकाया है और न समिति का उसके पदाधिकारियों पर।

श्री सजीवनलाल---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया उसके बाद बकाया की धनराशि जमा की गयी ?

श्री मंगलाप्रसाद---सूचना की आवश्यकता है।

श्री सजीवनलाल---क्या मंत्री जी जब सूचना इकट्ठा हो जायगी तो फिर बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---जरूर।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न करने के बाद जो कुछ बकाया था वह निपटा दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, इसमें यह है कि कर्जा तो ५,५४१ रुपये ४४ न० पै० था, लेकिन यह कर्जा ३० जून को वाजिब होता है। तो ३० जून के बाद बकाया माना जा सकता है। अब यह पता नहीं है कि इस वक्त कितना बकाया है, लेकिन कर्जा जरूर ५,५४१ रु० ४४ नये पैसे लिया गया था।

फरीदपुर नगरपालिका के विरुद्ध शिकायत

*२६---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि फरीदपुर (जिला बरेली) की नगरपालिका परिगमन अनुमति-पत्र (Transit Pass) संबंधी सरकारी नियमों के विपरीत उनकी सीमा से गुजरने वाली खाद्यान्न आदि की ट्रकों पर महसूल वसूल कर रही है जिसकी शिकायत बरेली कमिश्नर रुहेलखंड को भी की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां। पहले स्थिति यही थी।

*२७---**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (अनुपस्थित)---क्या सरकार जनता को इस नुकसान से बचाने और सरकारी आज्ञा के उल्लंघन होने के विषय में अविलम्ब कोई कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नगरपालिका फरीदपुर में १७-७-१९६१ से अपने यहां परिगमन अनुमति-पत्र नियमावली लागू कर दी है। अतः अब यह शिकायत दूर हो गई है।

तल्ला दानपुर सहकारी संघ में गबन

*२८---**श्री प्रतापसिंह**---सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तल्ला दानपुर सहकारी संघ लिमिटेड, कपकोट, जिला अल्मोड़ा में १७,००० रु० का गबन हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह गबन किस व्यक्ति या किन व्यक्तियों ने किया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---निम्नलिखित ४ व्यक्तियों ने कुल ७,३९६ रु० ९९ नये पैसे का गबन किया है:---

१---श्री श्यामसिंह, बिक्री संघ
२---श्री कविदत्त उपाध्याय, विक्री संघ
३---श्री विशनसिंह, विक्री संघ
५---श्री चन्द्र सिंह शाही, मंत्री संघ

सर्व श्री श्याम सिंह व कविदत्त उपाध्याय के विरुद्ध सालसी कार्यवाही करके डिग्री ली गई जो इस समय कलेक्टर के पास इजराय में है। इनको उनके पदों से हटा दिया गया है। स्वर्गीय श्री विशनसिंह के जामीनाम तथा श्री चन्द्र सिंह शाही को नोटिसें दी गयी थीं और अब उनके विरुद्ध सालसी कार्यवाही की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन दो आदमियों क बारे में कहा जा रहा है कि सालसी कार्यवाही की जा चुकी है, केवल डिक्री इजराय होना बाकी है, तो उनके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट की कार्यवाही सरकार ने की या नहीं ? यदि नहीं, तो उसका कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, सरकार की ओर से अलग से कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता। यह तो कोआपरेटिव सोसाइटी ने अपनी डिक्री करा ली। यदि वह आगे कार्यवाही करना चाहते और पुलिस में रिपोर्ट लिखाते तो, जैसा कि कानून बना हुआ है उसके अन्तर्गत पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर सकती थी। लेकिन इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि पुलिस में रिपोर्ट हुई या नहीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह चन्द्र सिंह साही और बिशन सिंह वह लोग हैं जो कांग्रेस मंडल के सभापति रह चुके हैं और जिला अन्तरिम परिषद् के सदस्य भी रह चुके हैं तथा अगले चुनाव में शायद उनको टिकट भी दिया जाने वाला है, इसलिये क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट की कार्यवाही उनके ऊपर नहीं की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव—इसकी कोई सूचना नहीं है कि वह कांग्रेस के मेंबर हैं।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी इसकी छानबीन कराने की कृपा करेंगे कि यह ७,३९६ रुपये नहीं, बल्कि १७ हजार रुपये का गबन हुआ है ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, माननीय प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि १७ हजार का गबन हुआ, तो उसको पूछ लेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—माननीय मंत्री जी ने अभी एक उत्तर दिया कि इसकी कोई सूचना नहीं है, तो क्या जो पर्वतीय क्षेत्र से आये हुये मंत्री हैं उनको इसकी सूचना ह ?

श्री मंगलाप्रसाद—मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—आप स्पष्ट कर दें, शायद पर्वतीय क्षेत्र वाले जो हैं, उनकी समझ में आ नहीं रहा है।

श्री शिवप्रसाद नागर—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसकी कोई सूचना नहीं ह, संभव है माननीय मंत्री जी को सूचना न हो, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र से आये हुये माननीय मंत्री हैं उनको इस बात की जानकारी शायद हो, तो क्या माननीय मंत्री जी उनसे इस बात की जानकारी करके सदन को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद—जो जवाब दिया गया वह यह था कि एक तरह की कार्यवाही की गई। वैसे दो तरह की कार्यवाही मुमकिन हो सकती है। एक तरीका यह है कि उसको पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाय और वह जांच करे तथा जांच करके उस पर कार्यवाही करे। दूसरा तरीका यह है कि रुपया वसूल करने के सिलसिले में वह समझते हैं कि रुपया हम इस तरह से वसूल कर लेंगे, तो उन्होंने सालसी कार्यवाही और रुपया वसूल करने की कार्यवाही की। अब यह दूसरे हिस्से का पता नहीं है कि उनको पुलिस में दिया गया या नहीं दिया गया और नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया।

विकास क्षेत्र, अकबरपुर में पंचायत मंत्रियों का अवशेष वेतन

*२९—श्री उग्रसेन—क्या स्वायत्त शासन मंत्री को सूचना है कि विकास क्षेत्र, अकबरपुर, जिला फैजाबाद में २२ पंचायत मंत्रियों का वेतन १९५२ से जून, १९५९ तक का बाकी है? यदि हां, तो कुल कितनी रकम बाकी है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां।

केवल २० पंचायत मंत्रियों का वेतन अवशेष है और कुल ४,६२६ रुपये ६९ नये पैसे देने बाकी हैं।

ी उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह २० पंचायत मंत्रियों का सन् १९५२ से १९५९ तक जो वेतन का ४,६२६ रुपया ६९ नये पैसे बाकी रहा, उसका क्या कारण था ?

श्री चतुभुज शर्मा—जो सन् १९५२ से पहले का पंचायत मंत्रियों का वेतन बाकी था उसके देने की जिम्मेदारी गांव पंचायत की है। अब वे उसको अदा कर रही हैं। पहले वह रुपया नहीं दिया जा सका, अब वे धीरे धीरे अदा कर रही हैं। यही कारण था।

श्री उग्रसेन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ से सन् १९५९ तक जो उनका वेतन बाकी है, वह नहीं दिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं दिया गया ? मेरा प्रश्न सन् १९५२ के पहले के बारे में नहीं था।

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह बकाया, जिसका झगड़ा है, यह सन् १९५२ से पहले का है। उनका प्रश्न १९५२ और १९५९ का है। इसीलिये कुछ भ्रम हो रहा है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने सन् १९५२ से १९५९ तक के बकाये के बारे में पूछा था और उनका कहना है सन् १९५२ से पहले के बकाये के मुताल्लिक।

श्री अध्यक्ष—इसमें यह लिखा है कि केवल २० पंचायत मंत्रियों का वेतन अवशेष है और इतना रुपया देना बाकी है। क्या यह सन् १९५२ से पहले का है ?

श्री उग्रसेन—मेरा प्रश्न १९५२ से १९५९ तक के बकाये से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसको किसी दूसरे रोज के लिये मुल्तवी कर देता हूं। इनके पूछने का मतलब यह है कि उनको १९५२ से १९५९ तक के बकाये के संबंध में बतलाया जाय। वह पहले के बकाये के बारे में नहीं पूछ रहे हैं।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से तारांकित प्रश्न २९ स्थगित किया गया।)

मिर्जापुर नगरपालिका का हाई कोर्ट द्वारा बहाल होना

*३०—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, श्री ओक व श्री कैलाश प्रकाश द्वारा दिनांक २९ मार्च, १९६१ को मिर्जापुर नगरपालिका के भंग किये जाने की कार्यवाही को रद्द करने पर गया है ? अगर हां, तो इस संबंध में जिन लोगों ने उक्त नगरपालिका को भंग करने की गलत राय दी, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—जी हां, पर नगरपालिका, मिर्जापुर को भंग करने में किसी के गलत राय देने और उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह मामला कानूनी राय का है और उसके दो पहलू होते हैं। शासन की दृष्टि में जो भी कदम लिया गया था वह उचित ही था।

*३१—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नगरपालिका भंग होने के पश्चात् प्रशासक ने नगर सुधार, यातायात, सफाई व टैक्स संबंधी क्या सुधार किये और उनसे पुरानी शिकायतें किस हद तक दूर हुईं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—मिर्जापुर, नगरपालिका के अवक्रमण की अवधि में जो सुधार हुये हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९३ पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस म्युनिसिपैलिटी पर जो चार्ज लगाये गये थे उनमें सब से बड़ा चार्ज यह था कि वह जनता के ऊपर टैक्स नहीं बढ़ा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उसके ऊपर बहुत चार्जेज थे। उनमें एक चार्ज यह भी था कि साइकिल के ऊपर जो दो रुपये का टैक्स था उसको उसने आधा कर दिया था। और भी कई तरह के चार्जेज थे जो गम्भीर थे जिसके अन्तर्गत वह ऐक्शन लिया गया।

श्री गेंदासिंह—अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जो कुछ शासन ने किया वह उचित ही था और वह इस बात को हाईकोर्ट के फैसले के बाद कह रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब दो मर्तबा हाईकोर्ट के फैसले में पिछली सरकार की कार्यवाही को अनुचित ठहराया गया और हाईकोर्ट ने उसको बहाल कर दिया, तो अब सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या करने का इरादा रखती है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो उसको भंग कर दिया। इसके बाद वह अपनी राय नहीं दे सकते।

श्री राजनारायण—क्या सरकार स्पष्ट करेगी कि अगर मिर्जापुर की म्युनिसिपैलिटी दो रुपया टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती थी तो सरकार के लिये आवश्यक क्यों हुआ कि वह म्युनिसिपैलिटी को मजबूर करे कि वह टैक्स बढ़ाये ही ?

श्री अध्यक्ष—खाली यही तो प्रश्न नहीं है। और भी गम्भीर आरोप थे।

श्री राजनारायण—यदि और गंभीर आरोप थे तो उस आरोप-पत्र में से इसको निकाल क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप आर्गूमेंट कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर म्युनिसिपैलिटी ने दो रुपया टैक्स न बढ़ाने का फैसला कर लिया तो सरकार ने कैसे इसको आरोप-पत्र में शामिल कर लिया ?

श्री अध्यक्ष—यह पुराना वाकया है और उसे उन्होंने बतला दिया।

श्री राजनारायण—लेकिन मूल बात यही है। जो म्युनिसिपैलिटी कांग्रेस की नहीं है और अगर वह टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती तो ऊपर से उसे मजबूर किया जाता है कि वह टैक्स बढ़ाये ही। मिसाल के लिये ललितपुर का म्युनिसिपल बोर्ड है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर म्युनिसिपल बोर्ड की फाईनेंशियल हालत क्या थी ? क्या उन्होंने सरकार से कोई मदद मांगी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, उनकी फाइनेंशियल हालत (आर्थिक दशा) अच्छी नहीं थी, और उन पर काफी रुपया बकाया पड़ा था, सरकार का भी और दूसरे लोगों का भी।

श्री गेंदासिंह—माननीय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। किसी सरकार के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य और अनुचित ठहराये जाने के बाद इस सदन में यह अपने अधिकार का दुरुपयोग है कि उसके विरुद्ध कहा जाय कि जो शासन ने किया वह उचित था। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उन शब्दों को वापस लें।

श्री अध्यक्ष—मेरे सामने कोई अदालत का जजमेंट तो नहीं है कि जिसमें मैं पता लगा सकूं कि जज ने किस चीज को ठीक नहीं कहा और उस प्रकार का कोई प्रश्न भी सामने नहीं है, लेकिन उत्तर में मंत्री जी ने अपनी राय दी कि जो काम उन्होंने किया वह सही किया।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि भयंकर आरोप कौन से हैं जो उन्होंने उस बोर्ड के खिलाफ बतलाये हैं? और क्या यह सही है कि हाई कोर्ट ने सारे आरोपों को मिथ्या और झूठा बतलाया है?

श्री अध्यक्ष—मैं जरा स्पष्ट जानना चाहता हूं। क्या यह भंग करने के बारे में है? क्या हाईकोर्ट ने बोर्ड के भंग होने के बाद कोई फैसला दिया है कि यह आरोप गलत हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—तीसरी बार फिर उस म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर दिया गया तो फिर उन्होंने हाईकोर्ट में रिट किया और खास यह प्वाइंट ऐट ईश्यू था कि टैक्स नहीं बढ़ा रहे हैं। उस पर लर्नेड जजेज ने उसे गलत करार दिया और कहा कि इस तरह से बोर्ड भंग नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—तो फिर म्युनिसिपल बोर्ड रिइंस्टेट हो गया?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—जी हां, और वहां जनसंघ का बोर्ड कायम है। अब पता नहीं क्या करेंगे?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं कुछ स्पष्ट कर दूं। जो जवाब दिया गया है उससे कुछ भ्रम पैदा हो गया है। इस उत्तर में हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई बात नहीं है। जवाब यह दिया गया कि जिस समय जांच हुई और जो चार्जेज थे म्युनिसिपल बोर्ड पर, उनको देखते हुए शासन ने जो उचित समझा वह कदम उठाया और उसके बाद हाईकोर्ट ने जब उसे रिइंस्टेट करने का आर्डर दिया तो शासन ने आर्डर दे दिया कि उनको चार्ज दे दिया जाय। इसमें हाईकोर्ट के आर्डर की अवहेलना का सवाल नहीं है। शासन की दृष्टि होती है ऐडमिनिस्ट्रेटिव, वह उस दृष्टि से देखता है और जज लोग इंडिविजुअल राइट्स की दृष्टि से देखते हैं, पब्लिक का हित उनके सामने नहीं होता उतना जितना कि शासन के सामने रहता है। शासन की दृष्टि में ऐडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट आफ व्यू ज्यादा रहता है और जुडिशियल व्यू देना एक इन्डिविजुअल का राइट होता है, वह किसी का भी हो। इसमें किसी पर, वह चाहे हाईकोर्ट हो या और कोई हो, आक्षेप नहीं है।

साइकिल टैक्स के बारे में कहा गया। उसके बारे में मैं निवेदन कर दूं कि पहले तो बोर्ड ने ही उसको बढ़ा कर दो रुपये कर दिया था। फिर बीच में उन्होंने एक रुपया कर दिया। जब ऐडमिनिस्ट्रेटर थोड़े दिनों के लिये हुआ तो उसने फिर दो रुपया कर दिया। उसके बाद बोर्ड ने बीच में एक रुपया कर दिया। तो इस तरह की शिकायत थी। इसके अलावा कुछ और भी नियुक्तियों के बारे में, मीटिंग्स के बारे में, तथा अन्य कई तरह की शिकायतें थीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जिस दिन बोर्ड भंग किया गया उस दिन उस पर जितना कर्जा था उससे ज्यादा कर्जा उस पर तब हो गया जब कि उस पर ऐडमिनिस्ट्रेटर को थोप दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये सूचना की जरूरत होगी। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेटर ने अपने काल में जितना अच्छा कार्य किया उतना अच्छा कार्य शायद बोर्ड ने अपनी पूरी अवधि में नहीं किया।

श्री राजनारायण---एक व्यवस्था का सवाल है, अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी का कौन सा उत्तर कार्यवाही का भाग समझा जाय। एक में कहा गया है कि सूचना की जरूरत है, दूसरे में कहा गया है कि ऐडमिनिस्ट्रेटर का कार्य बहुत अच्छा रहा। जब उनको सूचना ही नहीं है तो यह कैसे कह दिया कि उनका कार्य बहुत अच्छा रहा। यह तो प्रचारात्मक उत्तर दिया गया है, अपने कर्म या कुकर्म को साबित करने के लिये कहा जा रहा है, इसलिये दूसरे भाग को कार्यवाही में से निकाल दिया जाय। उसमें दोनों नहीं रहने चाहियें।

श्री अध्यक्ष---दोनों रहेंगे। जो उन्होंने कहा है वह उसमें छपेगा। सूचना तो उनको एक बात की नहीं है, कर्ज के बारे में। दूसरी बात तो जनरल उन्होंने कह दी है।

श्री राजनारायण---तो उस पर सप्लीमेंटरी करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं।

गोरखपुर जिले में ग्राम सभाओं के चुनाव पर व्यय

*३२---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत ग्राम सभाओं के चुनाव में गोरखपुर जिले में बूथ बनाने में कुल कितना खर्च हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---गोरखपुर जिले में जनवरी-फरवरी, १९६१ में हुये ग्राम सभाओं के चुनाव में पोलिंग बूथ बनाने में कुल १३,१३५ रुपया खर्च हुआ है।

*३३---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त जिले के उक्त चुनाव में कुल कितना रुपया अधिकारियों और कर्मचारियों के T. A. और D. A. में खर्च हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उपरोक्त जिले के उक्त चुनाव में दिनांक ३१ मार्च, १९६१ तक अधिकारियों तथा कर्मचारियों के यात्रिक तथा दैनिक भत्तों पर कुल १०,५३९ रुपये ४३ नये पैसे व्यय किये गये।

*३४---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के नवनिर्वाचित प्रधानों की ट्रेनिंग में किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना खर्च हुआ ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इस जिले में नव निर्वाचित प्रधानों के प्रशिक्षण के लिये अलग से किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया। विकास क्षेत्र समिति के गैर सरकारी सदस्यों के साथ ही साथ नव निर्वाचित प्रधानों का प्रशिक्षण हुआ तथा जो व्यय इस संबंध में हुआ वह विकास क्षेत्र समिति के सभी गैर सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण पर हुआ।

सहकारी संघ, घोसी में खाद के रुपये की गोल माल के संबंध में जांच

*३५---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी संघ घोसी, जिला आजमगढ़ के किसी कुर्क अमीन ने २० हजार पये से अधिक की धनराशि की खाद किसानों को न देकर उनसे हस्ताक्षर बनवा कर बाजारी में बेच दी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार की कार्यवाही अगर कुकअ मीन द्वारा नहीं की गयी, तो क्या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा की गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव—कुर्कअमीन के बारे में प्रश्न पूछा गया था, उसी के बारे में उत्तर दिया गया है। इस तरह की कार्यवाही का पता तो तीन बातों से चल सकता है कि जब कोई इस तरह की पुलिस में रिपोर्ट हो चोर बाजारी की, या अन्य कोई शिकायत हो, या आडिट में यह चीज पाई जाय या कागजातों के देखने से पता चले। जहां तक मेरी जानकारी है, इन तीनों बातों में से कोई बात नहीं पायी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अगर इस प्रकार की शिकायत उनके पास नहीं है तो क्या वे इस बात की जानकारी हासिल करने की कृपा करेंगे कि खाद का काफी रुपया किसानों को वापस दिया गया जिसके बदले खाद नहीं दी गयी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—अगर इस तरह की शिकायत माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो जांच करा लेंगे।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि प्रदेश में खाद के मामले में लाखों रुपये की चोरी हो रही है, सहकारी संघ, घोसी के संबंध में विशेष जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री मंगला प्रसाद—इसमें काफी जांच हो चुकी है। एक कमेटी द्वारा इसकी जांच हो चुकी है, आडीटर द्वारा भी हो चुकी है, जो अधिकारी हैं विभाग के उनके द्वारा भी हो चुकी है और उन सब में ऐसी कोई चीज मिली नहीं। पुलिस में कोई रिपोर्ट आदि भी नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट होती तो जरूर जांच करा लेते।

*३६—**श्री झारखंडेराय**—[२ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*३७-३९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[७ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०—**श्री मदन पांडेय**—[७ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*४१—**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**—[हटा दिया गया।]

*४२-४४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[७ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में पंचायत मंत्रियों के स्थानान्तरण संबंधी नवीन आदेश का पालन न होना

*४५—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने सितम्बर, १९६० में समस्त जिला अधिकारियों के पास जो इस आशय का आदेश भेजा था कि जिन पंचायत मंत्रियों का कार्य एवं आचरण अच्छा हो, उन्हें २५ मील की दूरी पर भेजना आवश्यक नहीं है उसका पालन आजमगढ़ जिले में नहीं किया गया ? क्या इस ओर सरकार का ध्यान गत दो तीन माह में दिलाया गया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—शासन के अनुरोधानुसार निदेशक, पंचायत राज द्वारा समस्त जिला पंचायत अधिकारियों को निदेश प्रसारित किये गये हैं और जिला पंचायत अधिकारी, आजमगढ़ ने निदेशक, पंचायत राज, से ७० पंचायत मंत्रियों को २५ मील की दूरी की नियुक्ति से छूट देने का अनुरोध किया है, जिसमें वे विचारोपरान्त निर्णय लेकर यथोचित आदेश प्रसारित करेंगे।

जी हां, प्रश्नकर्ता एवं श्री रामवचन यादव का एक संयुक्त पत्र प्राप्त हुआ था।

*४६---श्री मुक्तिनाथराय---यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---अच्छे कार्यकर्ताओं को छूट देने के सम्बन्ध में प्रसारित निर्देशानुसार जिला पंचायत अधिकारी निदेशक पंचायत राज से मुक्ति की स्वीकृति स्वयं ही ले रहे हैं। संयुक्त पत्र पर, निर्धारित नीति के अनुसार, अलग से कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

श्री मुक्तिनाथराय---श्रीमन्, प्रश्न में लिखा है कि "शासन के अनुरोधानुसार" तो यह "अनुरोधानुसार" है या "निदेशानुसार", इसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा---"अनुरोधानुसार" है ।

श्री अध्यक्ष---वह जानना चाहते हैं कि शासन सलाह देता है, अनुरोध करता है, या शासन शासन करता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह मामला ऐसा है जिसमें नीचे के अधिकारियों का डिस्क्रिशन दिया गया है कि जो पहले एक रूल बन गया था कि २५ मील के अन्दर पंचायत मंत्रियों को नहीं रहना चाहिये, यह कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल नहीं है। अगर कोई अच्छा कार्यकर्त्ता हो पंचायत मंत्री, तो शासन अधिकारी इसमें ढील कर सकता है और उसको २५ मील के अन्दर रख सकता है। लेकिन यह कोई आर्डर की बात नहीं होती कि २५ मील के अन्दर रखें ।

श्री मुक्तिनाथराय---क्या यह सही है कि उक्त आदेश के अनुसार जिला पंचायत अधिकारियों को अधिकार था कि अच्छे पंचायत मंत्रियों का अपने विवेकानुसार स्थानान्तरण कर सकें, लेकिन अब निदेशक, पंचायत राज ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि यह उनकी स्वीकृति से किया जाय ? ऐसा क्यों किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने जैसा कहा कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत आफिसर्स को डिस्क्रिशन है कि २५ मील के अन्दर भी रख सकते हैं अगर अच्छे कार्यकर्त्ता हों, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अगर वह २५ मील के अन्दर नहीं हैं तो उनको २५ मील के अन्दर अवश्य कर दें ।

श्री गौरीशंकर राय---क्या मंत्री जी को मालूम है कि अधिक से अधिक जितना संभव हो सकता है हर जिले में पंचायत मंत्रियों को २५ मील से दूर कर दिया गया है और वहां के अधिकारियों का कहना यह है कि जिनको २५ मील से अधिक दूर करना संभव नहीं है उन्हीं को कम दूरी पर रखा गया है ? तो अधिक से अधिक संख्या में अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं हैं इस वजह से ऐसा किया गया है या सरकार का यह मंशा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो स्वयं जो आफिसर्स आन दि स्पाट हैं वही निर्णय कर सकते हैं कि अच्छे मंत्री हैं या नहीं और यह उनके कैरेक्टर रोल के अनुसार वह कर सकते हैं ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---उत्तर में बताया गया है कि आजमगढ़ के लिये सितम्बर १९६० के आदेश के पालन करने की आज्ञा हुई है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि और जिलों में भी इस तरह की छूट देने की व्यवस्था है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह हर जिले के लिये है। सिर्फ आजमगढ़ के लिये नहीं, सभी जिलों के लिए है ।

श्री मुक्तिनाथराय--मैंने पहले प्रश्न पूछा था कि पहले तो जिला पंचायत अधिकारियों को अधिकार था कि जो अच्छे पंचायत मंत्री हों उनको नजदीक रखें, लेकिन अब निदेशक-पंचायत राज ने यह कहा है कि उनके नाम हमारे यहां भेजे जांय। तो ऐसा क्यों किया गया है? इसका उत्तर नहीं मिला।

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह इसीलिये किया गया है जिससे शिकायतें कम हों। ऊपर से आर्डर जायगा तो ज्यादा छानबीन कर के दिया जायगा।

*४७--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--[आठवें मंगलवार के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४८--**श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--[७ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

मेहतरों को छुट्टी देने के सम्बन्ध में आदेश

*४९--**श्री वीरसेन** (जिला मेरठ)--क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गवर्नमेंट आर्डर द्वारा यह आदेश दिया है कि नगरपालिकाओं में भंगियों को इतवार तथा अन्य सभी गजटेड छुट्टियां दी जांय?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां, शासन ने यह आदेश दिये हैं कि स्थानीय निकाय अपने मेहतरों को इतवार अथवा सप्ताह के अन्य किसी दिन पूरे दिन की छुट्टी दिया करें। जहां तक अन्य छुट्टियों का सवाल है, उन्हें शासन ने अलग से निर्धारित कर दिया है और वे सभी मेहतरों को यथासमय दी जाती हैं।

बदायूं नगरपालिका के विरुद्ध आरोपों की जांच

*५०--**श्री टम्बरेश्वरप्रसाद** (जिला सीतापुर) तथा **श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**--क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें दिनांक २५ अप्रैल, १९६१ के करीब श्री कृष्णस्वरूप वैश्य वकील व सदस्य नगरपालिका बदायूं का ११ अप्रैल, १९६१ का एक शिकायती-पत्र बदायूं नगरपालिका की अनियमितताओं के खिलाफ मिला था? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? क्या इस नगरपालिका के विषय में जिलाधीश ने कोई जांच की? अगर हां, तो उसमें कौन-कौन आरोप सत्य पाये गये?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हां। शासन ने उस शिकायती-पत्र व उससे संलग्न शिकायती-पत्रों में अंकित आरोपों पर जिलाधीश बदायूं से ३० मई, १९६१ को रिपोर्ट मांगी। जिलाधीश ने उन आरोपों की जांच स्थानीय निकायों के आफीसर इन्चार्ज से कराई व अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है। मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

कानपुर नगरमहापालिका का कर्जा माफी के लिये प्रस्ताव

*५१--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार को कानपुर नगरमहापालिका द्वारा १८ मई, १९६१ को पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जिसमें राज्य सरकार से २,१६,७६,४४९ पये पुराने कर्ज को माफ करने का अनुरोध किया गया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री रामनारायण बैंकर के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिये जौनपुर नगरपालिका से फाइलें लेना

*५२--**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट**--क्या जौनपुर के जिला अधिकारियों ने वहाँ की नगरपालिका की कुछ फाइलें अपने कब्जे में हाल ही में ले ली हैं और २४ मार्च से पालिका कार्यालय में कोई जांच हो रही है? अगर हां, तो किस बारे में तथा उसका फल क्या निकला?

नोट--तारांकित प्रश्न ४६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री चतुर्भुज शर्मा---जौनपुर के जिला अधिकारियों ने नगरपालिका जौनपुर के अध्यक्ष श्री रामनरायण बैकर के विरुद्ध की गई शिकायतों के संबंध में दिनांक ९ अप्रैल, १९६१ को १२ फाइलें जांच हेतु ली हैं। उनकी जांच के परिणामस्वरूप श्री बैकर को शासन द्वारा पद-च्युत करने के विषय में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु उन्होंने अपने निलंबन और शासकीय आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में समादेश याचिका (writ petition) दायर कर दी है। दिनांक २४ मार्च, १९६१ को किसी प्रकार की जांच अधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी।

*५३---**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---[७ अगस्त, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला सहकारी बैंक, रायबरेली के कर्मचारियों को 'अ' श्रेणी का वेतन न मिलना

*५४---**श्री शिवशंकरसिंह** (जिला रायबरेली)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि रायबरेली जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, रायबरेली 'अ' श्रेणी का है परन्तु बैंक के कर्मचारियों को 'ब' श्रेणी के बैंक का वेतन दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री मंगला प्रसाद---जी हां। जिला सहकारी बैंक रायबरेली 'अ' श्रेणी का बैंक है परन्तु बैंक के एकाउन्टेन्ट को 'ब' श्रेणी के बैंक का वेतन और मैनेजर को वर्तमान निर्धारित वेतन-क्रम के पूर्व के वेतन-क्रम के अनुसार वेतन दिया जाता है।

इसका कारण यह है कि एकाउन्टेन्ट और मैनेजर 'अ' श्रेणी के वेतन के लिये निर्धारित निम्नतम शैक्षिक योग्यता की शर्त को पूरा नहीं करते हैं। बाकी कर्मचारियों के वेतन-क्रम सब श्रेणियों के बैंकों के लिये समान हैं।

श्री लायकसिंह चौधरी, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अध्यक्ष---अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं। जिलाधीश कानपुर ने यह सूचना दी है कि औरनार हाउस, शिकोहाबाद, निर्वाचन क्षेत्र के निवासी श्री लायकसिंह चौधरी, सदस्य विधान सभा, की गिरफ्तारी कानपुर की पुलिस द्वारा ससैंडी स्थान भारतीय दंड विधान की दफा ३४२।३४६।३५७।३६४।३६५।३२३।३११।३६६।३४।१२०---बी के अन्तर्गत हत्या करने के इरादे से लड़की भगाने के अभियोग में की गयी। उन्हें जिला जेल कानपुर में भेज दिया गया है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मान्यवर, चूंकि यह एक गम्भीर विषय है और इस माननीय सदन के एक सदस्य के खिलाफ है इसलिये क्या सरकार स्पष्ट करने की कृपा करेगी कि किस परिस्थितियों में उनकी गिरफ्तारी हुई, उसका विस्तृत विवरण सदन के सामने प्रस्तुत किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---आप यूं सरकार से नहीं पूछ सकते। आप मुझको लिखें तो मैं देखूंगा कि ऐसी चीज आप सरकार से मांग सकते हैं या नहीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, गिरफ्तारी का संबन्ध तो माननीय गृह मंत्री जी से है, वह तो विवरण दे ही सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आप पहले प्रश्न उठाने की इजाजत के लिये मुझे लिखकर भेजें।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मोटर-मार्ग पर बस दुर्घटनाओं के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री नारायणदत्त तिवारी, श्री राजनारायण तथा श्री कल्याण चन्द मोहिले के कामरोको प्रस्ताव एक ही विषय पर आये हैं । चूंकि नारायणदत्त जी का पहले आया इसलिये उसी को पढ़ता हूं :

"विगत जून तथा जुलाई मास में विभिन्न तिथियों को बद्रीनाथ-केदारनाथ मोटर-मार्ग पर ५ भयंकर बस दुर्घटनाएं तथा रामनगर भतरौंजखान मोटर मार्ग पर एक बस दुर्घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप १०० से अधिक व्यक्ति मरे तथा अनेकानेक घायल हुए। इन दुर्घटाओं से भारत भर को ठेस लगी है तथा हमारी प्रदेशीय यातायात व्यवस्था के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है तथा भविष्य में इन राष्ट्रीय यात्रा मार्गों में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकने की कल्पना को भी भारी ठेस पहुंची है। अतएव यह सदन उपयुक्त तथ्यों को देखते हुये तत्संबंधी घटनाओं तथा परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई परिस्थिति पर विचार करने के लिये अपना आज का कार्य स्थगित करता है।

इसमें किसी को कोई आक्षेप तो नहीं है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—अध्यक्ष महोदय, मेरा खुद ही इरादा था कि जो अफसोसनाक दुर्घटनायें हुई हैं उनके बारे में एक तफसीली बयान यहां पेश करूं। इसलिये मुझे कोई आब्जेक्शन नहीं है. आप मंजूर करलें और उसके जरिये यहां बहस हो जाय। मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी ही है कि कल के लिये इसे रखा जाय बहस के लिये, आज नहीं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आज आपने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया उसको अगर कल विवाद के लिये लिया जायगा तो कल जो दूसरा मंजूर करेंगे उसके लिये क्या होगा, इसलिये आज कोई दूसरा लेलें जो आवश्यक हो।

श्री अध्यक्ष—उसके बारे में फिर विचार कर लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मंत्रीजी का सुझाव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—तो कल ४ बजे से ६ बजे तक इस पर बहस होगी।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, क्या इसमें राष्ट्रीयकरण की हमारी बात भी आ जायगी ?

श्री अध्यक्ष—आप अपनी बहस में राष्ट्रीयकरण का सुझाव दे सकते हैं ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, अगर उससे पहले माननीय आबकारी मंत्री जरा इस बात पर प्रकाश डाल दें कि उस मार्ग पर शराब की कितनी दुकानें खुल गयी हैं, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे इसके बारे में लिखकर भेज दें कि किस संबंध में आप प्रकाश डलवाना चाहते हैं ।

नियम ५२ के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न भागों में हैजे की बीमारी के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष--मैंने नियम ५२ के अनुसार एक प्रश्न स्वीकार किया है, वह भी श्री नारायणदत्त जी का है, वह लखनऊ में जो हैजे की बीमारी फैली उसके बारे में है । वह इस प्रकार है--

"विगत २७ जून, १९६१ को महानगर क्षेत्र, लखनऊ में पुराने कुओं की सफाई न किये जाने तथा अन्य निरोधक उपायों के न किये जाने से अचानक हैजे की महामारी लखनऊ शहर तथा देहात में फैल गयी । साथ ही इसी प्रकार की असावधानी के कारण प्रदेश के वाराणसी, बलिया तथा कानपुर आदि शहरों में भी यह संक्रामक बीमारी फैली, जिससे सैकड़ों आदमी काल के ग्रास हुए । अतएव मैं इस आवश्यक एवं अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आर्षित करना चाहता हूं ।"

इसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी अपना वक्तव्य कब देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--कल दे दूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--पूर्वी जिलों में भी जो हैजे की बीमारी दो महीने से फैल रही है उसके संबंध में माननीय मंत्री जी अगर छपा हुआ वक्तव्य दे दें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष--क्या यह सम्भव हो सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--परसों के लिये रख दें तो छपा हुआ दे दिया जायगा ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--सारे प्रदेश के बारे में दे दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--सारे प्रदेश के बारे में अब देंगे ही ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--श्रीमन्, कानपुर में भी थोड़े दिनों से हैजा फैल गया है, इसके बारे में भी उस वक्तव्य मे आ जाय ।

श्री अध्यक्ष--अब तो सारे प्रदेश के बारे में हो ही गया । अगर आपके कानपुर की 'तीन लोक से मथुरा न्यारी हो' तो बात दूसरी है ।

उर्दू को नया स्थान प्रदान किये जाने के बारे में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा की मांग

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--हिन्दी के राज्य भाषा घोषित हो जाने के पश्चात् भी उर्दू को खोदकर लाया जा रहा है और पाकिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--आपका इस विषय में नियम ५३ के अनुसार मैंने एक प्रश्न स्वीकार किया है । उस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई समय नियुक्त करेंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत अलीगढ़ के संबंध में था ।

श्री अध्यक्ष--एक दिन में एक ही तो लिया जायगा ।

श्री नेकराम शर्मा--कल यही काम आ जायगा या दूसरा देना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष--रोज देना होता है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। आज ढाई महीने के बाद इस असेम्बली की बैठक हो रही है। इस बीच में प्रदेश में बहुत सी घटनायें हो चुकी हैं जिनके संबंध में हम लोग दफा ५२ के अन्तर्गत प्रश्न अथवा कामरोको प्रस्ताव पेश करते हैं, लेकिन उनमें से आप एक ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण विषय रह जाते हैं और अगर उनको हम बाद में देते हैं तो कहा जाता है कि देरी हो गयी। इसमें एक प्रश्न पूर्वी क्षेत्र में सूखा के बारे में था और अन्य प्रश्न भी हैं ....

श्री अध्यक्ष---मैं सबके ऊपर वक्तव्य दिलवा दूंगा। नियम ५२ में तो समय की कोई बात ज्यादा सख्ती की होती नहीं है, वह तो कामरोको प्रस्ताव में होती है। एक-एक रोज वह ले लिया जायगा।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव चीनी मिल मजदूरों के बारे में मेरा भी नियम ५२ के अन्तर्गत था। वह भी ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---वह तो आप नियम ५२ के अन्दर देते जाइये, मैं जो महत्वपूर्ण होंगे उनको एक-एक करके लेता जाऊंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह द्वारा जनसंघ की सदस्यता ग्रहण करने की सूचना

श्री अध्यक्ष---मुझे सदन को दो-एक सूचनायें देनी हैं। कुंवर श्रीपालसिंह जी ने मुझे लिखा है :

"आदरणीय अध्यक्ष, श्रीमान् तथा आदरणीय सदन की जानकारी के हेतु सविनय निवेदन करता हूं कि मैंने स्वतंत्र पार्टी की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनसंघ की सदस्यता स्वीकार कर ली है।"

सोशलिस्ट पार्टी के नेता पद पर श्री रामस्वरूप वर्मा के चुनाव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा राजनारायण जी ने दिया है :---

"श्रीमन्, जैसा कि मैंने सदन में और मौखिक रूप से आपसे तथा अन्य जनतंत्र प्रेमियों से निवेदन किया था कि अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्षपद पर चुने जाने के बाद मेरा उत्तर प्रदेश विधान सभा की सोशलिस्ट पार्टी के नेतापद से त्यागपत्र देना जनतान्त्रिक पद्धति के स्वस्थ विकास के लिये आवश्यक है, मैंने अपनी पार्टी में त्यागपत्र दे दिया था।

सोशलिस्ट पार्टी की असेम्बली पार्टी ने अपनी ३० जुलाई की बैठक में मेरा त्यागपत्र सर्व-सम्मति से अस्वीकार कर दिया। मुझे पुनः विचार कर वापस लेने का आग्रह किया।

मने, पुनः जनतान्त्रिक प्रणाली तथा विभिन्न पदों का एकीकरण परस्पर विरोध हैं और कार्य को सुचारु रूप से सम्पादन होने में बाधा उपस्थित करते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा की और अन्त में ३१-७-६१ की बैठक में आज साढ़े नौ बजे प्रातः मेरी राय मानकर विधायक दल ने मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लिया। मेरे स्थान पर श्री रामस्वरूप वर्मा, एम० एल० ए०, जो अब तक उपनेता थे, नेता के पद पर चुने गये। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप श्री रामस्वरूप जी को सोशलिस्ट पार्टी का विधान सभा में नेता मानें।

मैं इस अवसर पर आपको तथा सभी संबंधित सज्जनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनतान्त्रिक प्रणाली तथा सत्ता के विकेन्द्रकरण के लिये बराबर अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार सदन के अन्दर तथा बाहर सेवा करता रहूंगा।"

आज से रामस्वरूप जी वर्मा उनकी पार्टी के नेता समझे जायंगे

वित्त विभाग की विज्ञप्ति के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)––अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० बिक्री-कर नियम, १९४८ में वित्त विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०––१६४२/१०––१०६१–५, दिनांक २८ मार्च, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जो १९४८ ई० के यू० पी० बिक्री-कर ऐक्ट की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार दिनांक १६ मई, १९६१ को सदन की मेज पर कम से कम चौदह दिन के लिये रखे गये थे और जिनके सदन की मेज पर रखे रहने की उक्त कालावधि सदन के सत्रावसान के कारण पूरी नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १७२ के उपनियम (२) के अनुसार पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उप-मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से १९५२ की उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ० ७३३/१–क–३७५–डी–५९, दिनांक १९ मई, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (अध्याय ३) नियमावली, १९६१

राजस्व उप-मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जौनसार-बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (अध्याय ३) नियमावली, १९६१ को, जो राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३ २३७/एक–क–१३९४–१९५८, दिनांक २९ जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित की गई है, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन प्रख्यापित नियम*

राजस्व उप-मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अध्याय ९ के अन्तर्गत बने एवं राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या २९६२ (क)/एक––क––३६०८–१९५९, दिनांक २९ जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित नियम को उक्त अधिनियम की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१*

राजस्व उप-मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)––श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३१२५/एक–क–६२४–१९६०, दिनांक २९ जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश वृहत जोतकर नियमावली के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

राजस्व उप-मंत्री (श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या १५३३-४-१सी-३१ सी-१९६०, दिनांक २९ जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत जोत कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत (छठी) (संशोधन) आज्ञा, १९६०*

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० के अन्तर्गत दी गई तथा नगर पालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या १६१-म(आ-६) (संशोधन) ११-ग-८१-कार्य-६०, दिनांक ८ मई, १९६१ के अधीन प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (छठी) (संशोधन) आज्ञा, १९६० को उक्त धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं । आप देखें कि जो इस अधिनियम में परिवर्तन करने की बात है, इसकी विज्ञप्ति ८ मई, १९६० को जारी हुई जब कि हमारा यह सदन चल रहा था, १९ मई को सदन स्थगित हुआ । तो अगर इसमें सरकार की लापरवाही न होती तो उसी बैठक में इसको रखा जा सकता था । इस संबंध में आपने पहले भी कई दफा माननीय मंत्रियों को चेतावनी दी है तथा उनसे प्रार्थना भी की है कि वे विज्ञप्तियों को मेज पर रखने में देर न किया करें, लेकिन उस समय न रख करके बिलकुल ढाई महीने बाद इसे रखा जा रहा है । तो इस सम्बन्ध में आप सरकार को आगाह कर दें कि आइन्दा वे ऐसा न करें ।

श्री अध्यक्ष---अगर एक महीने की देर हो जाय तो उसके लिये उनसे कहा जा सकता है । लेकिन जब १९ मई को सदन स्थगित हुआ और ८ मई को विज्ञप्ति जारी हुई थी तो इस तरह से उनको ८-१० रोज ही मिला । इसलिये इसमें कोई देर की बात नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---लेकिन वे १९ मई को रख तो सकते थे ?

श्री अध्यक्ष---मगर वह छप नहीं सकती थी । उसको छपवाना भी तो होता है ।

यू०पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम० वी० आर०/एम-३०-४१४-टी० एम०/३०-ख-४-एच-६०, दिनांक २१ अप्रैल, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष---इस में देर जरूर हुई है । इसका कारण आपको बतलाना चाहिये था क्योंकि २१ अप्रैल को यह प्रख्यापित हुआ है और १९ मई तक सदन चला, तो उसके बीच में यह क्यों नहीं रखे गये ।

---

*छापे नहीं गये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, आप इसके लिये कई दफा मंत्रियों को चेतावनी भी दे चुके हैं लेकिन उसके बरखिलाफ काम होता रहता है और वे आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं ।

श्री अध्यक्ष---इसका कारण बतलाना चाहिये या खेद प्रकट करना चाहिये ।

श्री मुजफ्फर हसन---श्रीमन्, एक महीने से तो कम हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष---दो एक रोज कम रहा है । ऐसे उस समय जब हाउस चल रहा था तो उसके अन्दर दे देना चाहिये था ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत नियमावली*

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३५७ की उपधारा (१) के खंड (ग) में उल्लिखित लेख्यों की प्रतिलिपियों के लिये देय शुल्क विहित करने की नियमावली को, जो नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५५६-म-नि-(१७)-११-ग-८४ कार्य-५९, दिनांक २६ जून, १९६१ के अधीन प्रख्यापित की गई है, उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर आपने १ महीने का समय कर दिया तो जैसे कि मंत्री जी ने आड़ ली, १ महीने में उन्होंने मेज पर रख दिया । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कृपा कर ऐसी व्यवस्था कर दें कि जहां तक सम्भव हो जल्दी ही सदन में रख दें और किसी हालत में एक मास से अधिक न हो, उसके भीतर ही हो जाय ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, मैं समझता हूं यह समझना चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके वह यहां रख दें । यह जरूरी नहीं है कि एक मास जरूर ही लगाया जाय, पहले ही हो सके तो रख देना चाहिये ।

उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१

सचिव विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश भाण्डार अधिग्रहण (बनाये रखने का) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ मई, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ९ मई, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति २५ जून, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक १९६१

सचिव विधान सभा---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोवध-निवारण (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ३ मई, १९६१ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १० मई, १९६१ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति ८ जुलाई, १९६१ को प्राप्त हो गई और वह १९६१ का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया ।

---

*छापे नहीं गये ।

यू०पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---श्रीमन्, मैं यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U.P. Famine Relief fund (Amendment) Bill, 1961 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१ [The U.P. Famine Relief Fund (Amendment) Bill, 1961] पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मैं यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक १९६१ [The U. P. Famine Relief Fund(Amendment) Bill, 1961.] को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९४-९६ पर ।)

श्री अध्यक्ष---माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा था, क्या वह भी कोई विधेयक पुरःस्थापन करेंगे ?

स्वशासन राज्य मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---जी, आज नहीं करेंगे ।

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०*

परिवहन राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यों तो सदन के सामने यह संशोधन विधेयक पेश हो चुका है, लेकिन उसको काफी दिन हुये इसलिये मैं दो शब्दों में यह अर्ज करूंगा कि इसको पेश करने की क्या जरूरत लाहक हुई । सन् १९५९ के आरम्भ में सरकार ने यह तय किया कि परिवहन विभाग में एनफोर्समेंट का काम पुलिस के कर्मचारियों के बजाय विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही कराया जाय और पुलिस के सब कर्मचारियों को इस काम से हटा कर विभागीय अधिकारियों के सुपुर्द यह काम किया गया । उन विभागीय कर्मचारियों को वे अधिकार तो हासिल थे, जो वेहिकिल्स ऐक्ट के मातहत आते थे लेकिन पुलिस के कुछ और भी अधिकार थे जो पुलिस कानून के मातहत थे । उन अधिकारों के न होने की वजह से काम में असुविधा हो रही थी इसलिये इस सेन्ट्रल ऐक्ट में यह संशोधन लाने की जरूरत हुई । अब इस संशोधन के द्वारा यह किया जा रहा है कि विभागीय कर्मचारी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के मातहत जरायम की जांच कर सकें और अगर जरूरत हो तो मकान या दूसरी इमारतों में दाखिल हो कर तलाशी ले सकें, और गिरफ्तार किये हुए आदमियों या जब्त की गई गाड़ियों के सिलसिले में जमानत की कार्यवाही कर सकें और अदालत में मुकदमात की पैरवी कर सकें । इसी जरूरत से यह बिल लाया गया है और यह बिल्कुल इन्नोसेन्ट बिल है । मैं समझता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा ।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं । अभी मंत्री जी ने जो थोड़े से शब्दों में इसकी आवश्यकता बताई, जहां तक मैं समझ पाया हूं और इसके सम्बन्ध में जो अभी तक विधेयक रहा है, उसको अगर हम देखें तो महसूस होगा कि इसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है । मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट

---

*२४ अगस्त, १९६१ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

को दफा १३३–ए में संशोधन किया गया है और उसमें कुछ धारायें बढ़ाये जाने के लिये प्रस्ताव रखा गया है मैं आपकी आज्ञा से धारा १३३–ए पढ़ देना चाहता हूं। मूल विधेयक अंग्रेजी में है इस लिए अंग्रेजी में ही पढ़ रहा हूं। बाद में हिन्दी कर दूंगा:—

"133-A. Appointment of Motor Vehicles Officer—(1) The State Government may, for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act, establish a Motor Vehicles Department and appoint as officers thereof such persons as it thinks fit."

इसका अर्थ यह हुआ कि स्टेट सरकार इस ऐक्ट को चालू करने के लिये मोटर वेहिकिल्स डिपार्टमेंट में ऐसे अफसरों को मुकर्रर कर सकती है जैसा कि उचित समझे। फिर आगे लिखा है :—

"(2) Every such officer shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code (XLV of 1860)."

इसका अर्थ है कि ऐसे अफसर इंडियन पेनल कोड के मुताबिक पब्लिक सर्वेन्ट समझे जाएंगे। फिर इसके आगे लिखा है :—

"(3) The State Government may make rules to regulate the discharge by officers of the Motor Vehicles Department of their functions and in particular and without prejudice to the generality of the foregoing power to prescribe the uniform to be worn by them, the authorities to which they shall be subordinate, the duties to be performed by them, the powers (including the powers exercisable by police officers under this Act) to be exercised by them, and the conditions governing the exercise of such powers."

इसका अर्थ यह है कि सरकार ऐसे कानून बना सकती है जिनको कि इस डिपार्टमेंट के आफिसरों को पालन करना होगा। उनके ऐसे कार्यों को भी वह निश्चित कर देगी, उनकी पोशाक, जो वह पहनेंगे, उसके नियम भी बना सकेगी। साथ ही जिन अधिकारियों के अन्तर्गत वह होंगे उनका भी चयन करेगी और उनकी ड्यूटीज और शक्तियां भी बता देगी जो कि एक पुलिस अफसर को इस ऐक्ट के अन्तर्गत करनी चाहिए। साथ ही उन हालातों को भी बता देगी कि जिनमें उन शक्तियों का वह इस्तेमाल करें।

अब जो सरकार प्राविजन करने जा रही है उसका अर्थ यह होगा जैसा कि इसमें लिखा है :—

"In addition to the powers conferred on the State Government under sub-section (3) of section 133-A it shall be lawful for the State Government to confer, by notification published in the official Gazette, upon any officer of the Motor Vehicles Department, not being an officer holding a non-gazetted post, the powers :

(a) to investigate into offences punishable under this Act, and for that purpose to enter and search, without warrant, any private land, and any premises between the hours of sun-rise and sun-set with a view to inspect or seize any vehicle that may be found therein, as may have been or is suspected to have been used for commission of an offence punishable under this Act, and may take such steps as may be considered proper by him for the safe custody of the vehicle and its contents."

इसका अर्थ यह हुआ कि जो शक्तियां....

श्री अध्यक्ष—आपके पास हिन्दी का नहीं है ?

श्री मोतीलाल अवस्थी—मूल अंग्रेजी में ही है। सरकार विज्ञप्ति के द्वारा यह प्रकाशित कर देगी वह अफसर जो नान-गजटेड न हो उसको ताकत मिल जाय। वह ऐसे जुर्मों की जांच कर सके जो इस ऐक्ट के अन्दर जुर्म माने जाते हैं और इस कार्य के लिये किसी जगह

प्रवेश या तलाशी कर सकते हैं बिना किसी वारन्ट के, किसी निजी स्थान में, मकान में, सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच और किसी भी गाड़ी को पकड़ सकते हैं जो वहां पायी जाय या जिसके बारे में उनको शक हो। किसी ऐसे जुर्म के बारे में जो इस ऐक्ट के अन्तर्गत जुर्म माना जाता है और ऐसे कदम ले सकता है जिससे वह गाड़ियां सेफ कस्टडी में रखी जायं। इसके आगे दिया हुआ है :—

"Provided that before making a search under this clause, the officer shall call upon two or more responsible persons to attend and witness the search for the vehicle and may issue an order in writing to them or any of them so to do."

इसके साथ शर्त है कि ऐसी तलाशी करने से पूर्व अफसर को चाहिये तो २ या २ से अधिक प्रतिष्ठित पुरुषों को बुला ले और उस तलाशी के वक्त में गवाह की तरह काम करने का भी हुक्म जारी कर दे लिख कर, जब उसको ऐसा करना पड़ जाय :

"Provided further that before seizing the vehicle a list of all the contents of the vehicle seized in the course of such search shall be prepared by the officer and signed by such witnesses, but no such witness shall be required to attend the court, unless summoned by it."

इसके साथ यह भी शर्त है कि जब ऐसी कोई गाड़ी पकड़े तो उसके अन्दर जितने पुर्जे हैं उनकी फेहरिस्त बना ले और वह उन गवाहों के सामने बनायी जायगी तथा अफसर द्वारा दस्तखत किये जायंगे। लेकिन ऐसा कोई गवाह किसी कचहरी में नहीं बुलाया जायगा जब तक कचहरी खुद न बुलाये। इसके स्पष्टीकरण में दिया हुआ है :

"*Explanation*—'Premises' under this clause means any building or part of a building and includes gardens, grounds, garages and out-houses, appertaining to such building or part of a building."

मकानात भी इस क्लाज के अन्दर आते हैं। उनके अन्दर किसी भी इमारत का हिस्सा, उसके साथ उसका बाग, जमीन, गैरेजेज और आउट-हाउसेज भी इसमें शामिल माने जायंगे।

फिर (बी) सेक्शन इस प्रकार है :

"(b) to take, in case of a seizure ofvehicle, or of arrest of a Seigureof person,under section 128, a bond with or without sureties, in accordance with the provisions of Chapter XIII of the Code of Criminal Procedure, 1898, of such amount, as he may think fit, from the person in the charge of the vehicle or connected with the commission of the offence or the abetment thereof punishable under this Act, or the rules made there-under with a view to bind such per- son to appear before a court in connection with the charge; and .,"

इसमें यह अधिकार है कि ऐसा अफ़सर जब कोई गाड़ी ऐसी पकड़े या किसी आदमी को गिरफ्तार करे जो कि दफ़ा १२८ के अन्तर्गत आता है तो बांड लिखवायेगा और कुछ मुचलके के साथ जमानत ले सकता है जैसा कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में होता है और वह रकम ऐसी हो सकती है जो वह उचित समझे। जो आदमी ऐसा काम करने में मदद देगा उसके खिलाफ भी मुचलका लिया जा सकेगा और किसी भी आदमी को कचहरी में जवाबदेही के लिये बुलाया जा सकता है।

आखिर में (सी) सेक्शन में ऐसे अफसर को मुकदमा चलाने का अधिकार दे रखा है सब-सेक्शन २ में यह है —

"(2) The amount of every bond executed under clause (*b*) of sub-section (i) shall be fixed with due regard to the circumstances of each case, and shall not be excessive."

यह कहा गया है कि मुचलका जो लिये जायंगे वह इस बात को देख कर लिये जायंगे कि मामला कैसा है।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

अब सरकार नई शक्ति ले रही है यह कह कर कि ऐनफ़ोर्समेंट ब्रांच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की उतना अच्छा काम नहीं कर सकती है जैसा कि पुलिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत कर सकती है, इसलिये हम यह अधिकार दे रहे हैं। सरकार के इस कथन पर मुझे जरा एतराज है क्योंकि दफ़ा ३३९ में यह कहा गया है कि उनको वे सभी पावर्स मिली हुई होंगी, इन्क्लूडिंग दि पावर्स एक्सरसाइजेबिल बाई दि पुलिस आफ़िसर्स। जब पुलिस को मिली हुई शक्तियां पहले से इसमें मौजूद हैं तो ये अधिकार दिये जाने का कोई कारण दिखायी नहीं देता।

इसके अलावा जो ये विशेष अधिकार दिये गये हैं ये इतने एक्सेसिव हैं कि इनको देख कर हमको मालूम होता है कि इस प्रजातांत्रिक देश में हमारे अधिकारों पर आघात हो रहा है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो ऐसे नये अफसर बनेंगे उनको यह अधिकार होगा कि किसी भी स्थान में बिना किसी वारंट के दाखिल हो सकेंगे और दाखिल होने के साथ-साथ वे जांच कर सकेंगे, गिरफ्तारी कर सकेंगे और किसी के ऊपर शक शुबहा होने पर उस पर मुकदमा चला सकेंगे। अब जो इसमें बचाव किया गया है वह बचाव न होकर एक विषम स्थिति पैदा करने वाला कदम है। क्योंकि इसमें कहा गया है कि दो गवाहों को बुला सकेंगे और उनके लिये पहले से आर्डर हो जायगा कि वे आकर उपस्थित रहें और उन दो जिम्मेदार आदमियों को बुलाने का काम उस अफसर के हाथ में रहेगा। यह नहीं है कि वे दो आदमी उसी स्थान के हों बल्कि ये दो सज्जन वही हो सकते हैं जिनको वह अफसर उचित समझता हो कि मौके पर वे काम देंगे, या यों कहिये कि जो उसके मन के होंगे या उसकी मंशा के साथ-साथ चलने वाले होंगे। तो यह कहना कि यह एक निष्पक्ष कदम है, सही नहीं है।

इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि जब वह किसी गाड़ी को गिरफ्तार करे तो एक लिस्ट बनायेगा और उन गवाहों के उस पर दस्तखत भी ले लेगा। लेकिन वे गवाह जब तक कचहरी न चाहे बुलाये नहीं जा सकते। अब, यह लिस्ट तैयार करने में उन्हीं दो आदमियों की जिम्मेदारी रहेगी जो तलाशी के वक्त भी मौजूद थे और लिस्ट बनाते वक्त भी मौजूद रहेंगे।

अब श्रीमन, आप देखें कि "प्रेमिसेज" की परिभाषा इसमें इतनी विस्तृत कर दी गयी है कि उसमें बाग़ भी आ जाता है, बाकी जमीनें भी आ जाती हैं, आउट हाउसेज वगैरह भी हो सकते हैं। परिभाषायें इतनी विस्तृत कर दी जाती हैं कि कभी-कभी हमारे हाई कोर्ट्स अपनी रूलिंग में यह कहते हैं कि जब सरकार किसी कानून में संशोधन करती है तो ऐसी बातें लाकर रख देती है जो बहुत ही विस्तृत होती हैं या उनसे अर्थ का कुअर्थ निकलेगा और इसके साथ साथ उसका न्यायिक निर्णय भी नहीं हो पायेगा।

अब मैं आपकी आज्ञा से दफा १२८, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट को पढ़ देना चाहता हूं। उसमें लिखा है--

"(1) A police officer in uniform may arrest without warrant any person who commits in his view an offence punishable under section 116 or section 117 or section 126.

Provided that any person so arrested in connection with an offence punishable under section 117 shall be subjected to a medical examination by a registered medical practitioner within two hours of his arrest or shall then be released from custody.

(2) A police officer in uniform may arrest without warrant--

(*a*) any person who being required under the provisions of this Act to give his name and addres s refuses to do so, or gives a name or address which the police officer has reason to believe to be false, or

(*b*) any person concerned in an offence under this Act or reasonably suspected to have been so concerned, if the police officer has reason to believe that he will abscond or otherwise avoid the service of a summons."

श्री अध्यक्ष--आप केवल रेलेवेन्ट हिस्सा पढ़िये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं वही पढ़ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष--आप तो पूरी दफा १२८ पढ़ रहे हैं । मेरा मतलब यह है कि इस दफा का केवल रेलेवेन्ट पोर्शन ही पढ़िये, सारी दफा नहीं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अब एक ही लाइन रह गयी है उसे ही पढ़ कर मैं समाप्त करता हूं । दफा १२८ में आगे है--

"(3) A police officer arresting without warrant the driver of a motor vehicle shall, if the cricumstances so require, take or cause to be taken any steps he may consider proper for the temporary disposal of the vehicle."

इसमें एक पुलिस आफिसर को जो यूनिफार्म में हो उसको अरेस्ट करने का अधिकार है । अब वह चाहे तो बांड लिखा ले चाहे वह श्योरिटी के हो या बिना श्योरिटी के हो । यह चीज इसमें नई बढ़ाई जा रही है और वह एमाउन्ट ऐसा है जिसको वह उचित समझे उस आदमी से ले जिसकी वेहिकिल हो या जो आदमी जुल्म करने के लिये आमादा हो । इसी के साथ-साथ इसमें यह भी कहा गया है कि उस आदमी को कचहरी में हाजिर होना भी लाजमी हो जायगा । यह तो श्रीमन्, अधिकारों को अधिक अधिकार देने की बात हुई । अन्त में बचत दिखाई गई है कि जब कभी ऐसा मुचलका अधिकारी ले तो हर केस की परिस्थिति को देख कर ले जो एक्सेसिव न हो । वह शब्द इस प्रकार से हैं कि "Shall be fixed with due regard to the circumstances of each case, and shall not the excessive."

एक बात जरूर इसमें कही गई है कि वह एमाउन्ट एक्सेसिव न हो । इसका फैसला करने वाला भी वही अधिकारी होगा ।

श्रीमन्, मैं इन शब्दों का विरोध करता हूं क्योंकि बार-बार हाई कोर्ट की रूलिंग हो चुकी है कि जो शब्द सरकार इस्तेमाल करे वह सीमित हों और जिनके निश्चयात्करूप से अर्थ निकल सकें । लेकिन सरकार आजकल के कानूनों में ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है जिनकी अलग-अलग व्याख्या बड़े-बड़े वकील कोर्ट्स में निकालते हैं । ऐसी हालत में सरकार का कर्त्तव्य होता है कि वह ऐसे शब्द इस्तेमाल करे जो निश्चय हों और एक ही व्याख्या देने वाले हों और अधिक व्याख्या उनकी न निकाली जा सके । with due regard to the circumstances of each case, and shall not be excessive." ये शब्द किसी अधिकारी को निरंकुश बना देने के लिये काफी हैं । जो शब्द रखे गये हैं कहीं ये इस कानून को इनवेलिड बना देने में ही कारगर न हों । हमने देखा है कि बहुत से कानूनों में बहुत व्यापक संशोधन हो गये जिनके कारण कानून का मंशा ही बिगड़ गया । मुझे भय है कि इस तरह के शब्द हाई कोर्ट में इसको इनवेलिड बनाने में सहायक न हों । इसलिये इन शब्दों की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमन्, यह कहा जा सकता है कि मोटर मालिकों के जुल्म रोकने के लिये ये कदम उठाये गये हैं । मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे लोग जो ऐसे जरायम करने के आदी हैं चाहे वह धनी हों उनको सरकार को रोकना चाहिये । उनको रोका अवश्य जाय लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं कि जो अधिकारी मुकर्रर किये जायं उनको निरंकुश अधिकार दे दिये जायं जिससे वह मनमाने तौर पर जनता के साथ खिलवाड़ करें । श्रीमन्, हमारा कटु अनुभव है कि जब-जब हमने विशेष अधिकार दिये हैं तो उनका प्रयोग ठीक नहीं हुआ । जब जब से अधिनियम आये हैं चाहे वह सेल्स टैक्स हो या कोई भी हो जिनमें अधिकारों की वृद्धि की गई है तो हमने कहा कि असीम अधिकार देने ठीक नहीं हैं और जनता को यह खलेगा और अधिकारी भी निरंकुश बनेंगे

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

मैं इसी बात को देखता हूं और महसूस करता हूं चाहे वह मोटरों के नियमों के बारे में हो यह यों कहें कि हमारे सामने एक दर्दनाक कहानी है कि आज सैकड़ों मोटरें और ट्रकें ऐसी दुर्घटनाएं रोज पैदा करती हैं, कानपुर जिले में विशेषतौर से उनकी गतिविधि के बारे में सरकार कोई रोक थाम नहीं कर पाती। होता यह, है कि बहुत से निरीह, गरीब, रास्ता चलने वाले, साइकिल और इक्का पर चलने वाले, उन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।

कानपुर में एक बेला रोड है। अगर उस पर एक तरफ एक गाड़ी आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरी कनवेएंस आ गयी, तो टक्कर खाने का मौका आ जाता है। वह सड़क बहुत पतली है। ऐसी घटनाएं कानपुर और लखनऊ के बीच में रोज होती रहती हैं। मुझे कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिला, जब एक आध घटना मैंने न देखी हो। कहीं कोई किसान अपनी बैलगाड़ी के साथ कुचला पाया गया, कहीं कोई आदमी चोटें खाया हुआ पाया गया। यह इसलिए हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई ऐसे नियम नहीं बनाये हैं, जिनसे ऐसी घटनाएं न हो सकें। सरकार कह सकती है कि हम इस सम्बन्ध में कोई सख्त कदम उठाने वाले हैं। अगर इस प्रकार कोई सख्ती का कदम होता है तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्या सरकार इन वेहिकल्स चलाने वालों के साथ सख्ती से काम लेगी भी?

मैं जानता हूं कि इस मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत जब किसी ड्राइवर से दुर्घटना होने पर मुकदमा चलाया जाता है तो उसको लम्बी सजा नहीं मिलती है। केवल साल-छः महीने की सजा हो जाती है। जिनको छः महीने की सजा हो जाती है वह उनको जरा भी खलता नहीं और वे अपनी दुर्घटना करने वाली हरकतों से बाज नहीं आते। सैकड़ों ड्राइवर और मोटर मालिकों को देखा गया है कि मद्य को पी कर ड्राइव करते हैं। जो बदरीनाथ रोड पर दुर्घटना हुई और उस पर सरकार ने एक जांच कमेटी बिठायी है और जिस पर काम रोको प्रस्ताव भी आज आया, यह सब जो घटनाएं हुई हैं, वह इस लिए हुई हैं कि जो ड्राइवर थे वह नशे के प्रभाव में थे। बहुत कम ऐसे ड्राइवर या मोटर मालिक होंगे जो नशे के प्रभाव में न रह कर मोटर का संचालन करते होंगे। क्या हम यह आशा करें कि सरकार कोई ऐसी बंदिश भी लगायेगी कि मोटर ड्राइवर्स की वक्तन फवक्तन यह भी जांच हुआ करे कि वह मद्य पीने वाले हैं या नहीं? अगर मद्य पीने वाले पाये जायं तो उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये जायं।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनमें मेरे कुछ व्यावहारिक सझाव हैं जिससे दुर्घटनाएं कम हों। अगर अधिकारियों को अधिकार देने से दुर्घटनाएं कम हों तो उसमें हमें जरा भी ऐतराज न होगा, लेकिन मुझे शक है कि इससे काम होने वाला नहीं है। केवल सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार आ जाना जिससे वह लोगों की गिरफ्तारी कर सके, मुकदमे चला सके, इससे दुर्घटनाएं कम नहीं हो पायेंगी। सरकार का अधिक अधिकार लेना, उसकी शक्ति बढ़ाने का एक कारण बनेगा। उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अधिकारियों को जो अधिकार दिये जा रहे हैं, उनका वे निष्पक्ष रूप से पालन करें, इसके लिए उन पर कहीं न कहीं चेक भी होने चाहिए।

इस सारे विधेयक में कहीं भी चेक्स लिखे हुये नहीं हैं। कोई एक दफा भी ऐसी नहीं है कि अगर कोई किसी वेहिकिल के मालिक या ड्राइवर को परेशान करे, उसको हैरेस करे, केवल उसकी इज्जत घटाने के लिये या अपना बड़प्पन दिखाने के लिये अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करे तो उसके लिये कोई प्रतिरोधात्मक कार्य किया जा सके। ऐसे सेक्शन्स की आवश्यकता थी। इसके बगैर हम निरंकुश शासकों की रोकथाम न कर सकेंगे। हमारी प्रक्रिया नियमावली में भी आप देखेंगे कि यह लिखा हुआ है कि अगर हम किसी पर आरोप लगाते हैं और वह गलत होता है तो उलट कर के हम पर ही आप ५ सौ रुपया दंड कर देते हैं....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि संक्षेप में आप कहें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--तो इस तरह से निरंकुश अधिकारों पर अंकुश रखने के लिये इसमें कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं है। बल्कि बिल्कुल बेलगाम उन अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। इसलिये इसका भी हम विरोध करते हैं।

इसके साथ ही साथ हम यह भी सरकार से चाहेंगे कि सरकार जब कभी भी ऐसे बिल लावें तो वह हमें बतावे कि इन अधिकारियों के बढ़ाये जाने के कारण सरकार का कितना खर्चा बढ़ेगा। हम हमेशा सरकार के इस वेस्टेज आफ मनी के एक प्रहरी रहे हैं, और सरकार अगर इस प्रकार इन अधिकारियों को बढ़ा रही है तो देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको बढ़ा कर वह अपने कुछ रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाना चाहती है या उनके द्वारा अपने विरोधियों को दबाना चाहती है। पुलिस ने हमारे साथ जो कुछ किया, वह हमने खूब देखा है और आज यही अधिकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिये जा रहे हैं, तो वह हमारे लिये एक दूसरे भूत बनकर पैदा हो जायेंगे। हम अपने प्रदेश में यह चाहते हैं कि हमारी सर्विसेज ऊंचे उठें, देश की सेवा करें। लेकिन हम देखते हैं कि वह दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं, पार्टीबन्दी में पड़े हैं और पक्षपात करने में चूकते नहीं हैं.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध इससे है नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं श्रीमन्, इसलिये यह कहना चाहूंगा कि सरकार इन अधिकारियों पर भी पाबन्दियां रखे। बस, इतना कहकर मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और इसको कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं इसलिये कि इसमें बहुत-सी खामियां हैं, कमियां हैं।

मैं आपकी आज्ञा से यह भी कह दूं कि यह मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट अचानक हमारे सामने आया। हमको एजेंडा पहले नहीं बताया जा सका कि कौन-कौन से बिल आयेंगे अन्यथा हमारी तरफ से यह प्रयत्न किया जाता कि यह किसी प्रवर समिति में जाय जहां कि इसकी खामियां दूर की जा सकें। श्रीमन्, यह विधेयक ढाई महीने से हाउस में आया हुआ था और बराबर सदन में चलता रहा। आखिर तक आ नहीं पाया। आज यह पहले पहल रखा गया है और आज रखे जाने के कारण हम अपने उस प्रवर समिति में भेजने के अधिकार से वंचित रह गये। इसलिये हम यह चाहेंगे कि हमारे जो सुझाव हैं सरकार उन पर ध्यान देगी और बिल को वापस लेकर वह उसे संशोधित रूप में लावेगी जिससे कि हमें उसे प्रवर समिति में भी भेजने का मौका मिलेगा। इन शब्दों के साथ, मैं यह चाहूंगा कि सरकार इसको वापस ले लेगी और अगर लाना ही चाहती है तो दूसरे रूप में हमारे सुझावों के अनुसार संशोधित करके लायेगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था जानना चाहता हूं कि प्रथम वाचन के लिये कितना समय है ?

श्री अध्यक्ष--ढाई बजे तक इस पर प्रथम वाचन समाप्त होगा और उसके बाद राय लेकर तीसरा वाचन होगा क्योंकि आज ही इसको समाप्त होना है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, इस बिल का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस एन्फोर्समेन्ट स्क्वाड में जो लोग रखे जा रहे हैं, इनके रखने की और पुलिस से इसको हटाने की जरूरत इसलिये पड़ी कि काफी उसमें गलत काम होते थे। तो अब इस स्क्वायड में भी वह बुराइयां न आ जायं इनको रोकने की जरूरत है और अगर शुरू में यह एहतियात न बरती गई तो वह बुराइयां जरूर आ जायेंगी और मेरी इत्तला है कि वे बुराइयां आ रही हैं, श्रीमन् मैं चाहता यह हूं कि जब इस स्क्वायड में लोगों की भरती हो तो पहले उनकी सम्पत्ति मालूम कर ली जाय। उनकी सम्पत्ति का पहले डिक्लेरेशन ले लिया जाय। हर ६ महीने नहीं तो हर साल, इस बात को मालूम किया जाय कि उनकी सम्पत्ति कितनी बढ़ी है और कितना उनकी माली हालत में सुधार हुआ है। मैं अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह जो इन्फोर्समेन्ट स्क्वायड काम करता है उसमें कुछ दोष है। वह दोष यह है कि जिन लोगों की गाड़ी फिटनेस के लिये वहां पहुंचती हैं वह चाहे

[श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा]

जितनी ब्रान्ड न्यू गाड़ी हो, अगर गाड़ी पास कराने वाले उनके गड्ढे को पूरा नहीं भरते हैं तो गाड़ी को पास कराने में २, २ और ३, ३ दिन लग जाते हैं। जो आदमी ४०, ५० हजार रुपया सर्फ करके गाड़ी बनाता है उसको एक-एक दिन भारी मालूम होता है और वह तुरन्त अपना काम करना चाहता है जिससे उसका काम चले। वह चाहता है कि जल्द से जल्द उसको गाड़ी को फिटनेस का पास मिल जाय और वह अपनी गाड़ी चालू कर दे । उनका तरीका यह हो गया है कि जब तक उनके लिये कुछ पत्रं पुष्पं न हो जाय, गाड़ी पास नहीं की जाती। पत्रं पुष्पं के बाद गाड़ी, चाहे खराब भी हो, तब भी पास हो जाया करती है ।

मेरा अपना खयाल यह है चाहे गलत ही हो कि श्री बदरीनाथ की यात्रा मार्ग में जो ये दुर्घटनायें हुई हैं इसका कारण यही रहा है कि उनको गलत तरीके से यात्रा के लिये पास किया गया। यदि उनको ठीक तरीके से पास किया गया होता और उनकी फिटनेस को सही तरीके से देख लिया गया होता तो कोई वजह नहीं थी कि ये दुर्घटनायें हो जातीं । यदि इस तराके की दुर्घटनायें होती हैं और ठीक तरीके से उनकी फिटनेस को देखा नहीं जाता है तो फिर जिस पाप को धोने के लिये इन्फोर्समेन्ट स्क्वैड को पुलिस से अलग करके स्वतंत्र संगठन शुरू किया गया है उससे भी मकसद पूरा नहीं होगा । आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि ये जो स्कूल की बसें चलती हैं उनकी फिटनेस के लिये भी देर लगाई जाती है। उनसे भी यह आशा की जाती है कि वह भी इस तरह की चीज करें जिससे वह खुश रहें । भला बताइये कि यदि स्कूल वाले इस तरह से करेंगे तो वे उस रकम को कहां दिखायेंगे । इस तरह से काम नहीं चल सकता है । इस तरह की चीजों की तरफ एतहियात बरतने की जरूरत है तभी यह संशोधन मुनासिब होगा ।

एक चीज और कहना चाहता हूं । इससे पहले जो चेकिंग स्क्वैड काम करता था वह हर वक्त दिन या रात में गाड़ियों को चेक किया करता था । अब मुझे ऐसा लगता है कि उसको पुलिस के हाथ से निकाल रहे हैं । उसके लिये फैसला हो चुका है । दूसरा जो इन्तजाम किया गया है वह इसलिये किया गया है कि यह काम ठीक तरह से चले । उसके लिये अगर शुरू में कुछ ढिलाई रही तो वह आगे और बढ़ जायगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह देखने की बात है कि इसमें खामी न आने पाये। यह जो संशोधन किया जा रहा है, और जो अधिकार दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग न हो सके, वह ठीक तरह से काम कर सके इसके लिये एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं ।

*श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मान्यवर, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बिल का विरोध करने के लिये खडा हुआ हूं। मैंने अभी सदन के एक बहुत सयाने तथा आदरणीय कानपुर के सदस्य को सुना श्रीमन्, यह शिकायत एक स्थान की नहीं है बल्कि जहां तक मैंने सुना हर स्थान से यह शिकायत आ रही है। रीजनल ट्रान्सपोर्ट अथारिटी कमेटी बनाई गई है । उसके लिये सरकार की तरफ से ऐसा रवैया बरता जाता है कि उसकी मेम्बरशिप लोगों को एक तोहफे के रूप में दी जाती है। चाहे वह कमेटी छोटी हो या बड़ी, सरकार हमेशा तोहफे के रूप में अपने पक्ष के लोगों को ही उसमें स्थान देती है । वह यह समझती है कि जितने रीजन हैं उनमें ऐसा कोई न जाय जो उनका विरोध करे या अफसरों का मुकाबला करे । बल्कि ऐसे लोगों को उसमें रखा जाता है जो अपना काम भी निकालते रहें और हां में हां भी मिलाते रहें। इससे सुधार होने की गुंजायश नहीं रहती है ।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

अभी माननीय मेहरोत्रा जी ने एक बात का जिक्र किया कि जो चैरिटेबिल संस्थायें हैं उनकी बसेज से भी, यह डिपार्टमेंट इतना गिर गया है, कुछ घूस की अपेक्षा रखता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस ओर सन्जीदगी से तवज्जह दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक चीज की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं । इसमें बड़ी असमानता है । एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम समाजवादी को मानते हैं, उसमें सब बराबर हैं, लेकिन इसमें बराबरी है नहीं । अगर कोई पब्लिक कैरियर का ड्राइवर पकड़ा जाता है और उस के पास लाइसेंस नहीं रहता, वह कहीं भूल आता है, कपड़े आदि बदलने में, तो उसे माफी नहीं मिलती, लेकिन उसी जगह अगर कोई प्राइवेट वेहिकिल का ड्राइवर है तो उसे छूट है और वह सात दिन के अन्दर अपना लाइसेन्स दिखा सकता है । तो भूल सब से हो सकती है और जो पब्लिक कैरियर वाला है उसे तो बहुत परेशानी रहती है, उस से भूल ज्यादा हो सकती है । इस के लिये भी अगर संशोधन लाया जाता तो बहुत सुन्दर होता ।

इसके अतिरिक्त इस बिल में नकारात्मक शब्दों का अधिक उपयोग किया गया है । अगर माननीय मंत्री जी गौर फरमायेंगे तो देखेंगे कि धारा १३३–बी इस प्रकार है :

"133-B(1) In addition to the powers conferred on the State Government under sub-section (3) of section 133-A it shall be lawful for the State Government to confer, by notification published in the official Gazette, upon any officer of the Motor Vehciles Department, not being an officer holding a non-gazetted post, the powers ;

मैं समझता हूं कि इसमें दो बार जो "ना" "ना" कर के लिखा गया है उसकी जगह पर एक बार हां कहा जा सकता था और वह ज्यादा अच्छा होता । संभव है मेरी अल्पबुद्धि में वह बारीकी न आ सकती हो जो इसमें की गई है किन्तु "upon any officer of the Motor Vehicles Department, not being an officer holding a non-gazetted post," के स्थान पर "upon any officer holding a gazetted post." रखा जा सकता था । पता नहीं इस तरह की गलतियां क्यों हो जाती हैं । इनके कारण ऐक्ट भी अच्छा नहीं बनता और खामियां भी रह जाती है ।

इसके अलावा जमानत के सिलसिले में लिखा गया है कि वह एक्सेसिव नहीं होगी । मैं जानना चाहता हूं कि उससे मंशा क्या है । एक अफसर जिस रकम को एक्सेसिव मान सकता है, दूसरा उसे एक्सेसिव नहीं मान सकता । इसमें रकम लिखी जानी चाहिये थी । इससे लोगों को राहत नहीं मिल सकती । इससे तो एक तमाशा हो जायगा ।

इसके अतिरिक्त जो मोटर वेहिकिल्स के मुकदमें होते हैं उनके लिये विशेष अधिकारी होते हैं । मुझे बदकिस्मती से दो चार मुकदमों को करने का मौका मिला है । मैंने तो, अधिष्ठात्री महोदया, हमेशा यह देखा कि वहां इंसाफ का ढोंग किया जाता है और उसका गला घोंटा जाता है । ड्राइवर्स आते हैं तो उनसे पूछा भी नहीं जाता, उनका बयान भी ठीक से नहीं लिया जाता, बल्कि कोशिश की जाती है कि उस से कबूल करवा लिया जाय । जिसने इकबाल नहीं किया उसे धमकी दी जाती है, डरवाया जाता है और अफसरान मुकदमों को गाजर मूली की तरह से काटते जाते हैं । वहां की कार्यवाही देखने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार का मंशा यह है कि ज्यादा से ज्यादा उन गरीबों का रुपया खजाने में दाखिल किया जाय । मेरा तजुर्बा खासकर पहाड़ों के ड्राइवर्स के बारे में है । उन बेचारों को ८, १० और १२ घंटे काम करना पड़ता है और बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है । खराब रोड्स और वेदर में उनको काम करना पड़ता है और उसके बाद उनकी गलती हो या न हो, मैंने देखा है कि उनको बिला वजह भी परेशान किया जाता है ।

अब आप देखें कि इसमें अधिकारियों को अधिक अधिकार देने की बात भी कही गई है । मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनको और अधिक अधिकार न दिये जायं, नहीं तो उनका बड़ा ही दुरुपयोग होगा । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण भी रखना चाहता हूं पिथौरागढ़ जो बार्डर जिला बना है वहां पर टनकपुर-पिथौरागढ़ वाली सड़क पर एक एस० डी० एम० महोदय की कार जा रही थी । उसके आगे एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को लिये जा रहा था । वह सड़क कम चौड़ी है । एस० डी० एम० की कार ने आगे निकलने के लिये भोंपू दिया, किन्तु

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

चूंकि सड़क कम चौड़ी थी ड्राइवर ने पास नहीं किया और वह कार आगे नहीं जा सकी । इस पर एस० डी० एम० महोदय ने तुरन्त उतर कर उसका चालान कर दिया, सैकड़ों गालियां दीं और उसको परेशान किया । तो इस तरह से यह आफिसर लोग उनको परेशान किया करते हैं । अगर उनको आप और अधिकार देते चले जायेंगे तो उनका वे दुरुपयोग ही करेंगे और उससे जनता का फायदा होने वाला नहीं ।

बद्रीनाथ का भी आज जिक्र आया था । मैं मंत्री जी का अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी विचार के लिये स्वीकार कर लिया है । श्रीमन्, आपको मालूम होगा, जब रेलवे में की उधर काफी दुर्घटनायें हुई थीं तो उस समय मंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल एक कमेटी बना देने से ही काम नहीं चलेगा और न ही कोई स्टेटमेंट आदि देने से ही चलने वाला है । मुझे माननीय मंत्री जी पर, औरों के मुकाबले, ज्यादा विश्वास है और मुझे उम्मीद है कि वे इस ओर विशेष ध्यान देंगे ।

एक बात और देखने में आ रही है और वह यह कि आज कल बसों पर जो गवर्नमेन्ट रोडवेज लिखा रहता था और मछली आदि की तस्वीर लगी रहती थी, अब उसको मिटाया जा रहा है । पता नहीं यह क्यों हो रहा है । हो सकता है अगले चुनाव में उनका प्रयोग हो सके, इस कारण ही हो रहा हो ।

हर बात में कम खर्चे की बात कही जाती है । कारों को बड़ी की जगह छोटा कर दिया गया यह कह कर कि इससे खर्चे में बचत होगी । लेकिन पहले ८ या ९ कारें थीं, अब उनकी जगह १८ कारें हो गई । तो समझ में नहीं आता कि बचत कैसे हुई ?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—अब मंत्री भी तो १८ हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय राममूर्ति जी अपने मुखारबिन्दु से फरमा रहे हैं कि अब उनकी संख्या भी तो १८ हो गई । मैं कहता हूं कि पहले उनकी योजना भी तो यह थी कि वे उनकी संख्या में भी कमी करेंगे, मिनिस्टर कम होंगे, कैबिनेट का एक्सटेन्शन नहीं होगा, चपरासी निकाले जायेंगे । आज मिनिस्टरों की तो भर्ती हो रही है, मगर चपरासियों को निकाला जा रहा है । क्या इसी तरह से बचत होगी ? बहरहाल मैं इतना कह दूं कि यह सब प्रचार के खयाल से ही हो रहा है क्योंकि सन् १९६२ का चुनाव नजदीक आ रहा है । इसी कारण खर्चे को घटाने की बात कही जाती है ।

मैं कहता हूं कि कहीं अच्छा होता अगर इस पर विचार करने के लिये एक या दो दिन का समय और ले लिया जाता । इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये था । आज आफिसर बिना इजाजत के किसी भी शरीफ की बेइज्जती कर सकते हैं और उनका हर काम जस्टीफाइड माना जाता है । वे पब्लिक सर्विस के हैं इसलिये उनका हर कार्य बोनाफाइडी है । तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स आफिसर की तरह मोटर वालों को भी इस किस्म के अधिकार दे दिये गये हैं कि वह जहां चाहें जा सकते हैं । बल्कि मोटर वालों को तो यह भी अधिकार है कि चाहे किसी के आंगन में घुस जाओ, जहां पर कि मोटर भी नहीं जा सकती और यह काम हर तरह से वैध होगा, कोई रोक-टोक नहीं होगी । अगर मोटर वाला अधिकारी जनाने में भी चला जाये तो भी कोई रोक-टोक नहीं है । मोटर नहीं जा सकती, अफसर जरूर जा सकता है, यह क्या तमशा है ?

आदरणीया, आपको याद होगा कि सेल्स टैक्स के बारे में यह कहा गया था कि यह प्राविजन मत रखिये, यह अल्ट्रावायरस हो जायगा क्योंकि हाई कोर्ट में वोटिंग नहीं होती है, हाथ नहीं खड़े किये जाते हैं बल्कि अक्ल लगती है । इसलिये जब हाईकोर्ट के ऐंगिल पर कसा जाता है तो बिल अल्ट्रावायरस हो जाता है । लेकिन माननीय मंत्री जी की तरफ से कोई जांच नहीं की जाती कि लैकुना कहां रह जाता है । बल्कि जितने डेफेक्टिव बिल बनते हैं उनके बनाने वालों को तरक्की ही मिलती है । उनसे यह नहीं पूछा जाता कि आपने गल्ती क्यों की । इसलिये मैं माननीय

मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि पिछले तजुर्बों को मद्देनजर रखते हुये, भले ही इसको प्रवर समिति में न ले जायें, कम से कम यहीं बैठ कर इसको डिसकस कर लें और जो संशोधन आएं उन पर विचार किया जाय ताकि कम से कम खर्चे और समय में यह बिल पास हो जाय । यह मेरा सुझाव है ।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, परिवहन मंत्री ने जो मोटर वेहिकिल संशोधन विधेयक इस सदन के सम्मुख पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरी समझ में यह नहीं आया कि परिवहन मंत्री को यह अधिकार यातायात विभाग के अधिकारियों को देने की क्यों आवश्यकता हुई । मेरी राय में इसके दो ही कारण हो सकते हैं । या तो परिवहन मंत्री को अब अपनी सरकार के दूसरे विभाग, जिसे पुलिस विभाग कहा जाता है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा और यातायात विभाग के कर्मचारी अब पुलिस से इतने तंग आ चुके हैं, पुलिस उनकी निगाह में इतनी अविश्वसनीय हो चुकी है कि अब उस पर कोई विश्वास न करके अपने विभाग के कार्य को दक्षतापूर्वक चलाने के लिये पुलिस के अधिकार वे स्वयं चाहते हैं ।

दूसरा कारण यह हो सकता है कि पुलिस और यातायात विभाग, दोनों ही इस प्रदेश की जनता में अपने भ्रष्टाचार के हथकंडों के लिये प्रसिद्ध हैं, लेकिन यातायात विभाग के कर्मचारी शायद अपनी भ्रष्टाचार द्वारा जनता की गाढ़ी कमाई की लूट में से पुलिस को हिस्सा देने के लिये तैयार नहीं हैं और उसको अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं । इसलिये वह स्वयं सारे अधिकार लेना चाहते हैं । परिवहन मंत्री को इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी होगी । उन्होंने अभी तक इस सदन को बताने की कृपा नहीं की है कि उनको ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जिससे वह पुलिस विभाग के कर्मचारियों के वे अधिकार छीन लेना चाहते हैं । अगर कहीं हमने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया तो जनता में जो एक मसल मशहूर है कि "खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है", हो सकता है कि हमारे इस प्रदेश की सरकार के दूसरे विभाग भी यातायात विभाग की तरह से इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये मांग करें कि उन्हें भी वह अधिकार दिये जायं जो यातायात विभाग के अधिकारियों को दिये गये । अब मौलिक प्रश्न यह है कि क्या परिवहन मंत्री को अपनी सरकार के किसी विभाग के ऊपर विश्वास नहीं रहा है जिससे वह पुलिस विभाग के सारे अधिकार और कर्त्तव्य यातायात विभाग को देना चाहते हैं ? इसकी स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये, और वह कारण बताये जाने चाहिये जिनसे बाधित होकर आज पुलिस के अधिकार छीनने के लिये वह यह बिल लाये हैं ।

सरकार का कार्य एक शरीर की तरह से है । शरीर में विभिन्न अंग होते हैं जोकि देखने सुनने, चलने, फिरने का काम करते हैं लेकिन सारे अंग मिल करके एक शरीर हो जाता है । इसी तरह से सरकार भी विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होती है और हर एक विभागका काम बंटा हुआ है । लेकिन जैसा कि सुना करते थे कि शरीर के अंगों ने इस बात का प्रयत्न किया कि पेट कोई काम नहीं करता है जब कि हाथ उठाने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है और मुंह खाने का काम करता है लेकिन पेट कोई काम नहीं करता, वह खाता रहता है, तो सब अंगों ने अपना काम छोड़ दिया लेकिन बाद में फिर पेट का सहारा लेना पड़ा । तो मैं विनम्र शब्दों में परिवहन मंत्री जी से स्पष्ट घोषणा करवाना चाहता हूं कि आज इतने बड़े अविश्वास का क्या कारण है कि यातायात विभाग के अधिकारियों को पुलिस विभाग के अधिकार देने की इस सदन से आज्ञा चाहते हैं ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एकोनामी का प्रायः नारा बुलन्द कर रहे हैं लेकिन बिल में स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है :

"In addition to the powers conferred on the State Government under sub-section (3) of section 133-A it shall be lawful for the State Government

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

to confer, by notification published in the official Gazette, upon any officer of the Motor Vehicles Department, not being an officer holding a non-gazetted post. . . . . ."

जिस अफसर को आप पावर देना चाहते हैं वह नान-गजटेड पोस्ट होल्ड करने वाला नहीं होना चाहिये। इसका मतलब यह है कि वह गजटेड अफसर होना चाहिये यानी जो काम आजतक आप पुलिस अधिकारियों द्वारा करा रहे थे अब यातायात कर्मचारियों को वह काम सौंपने के लिये गजटेड अफसरों को ये पावर्स देनी पड़ेंगी। उनपर कितना खर्चा होता है यह परिवहन मंत्री और दूसरे सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। एकोनामी का नारा बुलन्द करने वाली सरकार यह अच्छी तरह से समझ ले कि जनता की कमर सरकार के टैक्सों द्वारा टूटी जा रही है। जहां हम जनता को राहत पहुंचाने की आशा करते थे अब गजटेड आफिसर्स बढाने के कारण खर्चा और ज्यादा बढ़ जायगा। आज यातायात विभाग के कर्मचारियों को गिरफ्तार करने, मुकदमा चलाने, वारन्ट जारी करने आदि के सारे अधिकार दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार की मांग अन्य विभागों द्वारा भी की जायगी। साथ ही यह मांग भी रखी जायगी कि अब काम बहुत बढ़ गया है और इनफोर्समेन्ट वाले काम को करने के लिये और दक्षता से चलाने के लिये सैकड़ों गजटेड अफसरों की नियुक्ति भी की जायगी जो कि मोटर वेहिकिल्स अधिनियम के मुताबिक काम कर सकें। क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद सरकार इन पावर्स को देने के लिये कितने गजटेड़ आफिसर्स को नियुक्त करेगी ?

अधिष्ठात्री महोदया, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं। वह यह है कि इसमें साफ तौर पर यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह अधिकारी चाहे सर्च लेने के लिये और चाहे दंड देने के लिये बिना किसी वारंट के किसी भी पब्लिक स्थान में घुस सकता है या सर्च ले सकता है। ऐसा करने का उसको पूरा-पूरा अधिकार है। लेकिन इस प्रकार से पब्लिक की इज्जत के साथ होली खेलने का अधिकार सरकार को किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिये। अब आपने विधान सभा के सदस्यों को यह अधिकार दिया हुआ है कि विधान भवन की बाउन्ड्री के अन्दर किसी भी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह सदस्यों को गिरफ्तार कर सके या कोई भी आदमी बिना अध्यक्ष द्वारा जारी किये हुए पास के बिना इस भवन में प्रवेश कर सके, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा अधिकारी ही वह क्यों न हो। असेम्बली भवन के अन्दर जब हम लोग भी आते हैं तो हमें भी अपने पास अपना पास रखना होता है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि एक दिन जब रेलवे मंत्री श्री जगजीवनराम लिफ्ट पर चढ़ने लगे तो एक गार्ड ने आइडेंटिटी कार्ड मांगा। उनके साथियों और अंगरक्षकों ने जब कहा कि तुम इनको जानते नहीं हो क्या, तो उसने जवाब दिया कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। आप माननीय जगजीवन राम जी रेलवे मंत्री हैं। लेकिन मेरा काम पास को चेक करना है और बिना पास अन्दर जाने से लोगों को रोकना है।

अब मैं अपने परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपके इन शब्दों के क्या माने होते हैं—"एनी प्राइवेट लैंड और एनी प्रिमिसेज" और क्या उनमें विधान भवन भी आता है या नहीं? यहां पर भी लोगों की बहुत सी मोटरगाड़ियां खड़ी रहती हैं क्या इन मोटर गाड़ियों को चेक करने के लिये उनको आज्ञा मिलेगी या नहीं ? अगर विधान भवन के अन्दर उनको ऐसी आज्ञा मिलेगी तो हमें कोई एतराज नहीं होगा कि वे हमारी प्राइवेट लैण्ड में भी जा सकें। लेकिन जब वे एक मंत्री की कोठी में नहीं घुस सकते तो पब्लिक की इज्जत के साथ होली खेलने का अधिकार उनको क्यों दिया जा रहा है ? अभी तक तो मैजिस्ट्रेट के वारंट पर ही सर्च वगैरह ली जा सकती थी लेकिन इस संशोधन के द्वारा यातायात विभाग के अधिकारियों को पूरे-पूरे अधिकार दिये जा रहे हैं। अब उनको किसी भी मैजिस्ट्रेट से वारन्ट लेने की जरूरत नहीं होगी, वे किसी भी प्रीमिसेज में घुस सकते हैं, किसी परिवहन विभाग के अधिकारी को यह इच्छा हुई कि

उसे किसी कोठी में घुसना है तो वह जा सकता है और कह सकता है कि उसे कानून के अन्दर अधिकार है। मैं परिवहन मंत्री से जानना चाहता हूं कि उनके विभाग के कार्य में क्या ऐसी रुकावटें आ गयी हैं जिनसे वे इस प्रकार के अधिकार अपने विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के हाथों में देना चाहते हैं जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ उन्हें किसी न्यायालय से या किसी मैजिस्ट्रेट से भी सर्च वारन्ट लेने की जरूरत ही नहीं है? उन्हें यह भी अधिकार दे देना चाहते हैं कि वे चाहें तो गिरफ्तार किये हुये व्यक्ति को जमानत पर छोड़ें या न छोड़ें?

अगर वे कोई स्वेच्छाचारी शासन स्थापित करना चाहते हैं तब तो बात दूसरी है किन्तु इस प्रदेश में तो स्वेच्छाचारी शासन नहीं है। इस प्रदेश में प्रजातांत्रिक शासन है और उसका दम भरने वाली सरकार जब अपने विभाग के कर्मचारियों के हाथों में स्वेच्छाचारी शासन दने जा रही है तो फिर जनता की आस्था जनतंत्र में कैसे रह सकेगी, यह प्रश्न सामने है। इस तरह के अधिकार अगर उनको दिये जायेंगे तो जैसा स्पष्ट है "खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है", दूसरे विभागों के अधिकारी भी परिवहन विभाग को देखकर मांग करने लगेंगे कि उन्हें भी वह अधिकार दिये जायं। और यदि यह हुआ तो नौकरशाही कायम हो जायगी। श्रीमन् मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं कि धीरे-धीरे इस प्रदेश में नौकरशाही हमारे प्रदेश के जनतंत्र को अपने खूनी पंजों में दबोचती चली जा रही है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट का यह संशोधन चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि जनतंत्र को हड़पने वाला खूनी नौकरीशाही का पंजा आज तेजी के साथ बढ़ रहा है और जनता के वोटों से चूनी हुई सरकार और उसके मंत्री आज उस खूनी पंजे को बल देने के लिये इस तरह से स्वेच्छाचारी अधिकार अपने अधिकारियों के हाथों में दे रहे हैं। मैं बड़े विनम्र शब्दों में जनतंत्र का हामी होने के नाते, नागरिक होने के, नाते और विधायक होने के नाते, तीनों ही नातों से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग स्वयं अपने हाथों से जनतंत्र का गला घोटना चाहते हैं।

आज जनतंत्र की मशाल केवल भारतवर्ष में जलती हुई नजर आ रही है। भारत की स्वाधीनता के साथ पड़ोस के बीसों मुल्कों में स्वतंत्रता आयी किन्तु धीरे-धीरे नौकरशाही ने, मिलिटरी शासन ने, डिक्टेटरशिप का स्थान वहां के शासन में ले लिया और जनतंत्र का गला दबोच लिया, वहां सभी जगह नौकरशाही ने सारा अधिकार अपने हाथों में ले लिया। आज विश्व की आंखें इस विशाल जन संख्या वाले देश के ऊपर जनतंत्र की सफलता देखने के लिये लगी हुई हैं। प्रजातंत्र अगर कहीं कायम है और जिस पर बिश्व की निगाहें लगी हुई हैं तो वह हमारा भारत ही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व में स्थापित राष्ट्रीय सरकार भरसक इस बात का प्रयास कर रही है कि इस देश में जनतंत्र अमर हो। और प्रजातंत्र भी, अमर मशाल को कायम रखने के लिये, उसको सदा के लिये प्रज्वलित रखने के लिये अपना पूरा पूरा प्रयास कर रही है। लेकिन आज जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी की जनतांत्रिक सरकार है, जहां आज देश और प्रदेश में प्रजातंत्र की मशाल प्रज्जवलित है उस मशाल को बुझाने के लिये नौकरशाही के हाथ में स्वेच्छाचारितापूर्ण अधिकार देने का प्रयास करना सरकार की यह दोहरी नीति मेरी समझ में नहीं आती। अगर सचमुच हमारा जनतंत्र में विश्वास नहीं है, अपनी ताकत पर विश्वास नहीं है तो इस तरह से नौकरशाही को पूरा-पूरा अधिकार देकर जैसा कि इस संशोधन के द्वारा हम देने जा रहे हैं, शायद वह दिन दूर नहीं जब कि इस देश में भी प्रजातंत्र की वह मशाल बुझ जायगी और यहां पर भी डिक्टेटरशाही या तानाशाही कायम हो जायगी और नौकरशाही नंगे रूप में हमारे सामने खुल कर खेलेगी। वे जिस तरह से चाहे कर सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर मैं परिवहन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रजातंत्र की रक्षा करने के लिये इस नौकरशाही को इस तरह के स्वेच्छाचारितापूर्ण अधिकार देने का प्रयास न करें। इस तरह से कोई भी विभाग एक दूसरे विभाग के साथ सहयोग नहीं करेगा। जिस तरह से पहले पुलिस विभाग के सुपुर्द ही इनवेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आदि का काम था उसी तरह

[श्री जगन्नाथ लहरी]

से यातायात विभाग सम्बन्धी काम भी अपने विभाग के अधिकारियों को न देकर उस पुरानी व्यवस्था को ही कायम रखें।

तीसरी बात यह है कि १३३–ए में जो संशोधन की बात की जा रही है उसके आगे चल कर बड़ी मुश्किल पैदा हो जायगी इसलिये इसको ऐसे ही कायम रखा जाय। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे सामने एक विपत्ति आ जायगी। कोई विभाग एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेगा और हर विभाग अपनी तरफ ही खींचेगा। इसका नतीजा यह होगा कि इस प्रदेश में अधिकारियों की बढ़ती हुई फौज का खर्चा बर्दाश्त करना भी असह्य हो जायगा और यह एक तरह से बड़ी मुसीबत की बात हो जायगी।

माननीया, सन् १९३७ में जब इस प्रदेश में पंडित गोविन्दबल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस सरकार स्थापित हुई थी तो उस समय यहां का बजट १२ करोड़ रुपये का था जिसमें से जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ७ करोड़ रुपया खर्च होता था। उसके बाद सन् ४६ में या देश के स्वतंत्र होने के बाद जब हमारा बजट ४० करोड़ का बना तो नौकरशाही का खर्चा २२ करोड़ रुपये हो गया। फिर ५७ में जब बजट बना तो १२ करोड़ के आठ गुना यानी ९६ करोड़ का तो बजट बना और नौकरशाही पर ७ करोड़ की जगह ६० करोड़ खर्च होने लगा। आज जब कि हम सन् १९६१ से गुजर रहे हैं मेरा विश्वास है कि नौकरशाही पर लगभग ९० करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ७ करोड़ से बढ़ते बढ़ते यह खर्चा ९० करोड़ हो गया। इस तरह से अगर हम एक विभाग से कोई चीज छीन कर दूसरे विभाग को दे दें और इस तरह से विभागों में समन्वय कराने का प्रयास करें तो हमारा खयाल है कि अधिकारियों की फौज इतनी अधिक बढ़ जायगी कि करीब १०० करोड़ रुपया इन अधिकारियों पर ही खर्च होगा। इस तरह से इस प्रदेश की बहुत बड़ी धनराशि इन कर्मचारियों पर खर्च हो रही है और मैं समझता हूं कि यह हमारे लिये एक शर्म की बात है कि ७ करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज बजट का करीब तीन चौथाई इन कर्मचारियों पर ही खर्च हो जाय। फिर भी इन कर्मचारियों को आज स्वेच्छाचारितापूर्ण अधिकार देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मैं समझता हूं जनता को राहत दिलाने के लिये जो इकोनामी का नारा नये मुख्य मंत्री द्वारा बुलन्द किया जा रहा है, अगर वे सचमुच ही इकोनामी करना चाहते हैं तो वे इन अधिकारियों को नये अधिकार न देकर पुराने अधिकारियों से ही काम लें, लेकिन अगर वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा असली मकसद ही निर्मूल हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार और अपने परिवहन मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे जनता को राहत पहुंचाना चाहते हैं तो इस मशाल को प्रज्वलित रहने दें, और इसलिये उनको इस संशोधन को वापस ले लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, यह जो मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० इस समय सामान्य विवाद के लिये प्रस्तुत है, उसके उद्देश्य तथा कारणों में लिखा हुआ है कि "परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा (एनफोर्समेंट ब्रांच) के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस शाखा में अब वे अधिकारी रह गये हैं जो पुलिस अधिकारी नहीं हैं। इन्हें भूगृहादि की तलाशी लेने, अपराधियों को गिरफ्तार करने, जमानत लेने तथा मुकदमे चलाने के संबंध में वे अधिकार प्राप्त नहीं हैं जिन का प्रयोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन पुलिस कर्मचारी किया करते थे।"

मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर के जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसे पढ़ें। हमारा विश्वास है कि अगर वह उसे पढ़ेंगे तो जिस ढंग का संशोधन

बिल यहां प्रस्तुत है वह उसे नहीं लायेंगे। इस विधेयक को लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो काम पुलिस के लोग अभी तक किया करते थे उस काम को यह सरकार आगे अपने यातायात विभाग के अफसरों द्वारा कराना चाहती है। यातायात विभाग बराबर इस बात की सफाई देता रहा है कि चूंकि हमारे असिस्टेन्ट ट्रेफिक इंसपेक्टर के पास अधिकार नहीं हैं इसलिये जो मोटर सम्बन्धी दुर्घटनायें होती हैं या दूसरी यातायात सम्बन्धी कार्यवाहियां हुआ करती हैं जो कि जन हित में नहीं हैं उनकी रोकथाम नहीं की जा सकती। अक्सर यातायात विभाग की तरफ से सफाई आती रहती हैं, उसी को दूर करने की सम्भवतः यह इस विधेयक द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब हम इस संशोधन विधेयक को पढ़ते हैं तो यह बात स्पष्टतः लक्षित होती है कि सरकार नाम लेती है कुछ और करना चाहती है कुछ और, इस सरकार की कुछ ऐसी आदत सी बन गई है कि वह नित्यप्रति नये-नये संशोधनों द्वारा अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथ में लेती चली जाती है। निश्चित रूप में आज जो लोग अपने को जनतन्त्रवादी कहते हैं, जो अपने को डेमोक्रेट कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अब भी चेतें और सोचें कि क्या कहीं ऐसी स्थिति तो अपने देश में नहीं पैदा हो रही है कि जनतन्त्र के नाम पर लोगों में घृणा पैदा हो जाय? आप जनतन्त्र के बारे में सोचें कि क्या सरकार आज जनतन्त्र के नाम पर अपराधों की रोकथाम के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर कहीं तानाशाही रूप तो ग्रहण नहीं करती जा रही है?

मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब कि कल आदरणीय अध्यक्ष महोदय के बुलाये जाने पर माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त, श्री त्रिलोकीसिंह, जनसंघ तथा कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मौजूद थे, बन्दा भी वहां शफीक अहमद तातारी के साथ हाजिर था। वहां यही प्रश्न आया कि जनतंत्र के विकास के लिये किन-किन चीजों की जरूरत है। सभी विचारक इस बात को मानते हैं कि जनतन्त्र में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो जनतन्त्र में व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा और महिमा और सुरक्षा का अधिक से अधिक प्रबंध हो दूर तक इस तरफ हम जाते हों। हमारे संविधान में भी यह बात स्पष्ट है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा हो। मैं बताना चाहता हूं कि आज यह सरकार जनतांत्रिक प्रणाली से कितनी दूर चलती चली जा रही है कि जो इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनिल प्रोसीजर कोड अंग्रेजी साम्राज्यशाही के जमाने के बने हुए थे उनमें जितने अधिकार पुलिस कर्मचारियों को दे रखे थे उनसे भी ज्यादा अधिकार आज कांग्रेस सरकार यातायात विभाग के कर्मचारियों को देने जा रही है। मैं आज सरकार की बुद्धि को चुनौती देना चाहता हूं, सरकार की जनतांत्रिक प्रतिभा को चुनौती देना चाहता हूं कि वह साबित करे कि आज ऐसी कौन-सी आवश्यकता आ गई कि सरकार इस प्रकार के संशोधन को लाकर अधिक से अधिक ताकत अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है।

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आप स्वतः जानती होंगी, क्योंकि कानून की जानकारी आपको है कि जहां कहीं भी तलाशी का प्रावीजन है वहां पर यह बात मानी गई है कि २ प्रतिष्ठित सज्जन उस क्षेत्र के साथ में रहें। जब तलाशी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक पुलिस के कर्मचारी लेने जाते थे तो जहां तलाशी लेने जाते थे उस लोकेलिटी के दो प्रमुखप्रतिष्ठित सज्जन उनको अपने साथ लेने होते थे। यह जरूरी था। लेकिन अब क्या कहते हैं? उन्होंने 'लोकेलिटी' शब्द निकाल दिया है। उसमें 'टू इम्पार्टेन्ट परसंस आफ दैट लोकेलिटी' नहीं है बल्कि 'टू इम्पार्टेन्ट परसंस' है। इन्होंने कह दिया कि यातायात विभाग के जो कर्मचारी वहां जाएंगे वह साथ में टूइम्पार्टेन्ट परसंस को ले लेंगे। यानी जब वह रोडवेज के कर्यालय से उठे तो वहीं से आपने दो मित्रों को ले लिया या जो उनके साथ सांठ-गांठ किये हुये उन्होंने ले लिया और १५ मील दूर तलाशी लेने चले गये। जिनके घर में तलाशी ली जा रही है वह उनको जानते तक नहीं। जिनको साथ लिया है उन्हें पहले से ही कुछ सामान दे दिया गया हो इसकी कोई जानकारी उसको नहीं होने पायेगी।

[श्री राजनारायण]

मैं जानना चाहता हूं कि आज इस संशोधन विधेयक के जरिये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 'आफ दैट लोकेलिटी' शब्द थे उनको क्यों हटाया जा रहा है ? सरकार का क्या मंशा है ? क्या यह जनतंत्र है ? क्या यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण है ? क्या यह व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा है ? बड़े-बड़े व्यापक और सुन्दर शब्द हमारे संविधान में भरे पड़े हैं लेकिन वह अनावश्यक हो गये हैं, ऐसा लगता है कि सब निरर्थक हो गये हैं। इस सरकार के सामने उनके कोई माने नहीं है। इसलिये मैं जोर के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार यदि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये दत्तचित्त है तो उसके तदनुरूप संशोधन लाये। यह नहीं कि नाम तो दुर्घटनाओं की रोकथाम का ले और उसमें इतनी अपार शक्ति अपने हाथ में ले ले कि तलाशी का मखौल हो जाय। इसलिये मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि ऐसा प्रावीजन इसके अंदर क्यों रखा है ? क्यों सरकार समझती है कि यातायात विभाग के कर्मचारी दूध के धोये है ? वह जिस व्यक्ति को जहां से चाहें पकड़ लें, चाहे वह ४२० हो, कातिल हो, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो और उससे कहें कि चलो तुम्हारे सामने हम तलाशी ले रहे हैं। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भी अधिक अधिकार सरकार यातायात विभाग को दे रही है। सरकार की तरफ से इसका स्पष्ट उत्तर आना चाहिए।

इन्होंने इसी संशोधन विधेयक में यहां तक भी कह दिया है :—

"'Premises under this clause means any building or part of a building and includes gardens,grounds, garages and out-hous es appertaining to such building or part of a building."

कहते हैं प्रेमिसेज में बाग आउट–हाउसेज सभी शामिल हैं। इसके बारे में जरा सफाई होनी चाहिये कि प्रेमिसेज का जो अर्थ सरकार कर रही है यह ठीक है ? मेरी समझ में इतना व्यापक अर्थ नहीं करना चाहिये।

इसी के साथ-साथ आप देखें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तलाशी बिना वारन्ट किसकी ली जा सकती है, कब ली जा सकती है पुलिस अधिकारी के जरिये ? जब कि काग्नीजेबिल आफेंस हो तभी बिना वारन्ट तलाशी होती है। मगर यहां बिलकुल छूट है जो चाहो करो। मामूली से मामूली बात के लिये जो अपराध की परिधि में आती हो, यातायात विभाग के कर्मचारी जा करके तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं। यह कोई मामूली अधिकार है ? मैं कहना चाहता हूं ऐसा विधेयक संशोधन के रूप में वही सरकार ला सकती है जो साम्राज्यवादी सरकार से बुरी होगी, जो तानाशाही सरकार से भी खराब होगी। जनतांत्रिक सरकार ऐसे संशोधन विधेयक के जरिये अपने किसी भी कर्मचारी को अधिकार नहीं दे सकती, उससे ज्यादा नहीं दे सकती जो साम्राज्यशाही के जमाने में पुलिस अधिकारियों को हासिल थे। मैं जानना चाहता हूं, आखिर सरकार है क्या ? नित्य प्रति राम राज्य, गांधी जी, जनतंत्र और सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दुहाई देने वाली सरकार अपने कर्मचारियों को वह अधिकार देने जा रही है जो आज तक साम्राज्यशाही शासन में भी नहीं थे। इसलिये ऐसे संशोधन विधेयक जो जनतंत्र पर कालिख पोतें, जो जनतंत्र की पद्धति के अनुसार जनता को अधिकार मिले हैं उनको छीनने वाले हों उनका विरोध होना चाहिये। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह सदन में साधु शक्ति प्रस्फुटित करें जिससे सरकार इस विधेयक को वापस ले ले।

मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं इधर प्रदेश के बाहर रहा, इसको प्रवर समिति में भेजने का संशोधन आया है या नहीं ? अगर नहीं तो सरकार स्वतः अपनी ओर से ला सकती है और वहां पर इन दिक्कतों पर विचार किया जा सकता है। जो इससे बड़े-बड़े खतरे हो सकते थे उनकी ओर तो मैंने थोड़ा-सा इशारा किया ही है। यों तो और बहुत-सी बातें हैं जिनकी चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की।

अभी बदरीनाथ सड़क पर जो दुर्घटनायें हुयीं जिनकी चर्चा कानपुर के एक माननीय सदस्य ने की, दूसरी जगहों की दुर्घटनाओं की भी चर्चा की कि ऐसी दुर्घटनायें हो रही हैं जिनके रोकने

के लिये जरूरी है कि यातायात विभाग के कर्मचारियों को अधिकार दिये जायं। मैं कहना चाहता हूं अगर दुर्घटनाओं को रोकना है तो उसके लिये ऐसे विधेयक लाने की जरूरत नहीं है। दुर्घटना को रोकना होता और सरकार चाहती तो हमने अपने सुझाव भेज रखे थे। हम भी २० दिन तक उत्तराखंड का दौरा करके आये हैं उसी सड़क से गये थ, हमने किराये की जीप ली थी लेकिन दुर्घटना नहीं हुई क्योंकि प्राइवेट गाड़ी थी जिसको हम अपने ढंग से चलवाते थे। ड्राइवर को जहां कहीं वह लापरवाही करते हुये नजर आता था, हम रोकते थे कि नहीं, इस ढंग से गाड़ी नहीं चलानी चाहिये, कायदे से गाड़ी चलाओ।

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, वहां से आने के बाद हम से श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट विभाग के डिप्टी कमिश्नर माथुर साहब से मुलाकत हुई। मुझे खुशी है कि उस समय डाक्टर राममनोहर लोहिया भी वहां विद्यमान थे। हमने उनसे कहा कि इस सड़क पर आप अपनी गाड़ियों को क्यों नहीं चलवाते है, क्यों इस सड़क का राष्ट्रीयकरण नहीं होता, क्यों यह व्यक्तिगत मालिकों के हाथ में आज तक है? जहां पर सारे देश और विदेश के यात्री आते हैं, जहां पर हजारों की तादाद में रोज लोग चलने के लिये आते हैं वहां की सड़क व्यक्तिगत हाथों में दे कर के आज सरकार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है यह बात सही है। हमारे समय में भी मिलिटरी की एक गाड़ी गिरी थी जिसका एक अंश भी नहीं दिखायी पड़ा और जो पुलिस के दारोगा जांच के लिये गये थे उन्होंने कहा कि साहब कौन कह सकता है कि ५० आदमी मरे या १०० आदमी मरे। बड़ी लारी थी और उसमें कुछ साधु भी बैठे थे। हमने कहा कि साधु क्यों बैठे थे? उन्होंने बताया कि जब चलते चलते साधु लोग थक जाते हैं तो वे मोटर वालों से कहते हैं और मोटर वाले उन्हें बिठा लेते हैं। तो क्या मोटर वाले उन्हें ऐसे ही बिठा लेते हैं? नहीं, वे उनसे कुछ न कुछ लेते हैं। यह दूसरी बात है कि दस रुपया की जगह एक ही रुपया लेते हों, आठ आने की जगह दो आने ही लेते हों लेकिन कुछ न कुछ लेते हैं और ले कर छिपाना चाहते है, इसलिये तेज गाड़ी चलाते हैं और उसी में दुर्घटनायें होती हैं।

मैं आज भी इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार दुर्घटनाओं को रोकना नहीं चाहती। यह सरकार अपने कुकर्मों के जरिये दुर्घटनाओं को करवा रही है। अगर जनातांत्रिक प्रणाली का मान होता तो इतनी दुर्घटनाओं के बाद यातायात विभाग के मंत्री इस्तीफा दे चुके होते और मैं आज भी यह मांग करता हूं कि यातायात विभाग के मत्री इस्तीफा दें। अभी तक उन्होंने कौन-सी कार्यवाही और कौन-सी जांच-पड़ताल इस सम्बन्ध में की, कोई कार्यवाही नहीं हुई, नित्यप्रति दुर्घटनायें बढ़ती जा रही हैं। और जब हमने सरकार को लिख कर भेजा कि वह इस सड़क का राष्ट्रीयकरण करे तो २२ जुलाई, १९६१ को जब हमारी प्रेस कान्फ्रेन्स हो रही थी तो समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों ने सूचना दी कि सरकार ने २० तारीख को यह ऐलान कर दिया कि वह इस सड़क का राष्ट्रीयकरण नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से क्यों नहीं राष्ट्रीयकरण करेगी? कि जब हमारे मैदानी इलाकों में सड़कों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो पहाड़ी इलाकों में न होने का क्या कारण है?

श्री अधिष्ठाता—आप जरा बिल पर ही बोलिये।

श्री राजनारायण—मैं उसी पर बोल रहा हूं। क्षमा कीजियेगा, जो चर्चा यहां हो गई है उसी का जवाब दे रहा हूं। आपके द्वारा मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस दिन मैं पीपल कोठी के डाक बंगले में था उस दिन मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में उन यात्रियों को जिनसे जोशीमठ तक का किराया लिया गया था और वहां तक का टिकट दिया गया था पीपलकोटी के दो, तीन मील पहले ही उतार दिया गया और वे यात्री बेचारे, पानी बरस रहा था, भीग रहे थे और अपना सामान सिर पर रख कर इधर उधर भाग रहे थे, पीपलकोटी में इतनी जगह भी नहीं थी और न कोई इतना बड़ा धर्मशाला ही है कि जहां पर वे यात्री टिक सकते। बाद में दूसरे दिन हमने कर्मचारियों को कहा कि जब जोशीमठ तक का किराया लिया तो वे बसें वहां तक क्यों नहीं ले जायी गयीं? उत्तर आता है कि दूसरे पुल के बाद उनको

[श्री राजनारायण]

दूसरी बस मिलेगी जिसका उनको किराया नहीं देना होगा। केवल किराये की बात नहीं है। अगर सरकारी बस होती तो क्या इस प्रकार का काम होता? नहीं होता। क्या अगर उस सड़क का राष्ट्रीयकरण किया गया होता तो इस प्रकार यात्रियों पर मुसीबत आयी होती? नहीं आयी होती। बात क्या थी? बात यह थी कि उन बसों को जल्दी ही दूसरी जगह वापस ले जाना था और फिर वहां से यात्रियों को ले जाने का प्रोग्राम था। इस तरह से रात रात भर ड्राइवरों को दौड़ाया जाता है। अगर रात-रात भर इस तरह से ड्राइवरों को परेशान किया जायगा तो दुर्घटनायें होंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता है। अगर दुर्घटनायें रुक सकती हैं तो केवल इसलिये कि उस सड़क का राष्ट्रीयकरण हो जाय। मैं जानना चाहता हूं कि बार-बार इस मांग के होने पर कि इसका राष्ट्रीयकरण हो, आज तक सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया? सरकार के पास इसका क्या उत्तर है?

माननीया अधिष्ठात्री महोदया, बड़े-बड़े तीर्थ स्थान हैं और यहां पर केवल एक ही सड़क है और हमें जगलरी सिखाई जा रही है, जादूगरी सिखाई जा रही है कि विभाग अलग-अलग हैं। चाहे यातायात विभाग हो, चाहे आबकारी विभाग हो, लेकिन यह कांग्रेसी सरकार है और यह सम्मिलित जिम्मेदारी कहलाने वाली सरकार है और केबिनेट की संयुक्त जिम्मेदारी है। क्या यह सरकार दम नहीं भरती है कि पूज्य बापू के आदेश पालन के लिये शराबबन्दी होनी चाहिये? क्या इस सरकार ने शराबबन्दी से होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये सेल्स टैक्स लगाने की बात नहीं कही थी? लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऋषिकेश तथा श्रीनगर जैसे स्थानों में बड़ी-बड़ी शराब की दुकानें आजकल भी विद्यमान हैं जहां पर मोटरें खड़ी होती हैं।

हमें खुशी है कि यातायात विभाग के अधिकारियों ने हम से कहा कि चलिये शराब की दुकान देख लीजिये। वहां पर दिन रात शराब बिकती है। जहां पर ड्राइवर जब थक जाते हैं, अपनी थकान मिटाने के लिये शराब पीते हैं। यह उनकी बुरी आदत है, गन्दी आदत है। हमने इसके लिये यहां से पत्र लिखा कि शराब बन्द करा दी जाय और यदि हमेशा के लिये नहीं करा सकते तो कम से कम यात्रा के समय तक के लिये तो बन्द करा दी जाय। लेकिन सरकार कहती है कि इससे हमारे राजस्व को हानि होगी। तो फायदे के लिये शीर्षासन कीजिये, नंगे होकर घूमिये। क्या इस तरह से राजस्व पूरा किया जायगा? क्या मान मर्यादा को तिलांजलि देकर राजस्व पूरा किया जायगा? चन्द्रभानु गुप्ता जी पता नहीं इस समय कहां हैं? अगर उनके पास सुनने वाली मशीन लगी होगी तो वह सुनते होंगे और हम चाहते हैं कि उनके कानों के परदे को छेद करके उनके कानों तक हमारी आवाज पहुंचे। एक सैकेन्ड का विलम्ब किये बिना इस सड़क का राष्ट्रीयकरण हो और इसके लिये जो अधिकार आप चाहते हैं उनको हम देने के लिये तैयार हैं। यह यात्रा अक्तूबर मास तक चलेगी। इसलिये हम चाहते हैं कि वहां पर शराब की दुकानें बन्द करा दी जायं। एक भी दुकान शराब की वहां न खुलने पाये। इससे जो राजस्व की हानि होगी उसको पूरा करने के लिये अन्य मार्ग हो सकते हैं। जहां का करोड़ों रुपये का बजट हो वहां पर इस तरह के कुकर्म उस सरकार के जरिये किये जायं जो अपने को जनतंत्रवादी सरकार कहती है तो यह अपने हाथ से कालिख पोतने के समान है।

इन बातों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और कानपुर के माननीय सदस्य से सहमत हूं कि दुर्घटनाओं को रोकथाम करने के लिये यातायात विभाग के अधिकारियों को इतने जबर्दस्त अधिकार नहीं मिलने चाहिये। यह साम्राज्यवादी व्यवस्था से भी ज्यादा बड़े अधिकार अधिकारियों को दिये जा रहे हैं। इसलिये मैं इस संशोधन विधेयक का विरोधी हूं। लेकिन इसी के साथ-साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि दुर्घटनाओं को सख्ती के साथ रोका जाय, अपराधों को भी सख्ती के साथ रोका जाय लेकिन गैर कानूनी तरीके अख्तियार करके नहीं।

जब हम शक्ति की बात कहते हैं तो जनतांत्रिक शक्ति से हमारा तात्पर्य होता है सत्ता को विकेन्द्रित करने वाली शक्ति, उस शक्ति के द्वारा अपराध रोके जायं, दुर्घटनायें रोकी जायं, हमें प्रसन्नता होगी। इनकी रोकथाम के लिये मैं माननीय मंत्री जी से आग्रहपूर्वक, सम्मान, आदर और इज्जत के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वह अपने सम्मान, इज्जत और आदर की सुरक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें त्याग पत्र देना चाहिये। चुनाव का समय भी है। कोई बहुत दिन भटकना भी नहीं है। एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, चाहे एलेक्शन के लियेस्टंट ही खेला हो, लाल बहादुर जी ने उसको खेला, तो उसकी तारीफ हुई। तो क्या उत्तर प्रदेश के यातायात विभाग के मंत्री महोदय उस आदर्श का अवलम्बन नहीं करेंगे? अगर अवलम्बन करेंगे तो हमें विश्वास है कि रोकथाम होगी दुर्घटनाओं की और जल्दी होगी।

मैं समझता हूं कि माननीया आप अपने मन में सोच रही हैं कि अब मुझे ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये। आप की भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। अभी हमारे बहुत से मित्र बोलने वाले हैं। हमने थोड़ा सा यहां एक चित्रण कर दिया और हमने जो पहले मांग की थी सरकारीकरण करने की—यह सरकार सरकारीकरण करके जो उस को राष्ट्रीयकरण की संज्ञा देती है वह भी कर दे तो आज काफी है। हमारी मांग को सरकार ने ठुकराया। १९, २० या २१ को उसने फैसला किया कि राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करे। यह सही है कि सरकार को मोटर मालिकान आगामी निर्वाचन में काफी पैसा देंगे। यह सही है कि गत रानीखेत के आम निर्वाचन में मोटर मालिकों ने कई प्रकार से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की सहायता की थी जिसकी जानकारी हमें है और हम साबित करने के लिये तैयार हैं। सारे ट्रकों के नम्बर मौजूद हैं। माननीय गुप्त जी को हम ने दिखाया भी था। सरकार ने राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया? केवल एक बात झलकती है। आगामी आम निर्वाचन के अवसर पर मोटर मालिकों से सरकार एक बड़ी थैली लेना चाहती है। सरकार कहेगी कि राजनारायण और सोशलिस्ट पार्टी और दूसरे लोग सड़कों के राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं और देते नहीं हो, तुम्हारे लिये मैं कितना लड़ता हूं, तो हमें एक काफी रकम दो। इस प्रकार से काफी रकम ले कर पैसे वालों के धन से गरीबों के वोट खरीदे जायेंगे। गांधी जी के शब्दों में किसी भी राष्ट्र का नवनिर्माण साजिश और तिकड़म से नहीं हो सकता है। राष्ट्र का नव निर्माण करने के लिये आदर्श, त्याग, कष्ट सहने की क्षमता प्रस्तुत करनी पड़ेगी तब जा कर समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना हो सकती है वरना नहीं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य सरकार से आग्रह करें कि सरकार इस विधेयक को वापस ले, प्रवर समिति में ले जाय। अगर सरकार ऐसा नहीं करे तो सदन सरकार के इस विधेयक को मान्यता प्रदान करने से ठुकरा दे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, यह जो प्रस्तुत विधेयक है उसके विरोध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय राजनारायण जी ने अधिकारियों के सम्बन्ध में कहा है और जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा है—पहले जो पुलिस अधिकारियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन अधिकार प्राप्त थे, तलाशी लेने का, मुकदमे चलाने का और बिना वारन्ट के गिरफ्तारी करने का पूरा अधिकार था, अब वे इनफोर्समेंट विभाग से पुनस्संगठन में हटा दिये गये। तो यह कर्मचारी जो रखे गये उनको भी यह अधिकार देना चाहिये। माननीया, इसकी एक बड़ी अजीब कहानी है, एक बड़ा दर्दनाक इतिहास है। यह हुआ क्यों? माननीय मंत्री जी जरूर इसकी जानकारी रखते होंगे और मुझे भी थोड़ी सी इसकी जानकारी है। करीब करीब दो साल पहले की बात है जब पुलिस विभाग के आफिसर्स डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस के रैंक के इसके लिये होते थे। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि इसकी बता दूं। तो वह इस विभाग में इनफोर्समेंट आफिसर बन कर आये और उन्होंने अपना काम शुरू किया। उसमें कुछ ऐसा था कि बहुत से राजनीतिक पीड़ित भी थे। अगर दस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस विभाग में काम करने आये

[श्री उग्रसेन]

तो उसमें दो चार पोलिटिकल सफरर भी थे। उन्होंने जो कुछ काम किया उनके उस काम से और विभागीय काम से बड़ा फर्क था और उसकी वजह से उनमें एक कशमकश चल गई। यह कशमकश चलते-चलते बिलकुल ऊंचे स्तर तक चली गई और माथुर साहब जो उस समय इंस्पेक्टर जनरल पुलिस थे उनमें और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अफसरों में यह कशमकश चली। तो उस पर यातायात मन्त्रालय ने यह निकाला कि अब हमें आपके आफिसर्स की जरूरत नहीं है। हम अपने अन्तर्गत ही ऐसे विभागीय अधिकारी उसमें रखेंगे जो तमाम गाड़ियों की चेकिंग किया करेंगे। नतीजा यह हुआ कि विभाग के आदमी ही ए० आर० टी० ओ० बना दिये गये और नया ऐक्ट उसके लिये बनाने की और १३३-३ (झ) में कुछ संशोधन होने की बात आयी। इस पर बड़ी लिखा-पढ़ी हुई। फिर वे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस चले गये और यह कहा गया कि इनफोर्समेंट ब्रांच का पुनर्संगठन कर दिया गया। एस० एस० आई० और स्टेशन आफिसर वगैरह जो थे उन्हीं को इसमें तरक्की देकर ए० आर० टी० ओ० बना दिया गया। इस तरह से पुलिस विभाग और यातायात विभाग अलग हो गया।

एक बात मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा और उम्मीद रखता हूं कि विभाग के मंत्री के नाते वह जरूर उसका उत्तर देंगे। जब वह डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस यातायात विभाग में काम करते थे तो उनको क्या वेतन पुलिस विभाग से मिलता था? अब जब वह हटा दिये गये तो इतने जो अधिकारी उनकी जगह पर रखे जायेंगे--अब मैं इस पर राय नहीं देता कि उनका काम अच्छा था या बुरा था---लेकिन इससे सरकार पर वित्तीय भार तो बढ़ा ही और काम वही हुआ जो वह करते थे। काम का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ आपसे कहता हूं कि पहले तो दो शक्तियों में संघर्ष था। अगर आर० टी० ओ० चाहता था कि सरकारी रोडवेज की गाड़ियों का चालान न हो तो पुलिस वाले नहीं मानते थे, जरूर उसका चालान करते थे। आज क्या हो रहा है? आज यह हो रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों के तो नट और बोल्ट भी देखे जा रहे हैं और वह अगर जरा से ढीले हुए तो उनका चालान किया जा रहा है। ए० आर० टी० ओ० ऐसी प्राइवेट गाड़ियों को जरूर देखते हैं। लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की रोडवेज की गाड़ियां हैं, मैं आपसे बताऊं कि रोडवेज के स्टोर्स में कितनी कमी है, गाड़ियों में ब्रेक तक नदारद, बड़े-बड़े सामान नदारद, लेकिन ट्रान्सपोर्ट अधिकारी चले जा रहे हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। प्राइवेट गाड़ियों की वह जरूर चेकिंग करते हैं। तो इस तरह से यह खर्चा क्यों बढ़ाया गया? मैं समझता हूं कि पहले जो काम होता था वह ज्यादा अच्छा था। उन पुलिस अधिकारियों को केवल वही अधिकार था हस्तक्षेप करने का और तलाशी वगैरह लेने का जहां हस्तक्षेप करने योग्य कोई चीज हो। आज तो हर जगह, हर प्रेमिसेज में किसी भी समय, किसी भी मकान में वह तलाशी ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज उनके अधिकार उनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा हैं।

माननीया, भारतीय संविधान में एक सेक्शन है। उसमें लिखा हुआ है कि किसी आफिस को वाइड पावर्स नहीं देने चाहिये, किसी पद को असीम अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। अगर वह दिया जाता है तो वह असंवैधानिक होगा। तो यह जो अफसर इनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बनाये गये हैं और जिसके लिये कि माननीय मंत्री जी ने यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मेरा कहना है कि इसमें इस पद के लिये असीम अधिकार दिये गये हैं। अगर यह हाईकोर्ट में चैलेन्ज होगा तो मुझे आशा है कि हाईकोर्ट जरूर इसको असंवैधानिक करार कर देगा। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि इस तरह के मुकदमों के सम्बन्ध में जब रिट हाईकोर्ट में दाखिल हुए हैं और उनमें असीम अधिकार की बात उठाई गई है तो हाईकोर्ट ने उन असीम अधिकारों को असंवैधानिक करार दिया है।

दूसरी बात जो इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि यह सरकार कहती है कि पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया क्योंकि उसके जो आदमी रहते थे वह बहुत भ्रष्टाचारी

थे और अब भ्रष्टाचार कम हो जायगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं यह जानता हूं कि नीचे से ऊपर तक जो एक कड़ी बनाई थी वह कड़ी जरूर हट गई है, लेकिन ऊपर के अधिकारी जो काम करना चाहते हैं वह सब करा लेते हैं। इतना ज्यादा अधिकार किसी अधिकारी को देना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। अधिकार जरूर मिलना चाहिये, लेकिन इस प्रकार से असीम अधिकार नहीं देना चाहिये। मैं तो यहां तक कहता हूं कि इस प्रकार से बंच की कड़ी को तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी और इस पुनर्गठन की कोई आवश्यकता नहीं थी। बिना मतलब ही यह पुनर्गठन हो रहा है। अगर यह पुनर्गठन न हुआ होता तो मैं समझता हूं इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को मन्त्री जी वापस लें। इस विधेयक को यदि लाना ही है तो इसके अन्दर जो असीम शक्ति देने की बात कही गई है उस शक्ति को कम किया जाय। उनको केवल महदूद शक्ति दी जाय। मेरा कहना यह है कि जिस विभाग को जांच करने का काम दिया गया है उस विभाग के अधिकार के सम्बन्ध में पहले से ही पब्लिक सर्वेन्ट घोषित किये जा चुके हैं। उनको जो अधिकार हैं वही इसमें आ जाते। १३३ में यह साफ लिखा हुआ है कि हर एक अफसर जो पब्लिक सर्वेन्ट इंडियन पैनल कोड के बमूजिब पब्लिक सर्वेन्ट होगा, वही इसका अधिकारी होगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इस धारा के संशोधन की क्या आवश्यकता पड़ी, इसको मन्त्री जी बतलायें। पब्लिक सर्वेन्ट को पहले ही वे अधिकार प्राप्त हैं जो इन्फोर्समेंट को अधिकार दिये गये हैं। उसको आप अब बदल रहे हैं। आर० टी० ओ० को और इन्फोर्समेंट को पहले से ही वे अधिकार प्राप्त हैं कि उस तरह से वे कार्यवाही करें, लेकिन आपने उसी अधिकार के लिये दूसरा संशोधन ला दिया। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन विधेयक बिल्कुल अनावश्यक है और माननीय मन्त्री को इसको वापस लेना चाहिये। अगर रखना चाहते हैं तो जैसा उद्देश्य में लिखा हुआ है कि परिवहन विभाग की परिवर्तन शाखा (Enforcement Branch) के पुनर्गठन के फलस्वरूप इस शाखा में अब वे अधिकारी रह गये हैं जो पुलिस अधिकारी नहीं हैं। तो इस पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं यह समझता हूं कि पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं थी। अगर आवश्यकता नहीं थी तो इस असीम शक्ति के देने की भी आवश्यकता नहीं थी और यह ख्वाहख्वाह ही किया जा रहा है। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन विधेयक को वापस लें और इस पुनर्गठन से ट्रांसपोर्ट विभाग को और गाड़ी चलाने वालों को कोई विशेष लाभ नहीं है।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

श्री मुजफ्फर हसन--उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल एक मासूम सा बिल था जिस पर इतनी बहस हुई। आज से दो साल पहले मसानी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला हुआ कि पुलिस के बजाय एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कायम हो और वह कायम हुआ। आज जो अमेंडमेंट आया है उसका मंशा सिर्फ इतना है कि पुलिस जो अख्तियारात इस्तेमाल करती थी वह अख्तियारात सिविलियन इन्फोर्समेंट को दिये जायं, इसकी जरूरत है। आम-तौर से यह क्रिटिसिज्म होता है कि पूरे तौर से देखरेख नहीं होती। मुझे खुशी है कि इतने लोगों ने इसकी मुखालिफत की, कई बातें कहीं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं कहा कि पिछले दो सालों में जो तब्दीली हुई है वह कोई खराब तब्दीली हुई है। उस तब्दीली से यकीनी तौर से इस काम में इंसानियत आयी है, तरक्की हुई है और ज्यादा अच्छी तरह से काम हुआ है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं और मुझे खुशी है कि इस प्वाइंट पर कोई दो रायें इजहार नहीं की गयीं। काम की बेहतरी और आसानी के लिये जो अधिकार पुलिस को थे वही उनको होने चाहिये और इसलिये यह अमेंडमेंट लाया गया है।

इस सिलसिले में और कामों के बारे में जो क्रिटिसिज्म हुआ और वह ऐसा है कि जिसका नोटिस लेना जरूरी है, लेकिन इस मखसूस सेक्शन के लिये कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ।

[श्री मुजफ्फर हसन]

कुछ ट्रांसपोर्ट कमेटियों के बारे में कहा गया, कुछ अदालतों के बारे में कहा गया और मैं उन तमाम बातों को गैरमुत्तालिक समझता हूं । यह भी कहा गया कि यह इकोनामी के खिलाफ है, इस तरह से खर्च बढ़ाया जाता है । मेरा कहना है कि यह स्वबैंड तो आलरेडी मौजूद है और इसमें खर्च बढ़ाने का कोई सवाल नहीं है । इसमें यह अख्तियार दिया गया है कि जो गाड़ियां किसी हाते या मकान में चली जांय, उनको उसके लिये अख्तियार होगा कि वे उनकी तलाशी ले कर कार्यवाही कर सकें । कुल तीन तरह के अख्तियार इसमें दिये जा रहे हैं । एक तो उनको मौके पर जमानत की जा सके और मौके पर गाड़ियों की जमानत ले कर उनको छोड़ा जा सके और यह ऐसी बात नहीं है कि जिस पर क्रिटिसिज्म हो सके । दूसरे अदालत में जाने की बात है और उसमें भी कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । सिर्फ एक प्वाइंट ऐसा है कि जिसमें कहा गया है कि वह बगैर वारंट के तलाशी ले सकते हैं और उनको गिरफ्तार कर सकते हैं । मान लें कि जुर्म करती हुई कोई गाड़ी रास्ते में मिले तो अगर उसे फौरन गिरफ्तार न किया जायगा और उस पर कार्यवाही न की जायगी तो काम चल ही नहीं सकता । इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें जो बड़ी दोहाई डेमोक्रेसी आदि की दी गयी है वह कहां तक सही है, यह मैं समझ नहीं पाया । बड़ा सीधा और सिम्पुल सवाल है कि जो अख्तियार पुलिस इस्तेमाल करती थी, पुलिस के हट जाने के बाद, जो सिविलियन डिपार्टमेंट है वह उसे दिये जायं ताकि काम चलता रहे और मैं समझता हूं कि हाउस इसको खुशी से मंजूर करेगा ।

श्री उग्रसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने भाषण में मसानी कमेटी का जिक्र किया कि उसके अनुसार ही विभाग का पुनर्गठन हुआ है और उसी के अनुसार यह अधिकार दिये जा रहे हैं । मैं यह जानकारी चाहता हूं कि उसी मसानी कमेटी ने एक यह सिफारिश की थी कि एक आल इंडिया ट्रांसपोर्ट बोर्ड हो और तमाम राज्यों के यातायात विभाग उससे सम्बन्धित हों । तो क्या माननीय मंत्री जी उस सुझाव को भी मानने के लिये तैयार हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--मैं नहीं समझता कि रिपोर्ट में जितनी सिफारिशें थीं उन सब को अगर हम एक साथ मंजूर नहीं कर सकते तो इस एक को भी नहीं माना जा सकता । यह कौन सी बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

ऐक्ट संख्या ४, २--मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३-ए के पश्चात् नई धारा १९३९ में एक नई १३३-बी के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--

धारा १३३-बी का बढ़ाया जाना ।

Power of search etc.

"133-B(1). In addition to the powers conferred on the State Government under sub-section (3) of section 133-A it shall be lawful for the State Government to confer , by notification published in the official *Ga zette*, upon any officer of the Motor Vehicles Department, not being an officer holding a non-gazetted post, the powers—

(*a*) to investigate into offences punishable under this Act, and for that purpose to enter and search, without warrant, any private land, and any premises between the hours of sun-rise and sun-set with a view to inspect or seize any vehicle that may be found therein, as may have been or is suspected to have been used for commission of an offence punishable under

this Act, and may take such steps as may be considered proper by him for the safe custody of the vehicle and its contents :

Provided that before making a search under this clause, the officer shall call upon two or more responsible persons to attend and witness the search for the vehicle and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

Provided further that before seizing the vehicle a list of all the contents of the vehicle seized in the course of such search shall be prepared by the officer and signed by such witnesses, but no such witness shall be required to attend the court, unless summoned by it;

Explanation—"Premises" under this clause means any building or part of a building and includes gardens, grounds, garages and out-houses, appertaining to such building or part of a building.

(*b*) to take, in case of seizure of a vehicle, or of arrest of a person, under section 128, a bond with or without sureties, in accordance with the provisions of Chapter XLII of the Code of Criminal Procedure, 1898, of such amount, as he may think fit, from the person in the charge of the vehicle or connected with the commission of the offence or the abetment thereof punishable under this Act, or the rules made thereunder with a view to bind such person to appear before a court in connexion with the charge ; and

(*c*) to launch prosecutions for such offences.

(2) The amount of every bond executed under clause (*b*) of sub-section (1) shall be fixed with due regard to the circumstances of each case, and shall not be excessive.

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—माननीय, मैं मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"धारा १३३-बी की उपधारा (१) के खंड (ए) में शब्द "any premises" और "With a view to inspect" के बीच आये हुये शब्द "between the hours of sun-rise and sun-set" निकाल दिये जायं।"

दूसरा यह है—

श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)—कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—दूसरा संशोधन यह है कि उपर्युक्त खंड (ए) और उसके प्रथम प्रतिबन्धक के बीच निम्नलिखित प्रतिबन्धक जोड़ दिया जाय—

"Provided that no entry in any premises under this clause shall be made before sun-rise and after sun-set in the case of offences punishable under sections 112, 113 (1), 115, 118, 122, and 127."

तीसरा यह है कि—

"खंड (ए) के प्रथम प्रतिबन्धक में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय—

"शब्द 'Provided' और शब्द 'that' के बीच में शब्द 'also' जोड़ दिया जाय।"

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

यह तीन संशोधन हैं। आजकल श्रीमन, मोटर, ट्रक्स आदि चलाने वाले चालकों से आये दिन अनेक दुर्घटनायें हो रही हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध लगाने के लिये मैंने यह संशोधन रखे हैं। अभी तक १९३९ के ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि पैसे की सजा हो जाती है और अगर मोटर चालक ऐसी जगह चला जाय जिसमें उसका प्राइवेट स्थान हो तो वहां उसे कोई पकड़ नहीं सकता और मसानी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जैसा कि मन्त्री जी ने बताया, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट का जो अलग इनफोर्समेंट स्क्वाड बना है उसको पुलिस की पावर्स नहीं हैं और जुर्म करने वाले मोटर या ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिये अगर इनफोर्समेंट स्क्वाड को शक्ति न हो तो हमारा यह प्राविधान बहुत गलत हो जाता है। इसलिये जब अलग से इस विभाग में एनफोर्समेंट स्क्वाड बना है तो उसको शक्ति देनी चाहिये जो पुलिस को देनी आवश्यक थी। इसलिये इस संशोधन के द्वारा मैंने यह मांग रखी है कि साधारण जुर्मों में तो नहीं, लेकिन जो बड़े जुर्म होते हैं उनके अपराधियों को, अगर वे प्राइवेट स्थान पर चले जायं तो स्क्वाड को सर्च करने के लिये शक्ति दी जाय। एक बात उसमें यह रखी गई है कि १९३९ के मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की धारा ११२, ११३, ११५, ११८, १२२, १२७ में सर्च की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेजर अफेंसेज के लिये शक्ति दी गयी है। आशा है कि सदन उसको स्वीकार करेगा।

*श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मान्यवर, हमारे मित्र ने जो संशोधन पेश किया है वह बड़ा खतरनाक है। उन्होंने यह माना है कि धारा ११२ वगैरह जो उन्होंने बताई वह ऐसी दफायें हैं जिनमें रात में छापा मारने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके संशोधन के अनुसार मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में अब यह संशोधन होने जा रहा है कि उनको खली छूट हो जायगी कि रात को भी छापा मारें। 'बिफोर सन-राइज और आफटर सन-सेट' को निकाल देने के माने यह हैं कि वह रात में तलाशी ले सकते हैं। माननीय सदस्य, देवरिया स्वयं देखेंगे कि कितनी बड़ी ताकत अधिकारी वर्ग के हाथ चली जाती है जिसका दुरुपयोग अवश्य होगा। स्वयं सरकार ने भी इतनी एहतियात तो रखी कि रात के वक्त छापा न मारा जाय, लेकिन वह रात को भी छापा करवाना चाहते हैं। मान्यवर, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले इसका कितना नाजायज उपयोग करते हैं देहरादून में नन्कू की मृत्यु पुलिस की कस्टडी में हुई, यह सब पर विदित है। इसलिये इतनी शक्ति देना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मणि जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। इसका नतीजा यह होगा कि अभी तो सवेरे से सायंकाल तक ही तलाशी ले सकते थे अब २४ घंटे ले सकते हैं। रात को कहीं ले जायेंगे मार देंगे, किसी भी तरह का ईंसीडेंट हो सकता है। इस पर विशेष भाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उनकी मंशा नहीं है क्योंकि वह मेरे जिले के रहने वाले हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे यह संशोधन मंजूर है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन, मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट जो १९३९ का है उसमें इस बिल के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया है कि एनफोर्समेंट स्क्वाड को पुलिस की शक्ति दी जाय। उसमें रात को सर्च करने की शक्ति नहीं है लेकिन जैसा कि राजनारायण जी और उग्रसेन जी ने साधारण वाद-विवाद में कहा था, इस विभाग का राष्ट्रीयकरण किया जाय। मोटर चालक बहुत गड़बड़ करते हैं तो जो कार्यवाही जन-रक्षा में सब से सख्त हो सके उसकी मांग हमेशा से की गई है। उसी को सामने रख कर के यह व्यवस्था रखी गई है कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो अपराधी है, उसको दण्ड मिलना चाहिये। जो साधारण जुर्म हैं उनमें तो सर्च की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां पर ज्यादा खतरा है वहां पर सर्च की व्यवस्था रात में भी होनी चाहिये। तो मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन को माननीय उग्रसेन और मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन––मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि उसको मंजूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० में निम्नलिखित संशोधन किये जांय :––

"धारा १३३ (बी) की उपधारा (१) के खंड (ए) में शब्द "any premises" और "with a view to inspect" के बीच आये हुये शब्द "between the hours of sun-rise and sun-set" निकाल दिये जांय।

(२) उपर्युक्त खंड (ए) और उसके प्रथम प्रतिबन्धक के बीच, निम्नलिखित प्रतिबन्धक जोड़ दिया जाय–

"Provided that no entry in any premises under this clause shall be made before sun-rise and after sun-set in the case of offences punishable under sections 112, 113(1), 115, 118, 122 and 127"

(३) खंड (ए) के प्रतिबन्धक में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय––

शब्द "Provided" और शब्द "that" के बीच में शब्द "also" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ ––

पक्ष में ––३६,

विपक्ष में––२१।)

श्री रामस्वरूप वर्मा––श्रीमन, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं––

"खंड २ के उपखंड (ए) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में पंक्ति ३ के शब्द "Persons" के आगे तथा 'to' के पहले निम्न जोड़ दिया जाय––

"belonging to the same locality."

यह इसलिये आवश्यक हुआ है कि जब इण्डियन पेनल कोड के अन्तर्गत तलाशी होती है तो उस तलाशी के लेने में स्थानीय लोग होते हैं जो उस आदमी से परिचित होते है और उसकी हैसियत आदि को जानते हैं। इस विधेयक में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि तलाशी लेने वाला अपने साथ दो आदमी ले जा सकता है और उस लोकेलिटी के आदमियों की किसी प्रकार से भी उसको आवश्यकता नहीं है कि उनसे पूछे कि उस आदमी की हैसियत आदि कैसी है। विधेयक की मंशा चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस संशोधन के द्वारा अधिकारियों के हाथ में एक ऐसी ताकत आ जायगी जिससे वे अपने साथ दो आदमियों को लेकर सारे प्रदेश की तलाशी ले सकते हैं। इसलिये यह संशोधन अत्यन्त आवश्यक है कि उसी क्षेत्र के दो आदमी हों जिनके सामने तलाशी ली जाय। आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन––मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ के खंड (ए) के प्रथम प्रतिबंधात्मक खंड में पंक्ति ३ के शब्द "persons" के आगे और "to" के पहले निम्न जोड़ दिया जाय---
"belonging to the same locality."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना, शीर्षक तथा खंड १

मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०

कुछ प्रयोजनों के निमित्त मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिये, ऐक्ट सं० ४, १९३९

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षक और प्रसार

१--(१) यह अधिनियम मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम १९६० कहलायगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि प्रस्तावना, शीर्षक और खंड १ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुजफ्फर हुसन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उग्रसेन--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस स्तर पर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं। जब मैं पहले भाषण देने के लिये खड़ा हुआ था तब से स्थिति बदल गई है। पहले तो यह था कि तलाशी रात को नहीं होगी, लेकिन अब उस संशोधन को स्वीकार करके अधिकारियों को असीम शक्ति दे दी गई है। इन खामियों के कारण मैं माननीय मंत्री जी के पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

***श्री गोविन्दसिंह बिष्ट**--माननीय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे जरा विचारें, उनके हाथ की बात है, बहुमत उनके साथ है। बड़ा खतरनाक संशोधन वह यहां स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने माना कि धारा ११२, ११३, ११५, ११८, १२२ और १२७ को अगर कोई अवहेलना करेगा तो उसकी तलाशी रात को नहीं हो सकेगी, लेकिन अन्य धाराओं जैसे ११७, है या रेक्लेस ड्राइविंग है आदि आदि कोई जर्म करता है तो उसके घर पर तलाशी रात को हो सकेगी। मेरे ख्याल में रात को तलाशी की मुमानियत जिन धाराओं में भी की गई है वह केवल इसी दृष्टि से कि ज्यादातर घरों में औरतें रहती हैं और लेडीज में कोई गलत व्यक्ति न घुस पाये और किसी की प्राइवेसी को अटैक न करे। धारा ११८ में तो यहां तक है कि अगर कोई मैन्टली या फिजिकली ड्राइव करने के अनफिट है तो उस पागल के घर पर रात को भी तलाशी नहीं हो सकती, लेकिन उसी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट की दूसरी धारा में कोई जुर्म करे तो रात को तलाशी हो सकती है यानी वहां पर प्राइवेसी पर अटैक हो जाय तो कोई खयाल नहीं है। रात को तलाशी तो इसलिये नहीं होती है कि घरों में सिर्फ मर्द ही नहीं रहते हैं बल्कि जनाने भी रहते हैं। तो जिस सिद्धत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के आधार पर कुछ इफाओं में मुमानियत है और कुछ में नहीं है तो लोग इस लैकुना से नाजायज फायदा उठा सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करें और दूसरा संशोधन बिल फौरन ले आवें जिसे हम बहस मुबाहिसे के बाद जल्द से जल्द पास कर दें।

श्री मुजफ्फर हसन--उपाध्यक्ष महोदय, आम तौर से इस तरह की शिकायतें हैं कि रात के वक्त ही प्राइवेट लोडिंग होती है और कई दूसरे तरह की जरायम होते हैं। यह अख्तियार कोई आम तरीके से तो दिया नहीं जा रहा है। जब कोई उस तरह के जुर्म करे तो उस हालत में रात में भी अख्तियार होगा। यह बिल बहुत जरूरी मालूम होता है इसलिये मेरी गुजारिश है कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६०, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठाना (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१

†**श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

यह मजदूरों की बहुत दिनों की मांग थी कि उनको १५ अगस्त, २ अक्तूबर, और २६ जनवरी को छुट्टी मिले और उसका वेतन भी उनको मिले। इस वक्त जो हमारी इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट्स थीं, उनमें से शुगर इंडस्ट्रीज में तो ये छुट्टियां मिलती थीं और उनका वेतन भी मिलता था, लेकिन और जो इन्डस्ट्रियल इस्टेबलिशमेंट थीं, उनमें छुट्टी तो दी जाती थी, किसी इस्टैब्लिशमेंट में दो दिन की, किसी इस्टैब्लिशमेंट में तीन दिन की छुट्टी दी जाती थी, लेकिन उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी। लिहाजा यह न्यायसंगत समझा गया कि मजदूरों की जो यह मांग है, उसको स्वीकार करके विधेयक का यह रूप दिया जाय और इसलिये यह सदन के समक्ष लेजिस्लेशन के रूप में लाया गया। मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार किया जायगा।

†**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--श्रीमन्, सरकार ने जो यह विधेयक पेश किया है और जिसे वह थोड़े समय में ही इस सदन से जल्दबाजी में पास कराना चाहती है, इस सम्बन्ध में मैं अपना कुछ मत रखना चाहता हूं। श्रीमन्, इसमें तीन छुट्टियां हैं, जिनको सरकार ने छुट्टी के रूप में रखने की बात कही है वे हैं २६ जनवरी, १५ अगस्त और २ अक्तूबर की। इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि यह दिन काफी महत्व रखते हैं और इनको छुट्टियों का दिन रखा जाय। सरकार का थोड़ा सा यह भी प्रयास है कि श्रमिकों के लिये यह सवेतन छुट्टियां हों तथा इनमें एकरूपता आ जाय।

इनको अमल में लाने के लिये सरकार ने जो कुछ थोड़े से उपाय दिखलाये हैं उनको जरा देखा जाय तो उससे मालूम होगा कि निरीक्षकों को जो अधिकार दिये गये हैं वे इस तरह से हैं--

(क) किसी स्थान में, जो औद्योगिक आस्थान हो, या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह स्थान औद्योगिक आस्थान है, हर उचित समय पर प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है,

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान के किसी भी रजिस्टर, अभिलेख और नोटिस का परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकता है जिनका

---

*२७ मार्च, १९६१ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

साक्ष्य लेना वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे और,

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो।

अब आप देखें कि इसके पहले मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट पर हम लोगों ने कुछ एतराजात पेश किये थे और वह इस आधार पर आधारित थे कि कुछ नये अधिकारियों का निर्माण हम करने जा रहे हैं और उनके अधिकार को अधिकाधिक बढ़ाते जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि यह अधिकारी निरंकुश होकर अपने कार्य को करते जाते हैं और कभी-कभी बदले की भावना से भी प्रेरित होकर लोगों को परेशान करते हैं। वे अपना प्रेस्टिज का खयाल करके किसी से बदला लेने का कार्य करते हैं। आज हमारे सामने कुछ ऐसे निरीक्षकों की बात कही गई है जिनको भी उसी प्रकार के अधिकार दिये जा रहे हैं और यह कहा जाता है कि किसी औद्योगिक आस्थान में भी हर उचित समय पर वे प्रवेश कर सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं और अधिष्ठान के किसी भी रजिस्टर, अभिलेख और नोटिस का परीक्षण कर सकते हैं। जहां आवश्यक हो वहां अधिकारियों को अधिकार मिलने चाहिये, इसमें तो कोई एतराज की बात नहीं पैदा होती, लेकिन जब कभी भी अधिकारी मुकर्रर किये जायं और उनको महत्व-पूर्ण अधिकार दिये जांय तो उनका कुछ चेक भी होना चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे उस अधिकार का प्रयोग अपने मन से, किसी बदले की भावना से करते हैं। ऐसी हालत में उस अधिकारी के ऊपर भी कुछ बोझ आना चाहिये और उसके लिये भी कुछ न कुछ किसी रूप में दंड आदि की व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन ऐसी बात मैं इस बिल में विशेष रूप से नहीं देखता हूं बल्कि इसमें जहां दण्ड की व्यवस्था है उसमें रखा गया है कि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ दण्ड से दण्डय होगा जो प्रथम अपराध के लिये ५०० रुपया तक और प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये १००० रुपये तक हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि यहां नियमों को तोड़ने वाले के लिये दण्ड की व्यवस्था है, लेकिन यदि किसी अधिकारी की मनोभावना बदली हो या महज परेशान करने के लिये ही वह कोई कार्य कर डाले तो उसके भी दण्ड की व्यवस्था उसमें होनी चाहिये, जो नहीं है। हम उन अधिकारियों के अधिकारों की तो सुरक्षा के उपाय रख रहे हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों को उचित दण्ड दिलाना चाहते हैं, लेकिन जो एक स्थायित्व का मामला है, जो मूल अधिकारों की बात है कि कोई किसी को गलत मनोभावना से परेशान न कर सके उसके लिये कोई उपाय नहीं रख रहे हैं।

आज जनता के अधिकारों का जगह-जगह पर हनन हो रहा है, जो आज सब से बड़ा एतराज है। बराबर हाईकोर्टस सचेत करते हैं कि अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है और मूल अधिकारों का ही उल्लंघन हो रहा है। इसलिये इन असीमित अधिकारों की कोई सीमा होना चाहिये जिससे उनको कोई माप तो हो सके जगह-जगह पर इसके लिये कुछ चेक्स होने चाहिये। इसमें वह नहीं है, केवल एकांगी कार्यवाही है, अधिकारियों को अधिकार देने और उनमें वृद्धि करने की ही बात है लेकिन उन अधिकारियों के गलत कार्य करने पर कोई व्यवस्था उनको दण्डित करने की नहीं है। इसी आधार पर मैं ने इससे पहले बिल का भी विरोध किया था, वही नुक्स इसमें भी है और इसीलिये ऐसे अच्छे बिल के आने पर भी मैं यह शंका प्रकट करता हूं और चाहता हूं कि इसमें जो खामी है वह दूर की जाय।

सरकार आज इस बिल को जल्दबाजी में पास करना चाहती है। सदन के सामने यह २७ मार्च को आया और ३ मास तक सदन में रहा। हम आशा करते रहे कि वह बिल एजेंडे पर आये, लेकिन नहीं आया। अब २ मास बाद जब प्रथम दिन सदन बैठा तो इसको

ले आया गया और अनायास ही इसको लाकर पारित कराना चाहते हैं। हम इसका अवलोकन भी नहीं कर पाये हैं और हम तो इसे प्रवर समिति में ले जाने की चेष्टा करते और वहां इस बात की कोशिश करते कि इसमें इस तरह के अधिकारों पर कोई नियन्त्रण रहे और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन न हो। प्रोग्राम के मुताबिक ५ घंटे का विवाद इससे प्रथम बिल पर होना था, लेकिन आज ही उसे समाप्त कर के इस बिल को ले आया गया और जल्दबाजी में इसे भी पास कराना चाहते हैं। हमें समझने का मौका भी नहीं मिलता है। हमें भय है कि इसके द्वारा सरकार अपने अधिकारियों के अधिकार बढ़ाना चाहती है और जिनके बल पर सरकार जनता को आतंकित करना चाहती है। इस जल्दबाजी में इसको रखना और पास कराना अनुचित है जब तक सब लोग अच्छी तरह से इस पर विचार न कर लें। इसमें बहुत खतरे रह जायेंगे और हो सकता है कि बाद में हाईकोर्ट से यह कानून रद्द हो जाय। मैं मन्त्री से कहूंगा कि वह आज इस को वापस ले लें और हमको मौका देकर फिर इसको सामने आने दें और तभी इसे पारित कराने की चेष्टा करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि उक्त विधेयक को प्रवर समिति को इस अधिकार के साथ भेजा जाय कि वह इस विधेयक के अधिकार-क्षेत्र को भी परिवर्धित करे और उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत हो जाये।

श्रीमन्, मेरे इस संशोधन का कुछ कारण है। मैं समझता हूं कि अगर इस सदन में भी उस पर विचार हो सके तो कोई हर्ज नहीं है।

यह विधेयक उन श्रमिकों के लिये है जिन्हें कि औद्योगिक अधिष्ठानों में ये तीन दिन की छुट्टी नहीं मिलती थी। उनको ये छुट्टी देने के लिये यह है। मालूम होता है कि लोगों का इसकी ओर कुछ ध्यान नहीं गया इसीलिये मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी कर्मचारी हैं जो औद्योगिक अधिष्ठानों के कर्मचारी नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी ये राष्ट्रीय छुट्टियां मिलनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक का स्कोप बहुत सीमित हो गया है। इसमें आप देखें जहां औद्योगिक अधिष्ठान की परिभाषा की गई है वहां लिखा है: "(च) औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य—

(१) फैक्ट्रीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खंड (एम) में यथा परिभाषित फैक्ट्री या किसी ऐसे स्थान से है जिसे उक्त ऐक्ट की धारा ८५ की उपधारा (२) के अधीन "फैक्ट्री" समझा जाय, और

(२) अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे,"

तो जो दूसरा क्लाज है उसमें सरकार को अधिकार जरूर दिया गया है कि वह समय-समय पर जो इस समय औद्योगिक अधिष्ठान हैं या जो फैक्ट्रीज ऐक्ट में हैं, उनके अलावा भी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके बना सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इसी जगह पर कुछ चीजें, जो मैं समझता हूं कि जोड़ दी जानी चाहिये, वह जोड़ दी जायं तो स्पष्ट हो जायगा और किसी प्रकार की कोई झगड़े की बात नहीं रहेगी। सदन के सामने यह चीज हो जाय तो अच्छा है। हमारे दिमाग में भी सारा नक्शा नहीं है कि किन-किन को इन छुट्टियों में शामिल किया जाना चाहिये। अगर सेलेक्ट कमेटी में जाय तो वहां इस बात पर विचार हो सकता है कि किन-किन वर्ग के कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

मान लीजिये, खेती करने वाले मजदूर हैं । इस सूबे में अगर मजदूर वर्ग की गिनती की जाय तो खेतिहर मजदूरों की तादाद सबसे ज्यादा होगी हमारी बदकिस्मती है---मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की मौजूदगी का लाभ उठाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि खेती के मजदूर की तरफ हमारा ध्यान बहुत कम है और हमने उन्हें बहुत ही नेगलेक्ट किया है । इस कदर नेगलेट किया है कि सारे भारत में खेतिहर मजदूरों को जो सुविधा मिली हुई है वह हम अपने खेतिहर मजदूरों को नहीं दे पाये हैं जब कि उनकी सबसे बड़ी संख्या है । तो उनको क्यों तीन दिन की राष्ट्रीय छुट्टी से बरी रखा जाय ? क्यों न उनको भी यह छुट्टी दी जाय ?

उसी तरह से मेहतरों की बात है । उनको भी क्यों न तीन दिन की राष्ट्रीय छुट्टी दी जाय ? आप देखें, इस समय का छुट्टी का मामला ले कर बनारस में हड़ताल हो रही है । शायद उनका २८ या २९ वां दिन चल रहा है । तो उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिये । मेहतर सबसे दबा हुआ तबका है और मानव समाज का वह वर्ग है जिस पर हमारी निगाह पड़नी चाहिये । सरकार की नजर में उनकी बात लाने की देर थी हमारा ऐसा खयाल है कि चाहे खेतिहर मजदूर हो या मेहतर हो, सरकार सहानुभूतिपूर्वक अवश्य विचार करेगी ।

इसी तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं । आखिर उनको क्यों न राष्ट्रीय छुट्टियां मिलें ? उनको भी जोड़ा जाना चाहिये । इसी तरह से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूर हैं, जो वर्क चार्ज पर हैं, उनको भी क्यों न जोड़ा जाय ? उनकी काफी बड़ी संख्या है । इस प्रकार ४, ५ वर्गों को तो मैंने गिनाया जैसे खेतिहर मजदूर, मेहतर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग या सरकारी फार्मों में जो लोग लगे हुये हैं और मोटर के कारखाने में जो मजदूर हैं, संभव है कि वर्कशाप वाले औद्योगिक अधिष्ठान में आ जायं, लेकिन बाकी तो नहीं आते । इसलिये मेरी राय है कि इसको अभी सोच लिया जाय । ४, ५ वर्गों की तो मैंने गिनती करायी, हो सकता है अन्य माननीय सदस्य कुछ और कर्मचारियों के वर्गों को बतायें जिन्हें तीन दिन की राष्ट्रीय छुट्टी मिलनी चाहिये । इसलिये सरकार अगर राजी हो कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जाय और इसका अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाय, क्योंकि बगैर उसके काम नहीं चलता, तो बड़ा अच्छा हो ।

इस विधेयक का नाम ही है "उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक ।" हो सकता है कि इसमें दूसरे वर्ग शामिल करने में आपत्ति हो । खंड २ के उपखंड (च) के भाग (२) में यह लिखा है "अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे" तो इसमें वे वर्ग आते नहीं जो मैंने बताये । औद्योगिक अधिष्ठान से ही इसका मतलब होता है न कि खेतिहर मजदूर, मेहतर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग में काम करने वाले मजदूर, न सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूर इसमें आ सकते हैं जब कि इनकी तादाद काफी है, कई लाख है । तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर सरकार को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिये ।

मैं एक बात इस मौके पर जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार जाने, अनजाने, जिसे उपेक्षा कहते हैं, वह उपेक्षा इन मजदूरों के प्रति बरतती है । जैसी मैंने चर्चा की, इन खेत मजदूरों के लिये दो-दो पे कमिशन बैठे और सरकार की नौकरी करने वाले चाहे वह कारखाने के नौकर हों, चाहे दूसरे, सबके पे-स्केल रिवाइज हुये, लेकिन यह खेत मजदूर ऐसा अभागा है कि जिसका पे-स्केल अगर रिवाइज भी होता है तो वह बेकार होता है । मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं । मैं खेत मजदूर तो नहीं हूं, लेकिन भुक्त भोगी इस मामले में हूं कि सन् १९४८ में एक कानून मिनिमम वेजेज ऐक्ट बना और उसके मुताबिक यह भी हुआ कि अब इन खेत मजदूरों की मजदूरी निर्धारित की जायगी और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी एप्वाइंट करेगी जो उनकी मजदूरी को रिवाइज करने के लिये सिफारिश करेगी । सरकार ने बड़ी मेहरबानी की और उस कमेटी में मजदूरों का प्रतिनिधि मुझे बना कर भेज दिया । उस हाउस में न जाने कितनी

बार इसकी चर्चा उठी कि आखिर उस कमेटी की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही हुई । पहले जो खेत मजदूर की मजदूरी थी वह हमारे सूबे भर में २६ रुपये थी । सर्वप्रथम तो यह हुआ कि २६ रुपये मजदूरी सिर्फ वह किसान देंगे जो ५० एकड़ या उससे ऊपर के काश्तकार होंगे । हम लोगों ने भी यह देखते हुये कि सरकार ने एक काम किया है २६ रुपये की जगह साढ़े ३२ रुपये की सर्वसम्मति से सिफारिश कर दी ।

इसके अलावा एक मजदूरी और निर्धारित की । जैसा कि पहले से सरकार ने किया था कि केवल ५० एकड़ या उसके ऊपर वाले ही काश्तकार २६ रुपये मजदूरी देंगे नीचे के लिये कोई दर निर्धारित नहीं की । उसी तरह से हमने कहा कि २६ रुपये की जगह तो साढ़े ३२ रुपये कर दिया जाय और साथ ही हमने सारे सूबे को पूर्व और पश्चिम, दो हिस्सों में बांटा और कहा कि १०० एकड़ या उससे ऊपर के काश्तकार अपने खेत मजदूरों को एक हिस्से में साढ़े सैंतीस रुपये देंगे और एक हिस्से में ४५ रुपये देंगे । हमारा यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से आया, लेकिन सर्वसम्मति से यह रिपोर्ट आने के बावजूद भी जोकि सबसे मिनिमम मजदूरी थी उस पर मार्च से लेकर अप्रैल तक, यानी एक वर्ष से अधिक तक विचार विनिमय हुआ और अप्रैल में जब यह गवर्नमेंट आयी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा कि ये जो ११ शेड्यूल्ड छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें लाखों आदमी काम करते हैं तथा खेत मजदूर हैं उनके वेजेज को रिवाइज करने के लिये जो प्रस्ताव था ३२ रुपये से लेकर ५२ रुपये तक भिन्न-भिन्न श्रमिकों के लिये सर्वसम्मति से आया था उसका क्या हुआ । हां, ३२ से ५२ रुपये की सिफारिश करते समय हमको यह जरूर खयाल हुआ था कि यह हम क्या कर रहे हैं क्योंकि नैनीताल में भारत के श्रम मंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा के सभापतित्व में एक नीड वेज फार्मूला बनाया गया था जिसके मुताबिक कम से कम १४४, १२५ अथवा ११६ रुपये एक आदमी को मिलने चाहिये । यह होते हुये भी हमने ३२ से ५२ की सिफारिश की इसके लिये मैं समझता हूं कि हमारे साथी श्री उग्रसेन जी और श्री झारखंडेराय जी हमारी खबर ले सकते हैं, लेकिन बहुत हिम्मत करके हमने इस पर अपने दस्तखत बनाये और हमने यह कहा कि एक मर्तबा ३२ और ५२ रुपये तो इन खेत मजदूरों और शिडयूल्ड इंडस्ट्रीज के मजदूरों को मिल जायं जो अभी इस समय २६ पाते हैं ।

जहां तक छुट्टियों का संबंध है हम इतवार निश्चित रूप से जोड़ रहे थे कि यह इनको जरूर मिलना चाहिये, लेकिन हमारी बदकिस्मती से न तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का और न सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों के वेतन का रिवीजन हुआ न तो पत्थर कूटने वालों का हुआ और न शिडयूल्ड इंडस्ट्रीज के मजदूरों के वेतन में रिवीजन हुआ । सिवाय तेल और चमड़े के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी में रिवीजन हुआ । जो निम्नतम हमने निर्धारित किया था उसको सरकार ने मंजूर कर लिया । इस प्रदेश में पांच हजार फार्म ऐसे हैं जिनमें एक लाख मजदूर काम कर रहे हैं । इसमें हमने साढ़े पांच रुपये ज्यादा देने की बात कही थी । उस पर धर्म संकट आया और सरकार ने कहा कि कानून में गुंजायश नहीं है इसलिये नहीं कर सकते हैं ।

मैंने श्रीमन्, उद्योग मंत्री जी से लेकर सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं हुआ । यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के दरवाजे तक नहीं जा सका । उड़ती हुई मैंने चीफ मिनिस्टर के कान में भी यह बात छोड़ी कि वह इस काम में दिलचस्पी लें क्योंकि इन खेत मजदूरों के साथ-साथ शिडयूल्ड इंडस्ट्रीज के मजदूरों के साथ भी अन्याय हो रहा है । बम्बई में जो मजदूर काम करते हैं उनको भी जो मजदूरी ७६, ८० रुपये माहवार कारखानों में मिलती है वही खेत मजदूर को भी मिलती है, लेकिन हमारे चीनी मिल मालिक फार्म रखेंगे और चाहे जितनी पैदावार भी करेंगे, लेकिन खेत मजदूर को न तो छुट्टी देंगे और न उचित मजदूरी ही देंगे जो उनको देनी चाहिये । श्रीमन्, देखने की बात है कि कहां ७६ रुपये और कहां २६ रुपये । यह ऐसी बात है जिस पर विचार किया जाना चाहिये ।

[श्री गेंदासिंह]

इस समय मिनिमम वेजेज पर तो विचार नहीं कर सकते हैं लेकिन जो दूसरे लोग छुट्टी पाने वाले हैं जिनके लिये गुंजाइश की गई है, तो इनको भी छुट्टी दी जाय । इनके लिये मैं कहना चाहता हूं कि तीन दिन की छुट्टी की जाय । मैं चाहता हूं कि इनके साथ-साथ खेत मजदूर और शिडयूल्ड इंडस्ट्रीज के मजदूरों को भी जोड़ लिया जाय । मैं समझता हूं कि इससे कुछ लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा । रही बात यह कि अगर मेहतर को तीन दिन की छुट्टी मिल जायगी तो बड़ी गन्दगी बढ़ेगी । इस विधेयक में इसकी गुंजाइश रखी गई है कि जिन लोगों का काम जरूरी है और छोड़ा नहीं जा सकता है और उनको रोकना जरूरी है, उनको उस दिन काम करने के बदले में मजदूरी मिल जायगी । मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करे । इस बिल को या तो सरकार प्रवर समिति में भेज दे या फिर इन संशोधनों को स्वीकार कर ले । जिस दिन यह बिल प्रवर समिति से लौटकर आयगा तो इस पर ज्यादा विवाद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोगों के सुझाव सामने आ जायेंगे और जितना समय इसके लिये आपने निर्धारित किया है उसी समय के अन्दर यह बिल पास हो जायगा और कोई दिक्कत नहीं होगी । मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संशोधन को सदन स्वीकार करेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह ने जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने और उसकी परिधि बढ़ाने के लिये रखा है, उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

श्रीमन्, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में तीन बातें कही गयी हैं । पहली तो यह है कि अब तक यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहां पर यह राष्ट्रीय छुट्टियां नहीं दी जातीं अथवा वेतन उनको नहीं मिलता । इस कारण राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हड़तालें हुआ करती हैं और उनकी निरंतर मांग चली आ रही है । नतीजा यह हुआ कि चीनी कारखानों में आदेश हुआ कि उन्हें छुट्टी देनी पड़ेगी । मार्टिन बर्न कम्पनी के निर्णयात्मक मंडल ने यह कहा कि ये छुट्टियां दी जायं । तो सरकार का यह प्रयत्न अच्छा ही है । इसको मैं मजदूर कार्यकर्ता होकर बुरा कैसे कह सकता हूं ? कम से कम सरकार का ध्यान तो इधर गया कि उसने राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर छुट्टियां दिलाने की ओर कदम उठाया । यह तो हर कारखाने पर लागू होगा जो फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत है । मैं तो समझता हूं जैसा माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि ११ शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज पर यह लागू हो तो लागू यह अवश्य होगा ।

दूसरी बात यह है कि सरकार यह अधिकार लेती चाहती है कि वह कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान घोषित कर सके । सरकार ने राजकीय रोडवेज को औद्योगिक प्रतिष्ठान घोषित किया है । वह है भी, और नहीं भी है । एक जगह सरकार ने कहा है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान है इसलिये उनको यह सुविधायें दी जायंगी । दूसरी जगह सरकार ने कहा है कि चूंकि इसेंशल सर्विसेज हैं इसलिये छुट्टियां नहीं दी जायंगी । मेरा सिर्फ इतना विरोध है और यह विरोध केवल प्रवर समिति में बैठ कर तय हो सकता है, कि सरकार अपने हाथों में यह अधिकार क्यों ले रही है । सरकार ने एक लाइन में यह कह दिया कि जो फैक्टरी ऐक्ट में होंगे उन पर विधेयक लागू होगा । तो सरकार के जितने विभाग हैं, उन सब कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिये, अस्पताल के कर्मचारी हैं, मेडिकल विभाग के कर्मचारी हैं, उन सब पर भी लागू होना चाहिये । अगर उनको उन दिनों में अस्पताल खुलने के कारण छुट्टी नहीं दे सकते तो उनको प्रतिकर मिलना चाहिये । लेकिन सरकार अपने हाथ में अधिकार क्यों ले ? जहां तक निजी क्षेत्र में लागू करने का प्रश्न है सरकार एक माडल एम्प्लायर की हैसियत से डंडा लेकर खेतान, मजीठिया, जयपुरिया, सिंघानिया से कह देती है कि यह चीज आप लोग अपने कारखानों पर जरूर लागू करें । लेकिन सरकार इसको अपने विभागों पर छोड़ देती है कि ट्रांसपोर्ट विभाग तय करे, मेडिकल विभाग तय करे, सार्वजनिक निर्माण विभाग तय करे, कि यह कहां-कहां लागू होगा । तो सरकार ने जो दावा किया है कि हम माडल एम्प्लायर हैं वह दावा कहां तक

उचित साबित होगा ? आप इसकी घोषणा करें, यह सभी कर्मचारियों पर, जो मजदूर माने जाते हैं, लागू होगा क्योंकि यह राष्ट्रीय पर्व हैं ।

इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, रिहन्द में, कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी में, प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी में, राजकीय रोडवेज में और पी० डब्लू० डी० में तथा म्युनिसिपल बोर्ड में काम करते हैं, अगर यह उन सब पर लागू हो जायगा तो सबका हौसला बढ़ेगा । सरकार क्यों राष्ट्रीय छुट्टियों को दिलाने के संबंध में अपने हाथ में यह अधिकार रख ले कि जब वह जरूरत महसूस करेंगे तब उसके लिये फरमान निकालेंगे ? यह कानून के दृष्टिकोण से और जनतंत्र के दृष्टिकोण से, विधायन के दृष्टिकोण से, उचित नहीं है क्योंकि कानून के सामने तो हर आदमी बराबर है । दोनों को एक बराबर हैसियत होनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को परिधि बढ़ाकर इसमें यह परिवर्तन भी लाने की चेष्टा करें ।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीय छुट्टियों के बारे में । मुझे डर लग रहा है कि माननीय मंत्री जी शायद कहेंगे कि राष्ट्रीय पर्व के बारे में तो केन्द्रीय सरकार ने तय किया है । मैंने वह कानून तो देखा नहीं है कि कौन-कौन से राष्ट्रीय पर्व हैं, लेकिन एक मेरे जैसा आदमी जो कि एक राष्ट्रवादी रहा है और है, वह तो समझता है कि राष्ट्रीय पर्व का महत्व क्या है । २६ जनवरी, जिस दिन कि कांग्रेस के झंडे के नीचे आजादी आने के पहले सभी लोग इकट्ठा होकर प्रतिज्ञा करते थे कि यह ब्रिटिश साम्राज्यशाही जो हमारा शोषण कर रही है उसकी कड़ी को हम तोड़ देंगे, उसको समाप्त करके अपनी हुकूमत हम यहां पर लायेंगे, वह राष्ट्रीय पर्व हुआ । दो अक्तूबर जो महात्मा पूज्य बापू का जन्म दिवस है वह भी एक राष्ट्रीय पर्व है । तीसरा १५ अगस्त जिस दिन कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ वह भी एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है । लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि प्रवर समिति इस पर विचार करे और यह आदरणीय सदन इस पर विचार करे कि हिन्दुस्तान में जिस दिन आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई थी १० मई, १८५७ क्या वह हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं हो सकता है ? हो सकता है । वह भी हमारा राष्ट्रीय पर्व होना चाहिये । जिन्होंने वीर सावरकर की पुस्तक "हिन्दुस्तान का प्रथम स्वातंत्र्य युद्ध" पढ़ा होगा वह यह जानते होंगे कि हमारी आजादी की लड़ाई की पहली नींव १० मई, सन् १८५७ को पड़ी और उत्तर प्रदेश को इस बात का गर्व है कि वह नींव उत्तर प्रदेश में पड़ी, हमारे मेरठ जिले में पड़ी । तो १० मई भी हमारा राष्ट्रीय पर्व हो सकता है । इसी तरह से नेता जी सुभाषचन्द्र बोस जिन्होंने इस देश की आजादी के लिये बहुत बड़ी कुर्बानी की और आजाद हिन्द फौज की स्थापना करके अंग्रेजों से टक्कर लिया, उनका जन्म दिवस २३ जनवरी भी एक राष्ट्रीय पर्व हो सकता है । तो २३ जनवरी और १० मई को भी सरकार राष्ट्रीय पर्व मान ले और इस बात की घोषणा करे कि इन पांचों राष्ट्रीय पर्वों पर सवेतन छुट्टियां दी जायं ।

अभी-अभी १९६० में हमारे हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में एक आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स बिल आया था, सम्भवतः वह पास भी हो गया । उसमें पांच छुट्टियां दी गई हैं और वह छुट्टियां हिन्दुस्तान के सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट विभागों में लागू होंगी । उसमें एक शर्त यह है कि अगर उसके पहले किसी राज्य के ट्रांसपोर्ट मन्त्रालय ने उससे ज्यादा छुट्टियों की सुविधा दे रखी है तो वह सुविधा बनी रहेगी । लेकिन यदि वह उससे कम है तो आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऐक्ट के मातहत वह सुविधायें दी जायेंगी । पांच छुट्टियां उसमें दी गई हैं । तीन तो राष्ट्रीय पर्व हैं और एक होली तथा एक दशहरा । होली और दशहरा को निकाल दीजिए क्योंकि वह तो मिलेंगी ही । धार्मिक छुट्टियां हैं, हर जगह मिलती ही हैं, इन दो छुट्टियों की जगह अगर १० मई और २३ जनवरी रख दिया जाय तो पांच सवेतन छुट्टियां इस तरह से हो जायेंगी और मैं समझता हूं कि आजादी की लड़ाई के वीर सेनानियों के साथ यह पूर्ण न्याय होगा और यह भी, जैसा मैंने अभी कहा, कर दिया जाय तो कम से कम यह झगड़े हमेशा के लिये मिट जायेंगे कि कौन राष्ट्रीय संस्थान इनको छुट्टियां देता है, कौन नहीं देता । यह मैं समझता हूं कि जब परिधि बढ़ायी जायगी तभी यह चीजें हो सकती हैं ।

[श्री उग्रसेन]

माननीय गेंदासिंह जी ने खेत मजदूरों का प्रश्न उठाया । यह सही है कि माननीय गेंदासिंह जी खेत मजदूरों की मिनिमम वेजेज कमेटी में स्वयं रहे । उन्होंने जो सिफारिश की, गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना और श्रीमन्, यह मानी हुई बात है कि इस बुर्जुआ जनतंत्र में अगर किसी काम को टालना हुआ तो उसके लिये एक कमेटी बैठा दो । एक पे कमीशन बैठा । फिर कहा कि हड़ताल बन्द करो, दूसरा पे कमीशन बैठेगा । दूसरा पे कमीशन बैठा । इसी तरह से लेबर एन्क्वायरी कमेटी बैठी, रैशनलाइजेशन कमेटी बैठी, राजेन्द्र बाबू की कमेटी बैठी और खासकर के मजदूरों के मामले में तो कमेटियों की भरमार है । हैजा सारे प्रदेश में आया और उसमें हजारों आदमी मर गये लेकिन उसके लिये भी कमेटी बिठा दी गई । पहाड़ों पर लारी खड्ड में गिर पड़ी और उसमें सैकड़ों आदमी मर गये, उसके लिये भी कमेटी बैठा दी गई । कमेटी बिठाने का यह रिवाज ऐसा है कि इससे वास्तविकता को टालना होता है ।

मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी कहीं भी काम करने वाले मजदूर को अवश्य मिलनी चाहिये । किसी भी फैक्टरी के मजदूर को, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे फैक्टरी ऐक्ट से गवर्न होती हो या नहीं लेकिन सब जगह के मजदूरों को मिलनी चाहिये । फार्म पर काम करने वाले मजदूर को या मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्दर आते हों या नहीं सब मजदूरों को यह छुट्टी मिलनी चाहिये । इसमें कोई भेद-भाव करने की जरूरत नहीं है ।

गोरखपुर में एक गीता प्रेस है । जब यह ऐक्ट राष्ट्रीय पर्व का लागू होगा तो गीता प्रेस वाले दरख्वास्त देंगे कि हम तो भगवान् की फोटो बनाते हैं, देवताओं की तस्वीर छापते हैं, धार्मिक संस्थान हैं, यह राष्ट्रीय पर्व का कानून वहां लागू न किया जाय । यह बात तो सही है कि सारे देश में कल्याण से वह धर्म का प्रचार करते हैं लेकिन वहां पर मजदूर भूखे मरते हैं और उनको तरह तरह से सताया जाता है । हमको तो यह शंका मालूम होती है कि सरकार अपने पास इस प्रकार का अधिकार रखना चाहती है कि आगे चल कर वह कहां इसको लागू करे और कहां लागू न करे । यह अधिकार सरकार के पास रहना गलत है कि जहां वह चाहे लागू करे और जहां चाहे न लागू करे । मैं तो समझता हूं कि जितने भी राष्ट्रीय महत्व के पर्व हों उन सब का लाभ सब मजदूरों को प्रदेश में मिलना चाहिये । मैं तो यह भी समझता हूं कि करोड़ीमल तो अपने यहां मजदूरों को छुट्टी दे देंगे लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो बड़े बड़े अफसर मालिक बने बैठे हैं, मुझे आशा है, वह नहीं देंगे । वह यह कहेंगे कि विभाग ने अभी लागू नहीं किया है । तो मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं । यह महत्वपूर्ण विधेयक है और इसकी बहस में सदस्यों को हिस्सा लेना चाहिये । मैं भी चाहता हूं कि कम से कम एक सप्ताह के लिये यह जरूर प्रवर समिति के सामने जाय ताकि सब दल के सदस्य इस पर वहां विचार कर सकें और ठंडे दिल से इस पर सोच सकें और इसकी परिधि बढ़ा कर हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय आन्दोलन और राष्ट्रीय पर्व के साथ न्याय कर सकें। वह वहां पर इन सब बातों का समावेश इसके अन्दर कर सकेंगे । इन शब्दों के साथ मैं माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय ।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं काफी देर से सुन रहा हूं कि राष्ट्रीय पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाना चाहिये लेकिन राष्ट्रीय पर्व का मतलब न मालूम कौन से राष्ट्रीय पर्व से है । राष्ट्रीय पर्व तो पहले था, आज तो मतलबी पर्व चल रहा है । इसको तो प्रतिक्रियावादी पर्व और अवसरवादी पर्व कहा जा सकता है। क्या यह राष्ट्रीय पर्व कहा जायगा कि जब मास्टर छोटे-छोटे बच्चों को घरों से बुला कर कहलाते हैं कि गांधी बाबा की जय बोलो ? आज वह राष्ट्रीय पर्व कहां है जो सन् ३० में १० मई को मनाया गया था ?

उस समय जिस गली से होकर निकलते थे तो 'इन्कलाब जिन्दाबाद', 'आजादी हमारा ध्येय है', 'अंग्रेजों को निकालेंगे' यह नारे लगने लगते थे। वह चीज कहां चली गई? आज बच्चे चिल्लाते हैं और बच्चों से मास्टर कहलवाते हैं कि गांधी जी की जय बोलो और चाचा नेहरू की जय बोलो। आज तो इस देश में राष्ट्रीय पर्व का पता भी नहीं है। वह राष्ट्रीय पर्व था जब २६ जनवरी को इस देश में वीरों ने झंडा उठाया था। माता और बहनों के ऊपर से लारी उतरती थी। वीरों के ऊपर घोड़े दौड़ाये जाते थे। बहादुर युवकों को डंडों से मारा जाता था। वह राष्ट्रीय पर्व था। आज राष्ट्रीय पर्व कहां है? आज तो प्रतिक्रियावादी का पर्व है और अवसरवादी का पर्व है। आज तो दूसरा ही पर्व चल रहा है। समझते हैं नहीं, पर्व पर्व चिल्लाते हैं।

अब देखिये कि १५ अगस्त का त्योहार आ रहा है वह कैसे मनाया जायगा। सबेरे मास्टर बच्चों को पकड़ ले जायंगे। उनसे कहलायेंगे बोलो गांधी जी की जय, बोलो भारत माता की जय। लेकिन उस १५ अगस्त को हलवाहा जानता नहीं, किसान जानता नहीं, मजदूर जानता नहीं। इसकी जगह जो अपने पुराने त्योहार हैं उनको देखिये। घर-घर में खीर बनती है, मातायें, बहनें गीत गाती हैं, खुशियां मनाती हैं। किसान मजदूर तो बेचारा जानता ही नहीं कि १५ अगस्त का त्योहार क्यों मनाया जाता है। उसे आजादी मिलती तो वह जानता भी। आजादी तो बड़े-बड़े लोग खींच ले गये। गांधी जी ने आजादी का सूर्य निकाला था। उस समय एक चमक हुई थी, लेकिन उस पर राहु और केतु छा गये। उन्होंने सूर्य को दबा लिया और वे आजादी की रोशनी को हड़प गये। किसान मजदूर पर उस आजादी के सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी, न उसे मालूम पड़ा कि १५ अगस्त क्या चीज है। उनको उसका मजा नहीं आया। उनको मजा आया होता तो वे १५ अगस्त के मजे को समझते। उन बेचारों के तो उस आजादी की बदौलत हाथ पैर टूटे, वे जेल में सड़े, उनकी माताओं-बहनों पर लारियां चला दी गयीं जिससे गर्भ स्खलित हो गये। यह आजादी का मजा उनको मिला। यह आजादी तो अवसरवादियों को, पूंजीपतियों को मिली है तो वे गरीब १५ अगस्त कैसे मनायें? उन गरीब मजदूरों और किसानों को आजादी नहीं मिली।

श्री उपाध्यक्ष—अब आगे कुछ और कहिये।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं उसी पर आ रहा हूं। सच्ची बात शेर कहता है, कभी कभी। मैं कह रहा था कि खेतिहर मजदूरों का और किसानों का सरकार से कोई संबंध नहीं। यह मोटी नहीं, एक बारीक बात है जो मैं आप के द्वारा निवेदन कर रहा हूं। पश्चिमी जिलों में किसान खेतिहर मजदूर को अपने बेटे की तरह पालता है। उसे ५० पया महीना देता है, मट्ठा, दूध, दही देता है और अमावस के दिन छुट्टी देता है। उस दिन खीर होती है मजदूर के लिये। मेरी अर्ज है कि पूर्व के मजदूर को आप बचाइये जो महुआ खाता है और शीरे का शरबत पीता है। आपको खयाल तो उस मजदूर का करना चाहिये जो लिपट खींचता है, झाड़ू लगाता है, चारपाई बिछाता है। उसे छुट्टी मिलनी चाहिये। जो बेचारे विधायक निवास में रहते हैं और सब दिन काम करते हैं उनको छुट्टी मिलनी चाहिये। पश्चिमी जिलों में तो किसानों ने खेतिहर मजदूर के लिये उस जगह को स्वर्ग बना दिया है, मैं तो पूर्व वाले मंत्रियों से अपील करूंगा कि आप अपनी तरफ ध्यान दें। मैं किसी का समर्थन तो करता नहीं, अपनी बात कहता हूं। आप समझ लीजिये कि आजादी गरीब और मजदूर को नहीं मिली है। उसे तो बड़े आदमी हड़प गये। गरीबों को क्या पता कि १५ अगस्त क्या चीज है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गरीबों को भी राहत मिलनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैशनल हालीडेज़ के सम्बन्ध में जो बिल हमारे सामने पेश है वह बहुत ही सीधा-सादा है और उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो गयी है जिसके काररण यहां कुछ बहस और नुक्ताचीनी

[डाक्टर जयगोपाल]

हुई है। यह बिल इसलिये नहीं लाया जा रहा है कि मजदूरों को साल में कितनी छुट्टियां मिलें। शुगर के स्टैंडिंग आर्डर के पहले और बिजली के सम्बन्ध में अदालत का जो फैसला हुआ है उसके पहले भी मजदूरों को छुट्टियां मिलती रही हैं और वे उनके त्योहारों के मुताबिक, उनके कार्य के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की मिलती रही हैं। जब से आजादी मिली, तब से सरकार इस बात के लिये हमेशा दरख्वास्त करती रही कि इन तीन दिनों की छुट्टियां भी इनको दी जायं और उसके अनुसार कुछ इन्डस्ट्रीज तो छुट्टी देती थीं, पर उनको वेतन नहीं देती थी, कुछ ऐसी थीं जो बावजूद प्रार्थना करने पर भी छुट्टी नहीं देती थीं और कुछ पेड हालीडेज कर देती थीं। तो इसमें कुछ दिक्कतें थीं और उन दिक्कतों को दूर करने के लिये ही यह बिल लाया गया है। मजदूरों में इन त्योहारों को छुट्टी मनाने की ख्वाहिश थी, उसके मुताबिक तथा शुगर के स्टैंडिंग आर्डर पर जब बहस हुई उस समय भी ट्रिपार्टाइट (tripartite) कमेटी के जरिये यह तय किया गया कि मैनेजमेंट इसके लिये तैयार है कि कम से कम यह छुट्टियां देनी चाहिये, इसलिये यह बिल लाया गया है।

इसके अलावा इन छुट्टियों को मनाने के लिये बिजली के वर्कर्स ने अदालत में भी इस मसले को पेश किया और अदालत का यह फैसला हुआ कि उनको यह छुट्टियां मिलनी चाहिये। इस सब के बाद ही सरकार बिल की शक्ल में इसको यहां लाई है। यह चीज आज बिलकुल साफ हो गयी है कि मजदूरों को इन कौमी छुट्टियों को मनाने की जरूरत है। अब तो उनको एक कानूनी शक्ल ही देना है क्योंकि जब कभी छुट्टी देने की या और कोई बात सामने आती है तो उसके बहुत इम्प्लीकेशन्स सामने होते हैं। अतः यह जरूरी समझा गया कि इस सम्बन्ध में एक बिल लाकर इसको कानून की शक्ल दी जाय। इन तीनों छुट्टियों को देने के सम्बन्ध में यह बिल लाने का यह मंशा नहीं है कि मजदूरों को कितनी छुट्टियां दी जायं। यह तीनों ही गजटेड हालिडेज हैं।

जहां तक हमारे शाप्स एन्ड कामर्शियल ऐक्ट के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों का संबंध है, वे इन्डस्ट्रियल मजदूर तो नहीं हैं लेकिन उस ऐक्ट के अन्तर्गत उनको यह छुट्टियां मिलती हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है कि यह सभी पर लागू हो तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस वक्त तो जिस मसले को लिया गया है वह मजदूरों के मसले को ही लेकर इसको लिया गया है। इन्डस्ट्रियल हल्के को छोड़ कर बहुत से ऐसे हल्के हैं जिसमें मजदूर काम करते हैं, लेकिन उसमें कानून को नहीं ला सकते हैं। तो जितनी दूर तक चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है आज उसी दायरे तक चलने की बात हो सकती है। कोई चीज अलग से छांट कर के विस्तृत दायरा कायम कर दिया जाय, यह होने वाली बात नहीं है।

जहां तक खेतिहर मजदूरों का ताल्लुक है, उनकी समस्यायें इन्डस्ट्रियल मजदूरों से बिल्कुल अलग हैं और उनका हमारे देहात के रस्मो रिवाज के ऊपर, तौर-तरीकों पर गहरा असर पड़ता है। हमने देहात के अन्दर जो जमीनों को तकसीम करके जमींदारी का खात्मा करके एक इक्तिसादी इन्कलाब किया है क्या हमने उसका कंसालिडेशन कर लिया है और उसके साथ देहात के अन्दर मजदूर यूनियन्स कायम की हैं? शहरों के अन्दर जो स्ट्राइक्स, झगड़े और तबाही होती है यह सब करें और फिर हम यह देखें कि आया काश्तकार इक्तिसादी तौर पर इस पोजीशन में होगा या नहीं कि मजदूरों की तनख्वाहों, छुट्टियों और दूसरी सहूलियतों का बोझ बर्दाश्त कर सके। हम एक बिल्कुल नया चैप्टर खोल देते हैं जिसके सियासी इक्तिसादी, समाजी और कई तरह के इम्प्लीकेशन्स हैं। यह चीज एक बहुत हल्के तरीके से नहीं ली जा सकती।

जहां तक मेकेनाइज्ड फार्म्स का ताल्लुक है जिनमें १० या उससे ज्यादा मजदूर काम करते हैं वह फैक्टरीज ऐक्ट में आते हैं। जहां तक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी, रोडवेज के वर्कर्स या गवर्नमेंट के वह तमाम अदारे जो फैक्टरीज ऐक्ट के अन्दर रजिस्टर्ड होते हैं, उनका ताल्लुक है वह इंडस्ट्रियल इस्टब्लिशमेंट ऐक्ट के अन्दर आते हैं। तो जितना हल्का उसको दिया गया है,

यह बिल उसको पूरी तौर पर कवर करता है और ऐसी कोई बात इसमें नहीं है जो बहस-तलब हो या दो रायें रखने वाली हो या कोई ऐसी बात हो जो झंझट की हो जिसकी वजह से कोई परेशानी और दिक्कत की बात हो।

जहां तक सरकार के अख्तियारात लेने की बात है, ऐसा होता है कि बहुत से अदारे ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में एख्तिलाफ राय हो जाय कि यह फैक्टरीज ऐक्ट में आयेंगे या नहीं, उसको देख भाल करके गवर्नमेंट अपने कानूनी मशीरों से राय लेकर तय कर सकती है कि यह इंडस्ट्रियल कन्सर्न कहे जा सकते हैं या नहीं। मैं समझता हूं कि इन अख्तियारात का लिया जाना मुनासिब है। फिर कुछ चीजें फैक्टरीज ऐक्ट में आती हैं। यह बहस हो सकती है कि यह छुट्टियां दी जानी मुनासिब हैं या नहीं जैसा कि रेलवेज और रिजर्व बैंक का जिक्र किया गया है। तो उन अख्तियारात को मखसूस कर लेना कि यह खुसूसी जरूरियात को कवर करने के लिये हैं, उसके मायने यह नहीं हैं कि किसी तबके को इससे महरूम करना है। अगर इसको खालिस इस नुक्ते-नजर से देखा जाय यह, कौमी त्योहारों की ज्यादा से ज्यादा छुट्टियां मजदूर तबके को जो इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर आते हैं, दिलाने के लिये बनाया गया है जिसके लिये मैनेजमेंट में, गवर्नमेंट में और पब्लिक में जहनी तब्दीली आ चुकी है, तो साफ हो जायगा कि यह हरगिज उन चीजों को कवर नहीं करता जिनके जरिये से कि मजदूरों की सालाना छुट्टियां या आम छुट्टियां तय होती हैं। आप शुगर इंडस्ट्री में देखिये कि १७–१८ दिन की छुट्टियां होती हैं और स्टैंडिंग आर्डर के जरिये से होने वाली तीन दिन की छुट्टियां नहीं हुआ करती थीं। तो कोई बात बहस-तलब नहीं है और न प्रवर समिति में यह बिल भेजने लायक है। जिन छुट्टियों को सरकार बहुत अर्से से रिक्वेस्ट और आर्डर के जरिये से दिलाया करती थी उनको इस बिल के जरिये से कानूनी तौर पर दिलाने की कोशिश की गई है। इसलिये इसको बिना मजीद दिक्कत और बहस के मान लेना चाहिये।

***श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसार के सभी देशों में कुछ न कुछ ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां या दिवस होते हैं जिनमें उन दिनों में या तो कोई न कोई महत्वपूर्ण घटनायें हुई होती हैं या उस देश का उद्धार करने के लिये वहां पर अपने कार्यक्रम को पूरा करने के लिये कोई न कोई महापुरुष अवतरित होता है। हमारे देश में भी ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां हैं।

मान्यवर, जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान विधेयक रखा गया है उसमें केवल तीन दिन ऐसे रखे गये हैं जिनमें इस बात का संकेत किया गया है कि मजदूरों को छुट्टी मिलेगी और यह भी व्यवस्था की गई है कि यह बिल केवल इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स या इन्डस्ट्रीज पर ही लागू होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या शाप असिस्टेन्ट्स, बाजार कर्मचारियों, खेतिहर मजदूरों, पी० डब्लू० डी० में काम करने वाले मजदूरों या अन्य मजदूरों को क्या इन राष्ट्रीय छुट्टियों से वंचित रखा जायगा? अगर इससे सब को लाभान्वित करना चाहते हैं तो इस बिल में केवल औद्योगिक प्रतिष्ठान रखने से उनका क्या तात्पर्य है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी राष्ट्रीय छुट्टियों में केवल यही तीन दिन आते हैं? क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है कि नेता जी सुभाषचन्द्र बोस के कार्यक्रम के परिणामस्वरूप भी अंग्रेजों को यहां से जाना पड़ा? उनका जन्म दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है। क्या २३ जनवरी हमारे मंत्री जी को याद नहीं है जिसके नाम पर अंग्रेजों को भगाया गया, उसको राष्ट्रीय छुट्टियों से क्यों हटा देते हैं? "स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है" का नारा लगाने वाले, जय घोष करने वाले महामान्य बालगंगाधर तिलक का जन्मदिवस क्या राष्ट्रीय पर्व नहीं है, जिनके जयघोष से प्रभावित होकर हम सब लोगों ने स्वराज्य को प्राप्त करने के लिये सतत् प्रेरणायें प्राप्त की थीं? आज उन्हीं भगवान् तिलक का जन्म दिवस हमें राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं दिखाई पड़ता।

पहली मई, जिसको इन्टरनैशनल लेबर कान्फ्रेंस ने एक स्वर से छुट्टी स्वीकार कर लिया है और जिसके नाम पर १८८४ में अमरीका में विप्लव हुआ और रूस और चीन ने जिसको स्वीकार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

किया है, उसी को, जो कि मजदूरों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं, मजदूरों का त्योहार मानने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ३० जनवरी के दिन १२ बजे जब कि सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाता है, सब लोग मौन हो जाते हैं, उस शहीद दिवस को यह सरकार राष्ट्रीय दिवस मानने के लिये क्यों तैयार नहीं है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्रदेव जन्म दिवस पर जिसकी मान्यता हम सब लोग स्वीकार करते हैं उस दिन को क्या राष्ट्रीय पर्व सरकार मानने के लिये तैयार नहीं है ? तो मैं कहने के लिये विवश हूं कि सरकार और उसके चलाने वालों की राष्ट्रीयता की परिधि बहुत सीमित है। उसको हमें व्यापक बनाना पड़ेगा और उसमें इस तरह के दिनों को भी शामिल करना पड़ेगा।

मान्यवर, इस बिल में बहुत ही सीमित क्षेत्र में उसको लागू करने के लिये इस सरकार की ओर से योजना बनाई गई है। मैं इसका विरोधी हूं। उनको चाहिये था कि वे इसको व्यापक बनाते, खेतिहर मजदूरों, बाजारू कर्मचारियों और पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों और अखबार वालों पर भी इसको लागू किया जाना चाहिये, केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू किये जाने से जन-भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल के दायरे को व्यापक बनायें और जैसा कि गेंदासिंह जी का प्रस्ताव है कि बिल को प्रवर समिति में पुनर्विचार के लिये जाना चाहिये, मैं इससे सहमत हूं। वहां जाने पर इस बिल की त्रुटियों को हम ठीक कर सकते हैं और उन संशोधनों के साथ इस बिल को स्वीकार करने में हमारा समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

*श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल के ऊपर अपने सभी साथियों के विचार सुने। यह ठीक है कि इस देश का मजदूर एक बड़ा अहम हिस्सा है और यह देश इसीलिये मजदूरों और किसानों का देश कहलाता है। जो सुविधा मजदूरों को मिलनी चाहिये वह अवश्य उनको मिले लेकिन क्योंकि उसके साथ ही साथ हमारे देश को आजाद हुए कुछ ही दिन हुए हैं और हमें अपने मुल्क को दुनियां के दूसरे देशों के कदम बकदम ले जाना है इसलिये दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। छुट्टियों का ख्वाब तो वे लोग देखते हैं जिनको इस बात का खयाल नहीं है कि हमारे देश की बेहतरी के लिये इस बात की जरूरत है कि हम उसका प्रोडक्शन बढ़ायें। इसलिये जहां मजदूरों को छुट्टियां मिलनी चाहिये वहां उनको अधिक से अधिक प्रोडक्शन भी करना चाहिये। इसके जरिये से १५ अगस्त, २६ जनवरी, और २ अक्तूबर की छुट्टी की जा रही है। १५ अगस्त हमारी आजादी का दिन है, २६ जनवरी रिपब्लिक डे है और २ अक्तूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। राष्ट्रपिता के बाद हमारे देश के और भी बहुत से नेता हैं जिनका दिन मनाया जाना चाहिये लेकिन अगर सब दिन मनाये जाने लगें तो कितने दिनों की छुट्टी होगी ? हमारे देश की पैदावार ज्यादा दिन की छुट्टी होने से घट जायगी।

हमारी सरकार ने मजदूरों की सुविधा के लिये बहुत से कानून बनाये हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में नहीं थे। इसलिये जब कि हमें यह जरूरी है कि हम मजदूरों को कुछ कंसेशन दें, हमारा यह भी फर्ज हो जाता है कि हम उनसे कहें कि जो काम उनको दिया जाता है उसको मेहनत से करें। लेकिन अफसोस है कि कुछ मजदूर ऐसा नहीं करते और अगर ऐक्शन लिया जाता है तो यूनियन वाले बगैर सोचे-समझे उसका विरोध करते हैं। इससे मजदूरों में दिलेरी आ जाती है और उनमें बहुत से मजदूर काम नहीं करते। यह हमारी और आपकी ड्यूटी है कि हम मजदूरों से, चाहे वह फैक्टरीज में काम करते हों या कहीं करते हों कहें कि वे दिलोजान से काम करें, जिससे देश का प्रोडक्शन बढ़े। मैं इस बिल से सहमत हूं और समझता हूं कि सरकार ने जो बिल नैशनल हालीडेज का रखा है यह बहुत अच्छा है इसलिये कि मजदूरों को उन दिनों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मजदूरी मिलेगी और जो दूसरी सुविधायें मिलती हैं वह भी मिलेंगी। अगर आप इससे ज्यादा छुट्टी की मांग करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जो प्रोडक्शन होते हैं उनमें कमी होगी।

नैशनल हालीडेज का मतलब रेलीजस हालीडेज से नहीं लिया जाना चाहिये। रेलीजस हालीडेज बहुत-सी होती हैं। फैक्टरीज ऐक्ट के जरिये से जो अवकाश होते हैं वह भी होते ही हैं। इसके साथ जो यह पेमेंट के साथ तीन दिन का अवकाश रखा गया है, वह मैं सोचता हूं कि सरकार की बहुत ही फराखदिली है और बहुत अच्छा है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर विचार करते समय मेरे मस्तिष्क में एक बात आयी कि यह सरकार जो इस बात का दावा करती है कि नियोजन से काम कर रही है, वह है नहीं, क्योंकि जब कोई विधेयक आता है तो राष्ट्र के हित में जो काम पूरा होना चाहिये वह सम्पन्न नहीं हो पाता। हमारे प्रदेश में कौन-कौन औद्योगिक संस्थान ऐसे हैं जहां कितनी छुट्टियों की जरूरत है। सरकार का दिमाग साफ नहीं है कि यह विधेयक कहां पर लागू होगा और कहां पर नहीं। सरकार चाहती है कि सीमा बांध दे कि यहां-यहां जो मजदूर काम करते हैं उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। सरकार के दिमाग में यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस का कितना विस्तार होगा और इस भय से कि कहीं इसका इतना विस्तार न हो जाय कि उनके हाथ से बाहर हो जाय, इसलिये वह अपने हाथ में ताकत रखना चाहती है। मैं चाहता हूं कि जब हम राष्ट्रीय छुट्टियों की बात करते हैं तो सरकार का दिमाग उस मामले में बिलकुल साफ होना चाहिये कि किस किस्म के संस्थानों में कितनी छुट्टियां होनी चाहिये। अगर निश्चितता के साथ कोई विधेयक आता तो तमाम प्रदेश की समस्या हल हो जाती। लेकिन सफाई न होने के कारण बड़ा गड़बड़ हो रहा है। जैसे शक्कर मिलों में कुछ में छुट्टियां दी जाती थीं, कुछ जगहों में बिना वेतन दी जाती थीं और कुछ जगहों में नहीं दी जाती थीं। तो यह जो अस्पष्ट स्थिति है जिस अनियमितता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकरूपता नहीं है, सरकार इसके बारे में नहीं सोचती। इसका कारण स्पष्ट है कि सरकार नियोजन की दृष्टि ही नहीं रखती।

यह तो मानी हुई बात है कि राष्ट्र निर्माण में मजदूर एक बहुत बड़ा साधन रहा है लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अगर कोई आदमी लगातार काम करता रहे और ऐसे अवसर पर जब हर आदमी का हृदय उछलता है कि मनोरंजन प्राप्त करे और उसको मनोरंजन करने को न मिले तो काम करने की शक्ति घट जाती है, यह एक सर्वमान्य फारमूला है। इसी के आधार पर छुट्टी की व्यवस्था की गयी है लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रदेश की सरकार यह समझ नहीं पा रही है कि औद्योगिक संस्थानों में कुल कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिये। नियमित रूप से वे छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती हैं, इस सम्बन्ध में सरकार का कोई स्पष्ट मत नहीं है।

अब जरा ऐक्ट को देखा जाय, तीन राष्ट्रीय पर्व इसमें गिनाये गये हैं। मैं कहता हूं कि १० मई को राष्ट्रीय पर्व क्यों न माना जाय जिस दिन सन् १८५७ में गदर की शुरूआत हुई थी? आखिर वह भी तो हमारा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दिवस है, भले ही वह असफल हो गया हो, लेकिन उसी रोज विदेशियों को निकालने की बात हमारे राष्ट्र के दिमाग में आयी थी। नेता सुभाषचन्द्र बोस के जन्म दिन को क्यों न राष्ट्रीय पर्व माना जाय? उन्होंने देश के लिये बहुत बड़ा काम किया था और देश को आजाद कराने में काफी मदद की थी। सरकार आज अपने दिमाग में बिलकुल स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय पर्व की परिभाषा क्या है तथा किन-किन छुट्टियों को राष्ट्रीय पर्व माना जाय।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, एक बात और है। इसी सदन में एक बार सरकार की ओर से कहा गया था कि हमारे राष्ट्रीय पर्व चार हैं। उनमें १४ नवम्बर को भी राष्ट्रीय पर्व मानने की बात थी, यद्यपि

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री के जन्म दिवस होने की वजह से उसे राष्ट्रीय पर्व का दिन माना जाय और बालकों के नाम पर उसे राष्ट्रीय दिवस मनाया जाय। हमारी शिकायत यह है कि किसी जगह तो आप चार दिन राष्ट्रीय पर्व मानते हैं, किसी जगह तीन दिन मानते हैं और किसी जगह एक दिन भी नहीं मानते हैं। तो यह जो सरकार को बुद्धि विभ्रम पैदा हो गया है उसका कहीं निराकरण तो होना ही चाहिये। मैं समझता हूं कि उसके लिये यह सदन ही सब से उपयुक्त स्थल है।

माननीय गेंदासिंह जी ने इस विधेयक को प्रवर समिति में ले जाने का प्रस्ताव लाकर के हम लोगों का बड़ा ही हित किया है। श्रीमन्, हम लोगों को एक अवसर मिलना चाहिये कि आज सरकार को जो बुद्धि विभ्रम हो गया है, उसे दूर करके हम अपनी बात प्रवर समिति में कह सकें और अपनी तमाम शंकाओं को भी कहें ताकि उनको निर्मूल किया जा सके। यह विधेयक प्रवर समिति के समक्ष जायगा तो हम वहां अपनी बातें स्पष्ट रूप से कह सकेंगे कि इसकी परिधि बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है तथा हमारे प्रदेश में कौन-कौन औद्योगिक संस्थान हैं जहां यह विधेयक लागू होना चाहिये। जब एक विधेयक हमारे सामने आ रहा है तो क्यों न हम इसी वक्त सारी बातें स्पष्ट कर लें ताकि भविष्य के लिये वे हमारी परेशानी का कारण न बनें। आखिर एक दफा सम्पूर्ण रूप से राष्ट्रीय पर्व निर्धारित कर देने में सरकार को क्या परेशानी है? अगर औद्योगिक संस्थान के मजदूरों के मनोरंजन के लिये हम कोई दिन निर्धारित कर दें तो इसमें क्या नुकसान है? इसलिये मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस कार्य से अपना मुंह न चुराये, अच्छी तरह से इन सब बातों को देखे और अपनी नीति को स्पष्ट करे। आखिर औद्योगिक संस्थानों में एकरूपता लाने में सरकार को क्या परेशानी है? अगर एक बार सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित कर ले तो हमारे प्रदेश के मजदूरों में भी थोड़ा-सा आशा का संचार होने लगे।

श्रीमन्, अब जरा इस विधेयक में जो एक धारा रखी गयी है उसको देखा जाय। उस पर मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। वह यह है कि सरकार एक निर्धारित सीमा के मजदूरों पर इसे लागू करेगी। मैं कहता हूं कि १०--२० या जो भी हों, उतने संस्थानों की एक सीमा पहले से ही निर्धारित हो जानी चाहिये कि इतने मजदूरों वाले संस्थानों पर ये छुट्टियां लागू नहीं होंगी। जब सरकार के फैक्टरी ऐक्ट के अन्दर ही फैक्टरी की एक परिभाषा स्पष्ट रूप से दी गयी है तो उस परिभाषा को सब पर लागू करने में उसे हिचक ही क्यों है? माननीय मंत्री जी ने सदन के समक्ष यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह धारा जो उन्होंने रखी है उसके अन्दर उनको कौन-कौन सी आशंकायें हैं जिनके कारण सरकार को परेशानी है। किन-किन औद्योगिक संस्थाओं के मजदूरों के लिये ये छुट्टियां हैं, यह सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है।

उसी के साथ-साथ इसमें एक धारा और है। इसमें व्यवस्था है कि अगर आवश्यकता हो, कोई आवश्यक कार्य संस्थान का हो तो वह काम ले सकता है, लेकिन उस दिन के लिये मजदूरों को उनकी मजदूरी की दुगुनी मजदूरी देना होगा। जब इस तरह की व्यवस्था है, तो स्पष्ट है कि यह धारा असीमित, अमर्यादित और अवैधानिक है और इससे इस प्रकार की आशंका होती है कि इस विषय में सरकार का दिमाग साफ नहीं है और इसके द्वारा सरकार एक अनियंत्रित शक्ति को अपने हाथ में लेकर जिस संस्थान को चाहेगी उसमें लायेगी और जिस को चाहेगी सीमा से हटा देगी और सीमा को घटायेगी, बढ़ायेगी। न तो उसकी मजदूर नीति स्पष्ट है, न सरकार के दिमाग में कोई नकशा है कि वह इसे क्यों लागू कर रही है। कौन से अनुष्ठान आयेंगे यह सब इसमें नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस पर विचार करें और अपनी बात स्पष्ट करें और इसमें कोई ऐसी धारा न रखें। यदि वह अपने तर्क दिये होते तो हम उन पर विचार करते परन्तु उन्होंने अपने तर्क दिये ही नहीं हैं

सिवा इसके कि मंत्री जी समझते हैं कि उनका बहुमत तो है ही और बिल पास हो जायगा। परन्तु केवल बहुमत से ही काम नहीं चलता, यह तो विचार और बुद्धि की बात है।

यदि आप इसको प्रवर समिति में ले जाकर फिर विचार नहीं करते तो इसमें न एकरूपता आयेगी और न तो समानरूपता ही आयेगी और मजदूरों को लाभ पहुंचाने की जो मंशा है वह भी पूरी न होगी। वैसे आप इसे बहुमत से भले ही पास करा लें, इसलिये सरकार विचार करके इसको प्रवर समिति में भेजे और इस प्रकार की धाराओं को हटा ले।

एक बात और है, कि सरकार ने इस बिल के सम्बन्ध में ३ तिथियां दे रखी हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरी तिथियां रखी जायं या नहीं, इस सम्बन्ध में अगर सरकार अधिकार ले लेती है तो अच्छा है कि यह तीन तो रहेंगी ही, लेकिन दूसरे भी पर्व माने जायं तो सरकार उनको भी, घोषणा करके शामिल कर सकती है, ऐसा होता तो हमें खुशी होती। सरकार ने जो यह अपने हाथ में रखा है कि जिन संस्थानों को वह चाहेगी छोड़ सकती है इससे हजारों लाखों का फर्क हो जायगा, और फिर जिनको छोड़ा जायगा उनसे चन्दा वसूल होगा, वह उस लाभ पाने के एवज में चन्दा दे देंगे और उससे इनका काम चलेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की आशंका का मौका न दे और उस धारा को हटाये। दूसरे और पर्व भी इसमें जोड़ने की व्यवस्था करे। इन शब्दों के साथ मैं प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री हरदेवसिंह (जिला सहारनपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि २ साल में आपने मेरा नाम लिया है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो बिल छुट्टी की बाबत चल रहा है उसके बारे में मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे भाई कुछ बातें ऐसी कह देते हैं कि जो चलने वाली नहीं होतीं। आपको मालूम है कि मजदूरों की छुट्टी होली, दिवाली की होती हैं। उनमें बड़ी खुशियां होती हैं क्योंकि उस वक्त खेती काटने या बोने का कोई मौका नहीं होता, न कटाई का होता है, न बुवाई का होता है। बड़ा सुन्दर एक समय होता है। उन्हें जो छुट्टी दी जाती है उसमें उन्हें बड़ी खुशी होती है। हमारे पुजारी जी ने कहा कि हमारे यहां जिस समय दीवाली की छुट्टी होती है तो जो खेतिहर मजदूर हैं उनको खीर खिलाते हैं, पूरी खिलाते हैं और उनका बड़ा सत्कार करते हैं। लेकिन अगर उनको बुवाई या कटाई के मौके पर छुट्टी दे दी जाय तो उसमें बड़ा भारी नुकसान है।

जहां तक फैक्टरी की बात है, उसमें तो छुट्टी मिलती ही है। हमारे जो भंगी भाई हैं, उनकी भी अगर छुट्टी कर दी जाय तो बड़ा पेंचीदा मामला हो जाएगा। गन्दगी फैल जायगी, बीमारी फैलने का खतरा होगा। यहां पर कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं कि जो फिट नहीं बैठतीं। भंगी भाइयों की छुट्टी कर दी जाय तो मुश्किल हो जाएगा। रेलवे की अगर रात-दिन की छुट्टी कर दी जाय तो कितना भारी नुकसान होगा और देश कितनी किल्लत में पड़ जाएगा? रोडवेज की छुट्टी कर दो, फिर नतीजा देखो। इन बहनों की एक दिन की छुट्टी कर दो कि रोटी न बनावें, फिर देखो। तो छुट्टी की बात करते वक्त इन सब बातों का खयाल तो रखना ही पड़ेगा। खेतिहर मजदूर मजदूर नहीं होते बल्कि वह साझी होते हैं। उन्हें सातवां हिस्सा ईख में और दूसरी सब चीजों में मिलता है। वह छुट्टी कर दें तो उन्हें बड़ा भारी नुकसान होगा क्योंकि साझा होता है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

फैक्टरियों की छुट्टी का सवाल है, हम मानते हैं। सरकारी नौकरी की छुट्टी का सवाल है, हम मानते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे मुहकमे हैं कि अगर उनकी छुट्टी कर दी जाय, सारे कर्मचारी घर चले जायं, तो मुश्किल हो जायगी। जैसे पुलिस का मुहकमा है, छुट्टी कर दी जाय तो

[श्री हरदेवसिंह]

उससे बड़ा भारी नुकसान होगा क्योंकि शांति और सुरक्षा का सारा काम उसी से चलता है। अगर उनकी रात-दिन की छुट्टी कर दी जाय तो डकैत आफत मचा देंगे । तो बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो फिट नहीं बैठतीं । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा चाहता हूं । जयहिन्द !

*श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मंत्री जी को सुनने का मौका नहीं मिला । मैं अब भी आशा करता हूं, आशावादी हूं कि मंत्री जी इस प्रश्न पर सहानुभूति के साथ विचार करेंगे। हमारे मित्र माननीय हरदेवसिंह जी जो कुछ कह रहे थे मैं समझता हूं कि जयगोपाल जी और हरदेवसिंह जी ने जो कहा है उसी का मुझे उत्तर देना है । अगर उन्होंने इस विधेयक को पढ़ने की तकलीफ की होती तो इस बात को उन्होंने न कही होती और अगर उन्होंने मेहरबानी करके मुझे भी सुन लिया होता, तो भी जो तकलीफ उनको इस वक्त भाषण देने में हुई है, वह तकलीफ उनको न उठानी पड़ती ।

असल में मुझे बहुत अफसोस है कि दो साल बाद माननीय हरदेवसिंह जी को जो तकलीफ करनी पड़ी, वह बिलकुल बेकार गई । अपने दोस्तों और भाइयों को आपने बहुत गलत समझा कि वह छुट्टी पा जायेंगे तो उस दिन बैल नहीं खिलायेंगे या पुलिस वाले अगर छुट्टी पा जायेंगे तो सारा देश ही लुट जायगा । यह मतलब नहीं है। इस विधेयक में इस बात की गुंजायश है कि जिस दिन वह काम छुट्टियों के बदले में करेगा, उसकी उसे मजदूरी मिल जायगी । इसको माननीय हरदेवसिंह जी समझ लें तब मेरा समर्थन करें । मेरा यह मतलब नहीं है कि काम ही बन्द हो जाय । खेतों का कटना बन्द हो जाय । उसके बदले में उसे मजदूरी मिल जायगी, ऐसी व्यवस्था की जायगी। मैंने भी यही कहा है कि उसके बदले में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय । अब यह मतलब मेरा थोड़े ही है, मेहतर जो काम करते हैं वह काम तीन दिन तक न करें । अगर ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत होगी । मेरा मतलब यह है कि उस दिन अगर सारे राष्ट्र को छुट्टी मिलती है और राष्ट्र का जो सबसे दबा हुआ वर्ग है, उसको भी उससे लाभान्वित होना चाहिये । इसलिये मैंने अपने भाषण में कहा था कि हमें कभी भी मेहतरों को नहीं भूलना चाहिये ।

दुर्भाग्य है जो हम उससे यह काम लेते हैं । बड़ा सौभाग्य का दिन होगा देश में, जिस दिन पाखाना उठाने का काम कोई आदमी नहीं करेगा । या तो उसकी धारणा बदले कि वह पाखाना उठाने वाला आदमी नीच नहीं है, या वह काम ही उसको न करना पड़े । तो मेरा कहना यह है कि उसको भी उस राष्ट्रीय छुट्टी में शामिल किया जाना चाहिये । यह जो तीन दिन, या जितने दिन सदन तय करे, राष्ट्रीय छुट्टियां होंगी उनमें उसको भी मौका मिलना चाहिये कि वह राष्ट्रीय छुट्टियां मना सके । राष्ट्रीय छुट्टी अगर वह नहीं मना सकता है और जरूरी है कि काम करे तो उसका वेतन उसको मिल जाय । यह है इस विधेयक में । मेरी कभी न तो यह मंशा हो सकती है और न मैं कभी इस बात की कोशिश करूंगा कि इस तरह से समाज के काम में, जो अब तक चल रहा है, कोई दिक्कत हो ।

जैसे मैंने मेहतरों की बात कही उसी तरह से खेतिहर मजदूरों के लिये भी कहता हूं । तीसरे खंड का आप प्रतिबन्ध देखें :

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि औद्योगिक अधिष्ठान के कारबार की आवश्यकता के कारण किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय छुट्टी के दिन काम करने की अपेक्षा की जाय और वह उस दिन काम करे तो नियोजक उसे एक दिन की मजदूरी की दुगुनी मजदूरी देगा या, यदि कर्मचारी चाहे तो, वह उसे एक दिन की मजदूरी तथा अगले कलेन्डर मास में उस दिन के बदले मजदूरी सहित एक छुट्टी, जो साप्ताहिक छुट्टी न हो, देगा ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये कोई घबराहट की बात नहीं है । बहुत स्पष्ट है । अतः मुझे अफसोस है कि दो साल बाद जो माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिला था उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ ।

मैं सरकार से कहूंगा कि राष्ट्रीय पर्व मनाने का जो आयोजन है उसके उपयोग का राष्ट्र के सबसे निचले लोगों को भी अवसर दिया जाना चाहिये । इसी उद्देश्य से मैंने अपना प्रस्ताव रखा है । मैं नहीं जानता सरकार का क्या इरादा है, लेकिन आशा करता हूं कि अगर किसी भ्रमवश ऐसा हुआ हो, जो खेतिहर मजदूर लोग हैं, मेहतर हैं, सार्वजनिक विभाग के मजदूर हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के जो मुलाजिम हैं, इन सभी मुलाजिमों को यह मौका मिलना चाहिये । मैं नाम नहीं रख पाता हूं, एकदम से यह बात दिमाग में नहीं आती है कि किन किन लोगों को हम कहें । इसलिये अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी में चला जायगा तो उसमें उन लोगों की भी व्यवस्था हो जायगी जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि वे भी इन राष्ट्रीय पर्वों से लाभान्वित हो सकें ।

श्री वसीनकवी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं माननीय गेंदासिंह जी का कि उन्होंने जो बातें अपने भाषण में कहीं उनका खुद जवाब भी दे दिया । जैसे उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेण्ट्स में मेहतरों, खेतिहर मजदूरों, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को आना चाहिये, लेकिन फिर उन्होंने ही यह कह दिया कि यह तो इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेण्ट्स के मुताल्लिक विधेयक है लिहाजा यह बात कही जा सकती है कि वे इसमें नहीं आ सकते । इसी तरीके से उन्होंने खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की बात उठाई और फिर यह कह दिया कि इस विधेयक में खेतिहर मजदूरों की बात नहीं आ सकती ।

मने इस वाद-विवाद में एक बात देखी और वह यह कि किसी एक भी माननीय सदस्य ने जिस मकसद के साथ यह बिल पेश किया गया है उस मकसद की कोई आलोचना नहीं की और इस पर खामोश रहना बल्कि यह कहना कि यह सीमित है, इसको जरा और बढ़ाया जाय, इसके यह माने हैं कि इस हाउस के सभी सेक्शन्स ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि इस विधेयक का सिद्धान्त ठीक है ।

इस विधेयक के बारे में दो, तीन बातें कही गईं जिनमें से एक खास बात तो यह थी कि इसमें और भी छुट्टियां होनी चाहिये, जैसे तिलकजी महाराज की, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की, जालियांन वाला बाग की जो तारीखें हैं, १३ अप्रैल, से जो सप्ताह मनाते हैं, २३ जनवरी से जो सप्ताह मनाते हैं, ये सब इसमें होनी चाहिये । तो असल में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने का जो लक्ष्य था वह तो यह था कि फारेन रूल हमारे मुल्क से जाय और जिस दिन वह फारेन रूल गया, यानी जिस लक्ष्य के लिये हमारी लड़ाई थी वह लक्ष्य जिस दिन पूरा हुआ उसकी महत्ता उनसे ज्यादा है जो उस लड़ाई के सैनिक या लीडर थे । फिर हम जो ये नेशनल त्योहार मनाते हैं ये खाली हमारे देश में ही थोड़े मनाये जाते हैं । ये तो जहां जहां हमारे राजदूत हैं वहां वहां हम मनाते हैं । लिहाजा ये तो इंटरनेशनल महत्व की चीजें हैं, १५ अगस्त, फिर २६ जनवरी और उसके बाद २ अक्तूबर, जो कि हमारे देश के महान् नेता और विभूति महात्मा गांधी का जन्म दिन है, जिनके मरने पर सारे संसार के झंडे झुक गये थे, तो उसकी बड़ी महत्ता है अपनी जगह पर । फिर ये छुट्टियां ऐसी हैं जो सारे भारत में गजेटेड हालिडेज के रूप में मनाई जाती हैं । तो जैसा कि मेरे एक साथी ने कहा कि अगर और सब छुट्टियां भी जोड़ दी जायं फिर तो एक बड़ी लम्बी लिस्ट हो जायगी और इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेण्ट्स में, जहां कि प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है, उसमें छुट्टियों की इतनी लम्बी लिस्ट, कोई मुनासिब बात नहीं होगी ।

मैं समझता हूं कि जो असल मकसद था इस विधेयक के पेश करने का वह यह था कि इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेन्ट्स में हमारे यहां एक रूपता नहीं है, यूनीफारमिटी नहीं है, वह लाई जाय । कुछ फैक्टरीज छुट्टी देती हैं और वेतन भी देती हैं, कुछ फैक्टरी वेतन नहीं देती और छुट्टियां देती हैं और कुछ फैक्टरीज ऐसी हैं जो न छुट्टी देती हैं और न वेतन ही देती हैं । लिहाजा इनमें एक रूपता लाने के लिये यह चीज रखी गई थी । अनआर्गेनाइज्ड लेबर की

[श्री वसी नकवी]

जो बात आपने कही वह एक ऐसी चीज है कि जिसमें प्रैक्टिकल रूप देने में मैं समझता हूं कि अभी समय लगेगा। करोड़ों खेतिहर मजदूर हैं, उनकी उन्नति के लिये हम विचार कर रहे हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनायें हैं, और भी योजनायें हैं और करोड़ों रुपयों की योजनायें हैं, लेकिन वह सब अपनी अपनी जगह पर हैं और समय पर आयेंगी।

इस समय अगर हमारे लायक दोस्त ऐसा समझते हैं कि ऐसा कानून मुनासिब और जरूरी है जिससे खेतिहर मजदूर को भी छुट्टी दी जा सके। तो आप प्राइवेट बिल ला सकते हैं। मैं यह समझता हूं कि इन दिक्कतों को आपके सामने बयान करने की जरूरत नहीं थी। १९५२ से इस सवाल को लेकर हम चल रहे हैं। मुख्तलिफ लेबर कांफ्रेन्स में, चाहे स्टेट की लेबर कान्फ्रेंसेज रही हों या आल इंडिया लेबर कांफ्रेन्सेज रही हों, उनमें यह सवाल बराबर उठता रहा है, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इसमें विरोध रहा है हर तरफ से। अब किसी न किसी तरह से हम इन दिक्कतों को ओवरकम कर सके हैं। लिहाजा आप इनको रिलीफ दीजिये, चाहे इनकी तादाद कुछ लाखों में हो हो। आगे अगर आप मुनासिब समझें तो प्राइवेट बिल लाकर इन चीजों को रख सकते हैं जिनका कि आपने जिक्र किया है। हालांकि मैं समझता हूं कि वे प्रैक्टिकल बिल नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं, गेंदासिंह जी बहुत रीजनेबिल और माकूल आदमी हैं, जैसा कि उनकी तकरीर से मालूम हुआ कि बात उन्होंने उठाई और उसका जवाब भी दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति को इस अधिकार के साथ भेजा जाय कि वह इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र को भी परिवर्धित करे और उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर सदन में प्रस्तुत हो जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक अधिष्ठान (राष्ट्रीय छुट्टी) विधेयक, १९६१, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है पर, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३, ४, ५ तथा ६

२—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम परिभाषाएं में :—

(क) "शिशिक्षु" का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान में प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसमें नियोजित व्यक्ति से है चाहे वह भाड़े पर हो या मजदूरी पर या अन्य रूप से;

(ख) "दिन" का तात्पर्य अर्द्ध-रात्रि से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटों की अवधि से है;

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य किसी औद्योगिक अधिष्ठान में दक्ष, अदक्ष, शारीरिक, पर्यवेक्षी, प्राविधिक या लिपिक कार्य करने के लिये भाड़े या पारितोषिक पर नियोजित किसी व्यक्ति से है (जिसके अन्तर्गत शिशिक्षु

भी हैं), चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या उपलक्षित, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति नहीं आते :—

(१) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासकीय पद पर नियोजित हों, या

(२) जिनका कार्य मुख्यतः भ्रमणात्मक हो ।

(घ) औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में प्रयुक्त "नियोजक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय जिसका औद्योगिक अधिष्ठान के कार्यों पर सीधा नियंत्रण हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी होंगे :—

(१) जब कोई औद्योगिक अधिष्ठान, राज्य सरकार के किसी विभाग के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा संचालित हो या उसके प्रबन्ध में हो, तो तद्‌र्थ उल्लिखित प्राधिकारी और जब कोई ऐसा प्राधिकारी उल्लिखित न हो तो उस विभाग का अध्यक्ष; और

(२) जब औद्योगिक अधिष्ठान, किसी स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्व में हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से संचालित हो या उसके प्रबन्ध में हो तो ऐसे अधिष्ठान का मुख्य कार्य पालक प्राधिकारी;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है,

(च) "औद्योगिक अधिष्ठान" का तात्पर्य —

(१) फैक्टरीज ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खंड (एम) में यथा परिभाषित फैक्ट्री या किसी ऐसे स्थान से है जिसे उक्त ऐक्ट की धारा ८५ की उपधारा (२) के अधीन "फैक्ट्री" समझा जाय, और

(२) अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे;

(छ) "निरीक्षक" का तात्पर्य धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है,

(झ) "राष्ट्रीय छुट्टी" का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष की २६ जनवरी, १५ अगस्त तथा २ अक्तूबर से है;

(ञ) "मजदूरी" का तात्पर्य धन के रूप में अभिव्यक्त किये जाने योग्य ऐसे समस्त पारिश्रमिक से है जो, यदि नियोजन की शर्तें चाहे वे अभिव्यक्त हो या उपलक्षित पूरी की जायं, तो कर्मचारी को अपने नियोजन के संबंध में या ऐसे नियोजन में किये गये कार्य के लिये देय हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(१) ऐसे भत्ते, जिनके अन्तर्गत महंगाई भत्ता भी है, जिन्हें पाने का कर्मचारी तत्समय अधिकारी हो;

(२) किसी निवास-गृह की सुविधा का, अथवा बिजली, पानी के सम्भरण, अथवा चिकित्सकीय उपचार या अन्य सुविधा का,

अथवा किसी सेवा का, अथवा खाद्यान्नों या अन्य पदार्थों के रियायती दरों पर सम्भरण का मूल्य;

(३) कोई यात्रा संबंधी रियायत; किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है :—

(क) कोई बोनस;

(ख) तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन कर्मचारी के लाभार्थ अथवा किसी पेंशन निधि या भविष्य निधि (प्राविडेंट फन्ड) में नियोजक द्वारा दत्त या देय अंशदान;

(ग) सेवा की समाप्ति पर देय कोई उपदान ।

राष्ट्रीय छुट्टियों का दिया जाना

३—किसी अन्य विधि, संविदे, लेख्य, प्रथा या व्यवहार में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी प्रत्येक कर्मचारी को राष्ट्रीय छुट्टी के दिन की मजदूरी सहित छुट्टी पाने का अधिकार होगा और वह छुट्टी उसे दी जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि औद्योगिक अधिष्ठान के कारबार की आवश्यकता के कारण किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय छुट्टी के दिन काम करने की अपेक्षा की जाय और वह उस दिन काम करे तो नियोजक उसे एक दिन की मजदूरी की दुगुनी मजदूरी देगा या, यदि कर्मचारी चाहे तो, वह उसे एक दिन की मजदूरी तथा अगले कलेन्डर मास में उस दिन के बदले मजदूरी सहित एक छुट्टी, जो साप्ताहिक छुट्टी न हो, देगा ।

स्पष्टीकरण—जब कर्मचारी को दिन के हिसाब से या कार्यानुसार मजदूरी दी जाती हो तो इस धारा के अधीन उसे दी जाने वाली एक दिन की मजदूरी उसकी दैनिक औसत मजदूरी होगी, जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी ।

निरीक्षकों की नियुक्ति

४—(१) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को, जैसा वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये निरीक्षकों के रूप में नियुक्त कर सकती है ।

ऐक्ट संख्या ४५, १८६०

(२) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक इंडियन पीनेल कोड की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) समझा जायगा ।

निरीक्षकों के अधिकार

५—राज्य सरकार द्वारा तद्‌र्थ बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, निरीक्षक स्वयं या ऐसे सहायकों के साथ, जिन्हें वह आवश्यक समझे—

(क) किसी स्थान में, जो औद्योगिक आस्थान हो, या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह स्थान औद्योगिक आस्थान है, हर उचित समय पर प्रवेश और उसका निरीक्षण कर सकता है,

(ख) औद्योगिक अधिष्ठान के किसी भी रजिस्टर, अभिलेख और नोटिस का परीक्षण कर सकता है तथा ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकता है जिनका साक्ष्य लेना वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे, और

(ग) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हों ।

दंड

६—इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति, सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराये जाने पर अर्थ-दंड से दंड्य होगा जो प्रथम अपराध के लिये पांच सौ रुपये तक और प्रत्येक अनुवर्ती अपराध के लिये एक हजार रुपये तक हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष---अब इसके ऊपर कोई संशोधन नहीं है लिहाजा....

श्री गेंदासिंह---संशोधन हैं, श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष---वह अभी आपने भेजे हैं। वह पहले भेजने चाहिये थे यह २७ मार्च को उपस्थित हो चुका है।

श्री गेंदासिंह---श्रीमन्, असल में हम तो कार्यक्रम से तय करते हैं और कार्यक्रम के मिलने में कठिनाई जरूर हुई है। मुझे मालूम हुआ है कि कार्यक्रम डाक से भेजे गये हैं, लेकिन काफी सदस्य ऐसे हैं....

श्री अध्यक्ष---अगर किसी को आक्षेप नहीं होगा तो मैं उनको ले लूंगा। अगर आक्षेप होगा तो नहीं लूंगा। आपके दो संशोधनों में से पहला संशोधन इसके स्कोप को परिवर्धित कर सके, इस आशय के साथ प्रवर समिति में भेजने का है....

वह अस्वीकृत हो गया। इसलिये परिवर्धन की चीज तो आयेगी नहीं।

आपका एक संशोधन तो यह है कि कर्मचारी की व्याख्या बढ़ाना चाहते हैं। उसमें औद्योगिक अधिष्ठानों के अलावा और कर्मचारियों पर भी आप लगाना चाहते हैं। वह इसमें नहीं आता क्योंकि यह औद्योगिक अधिष्ठानों को बढ़ाता है।

श्री गेंदासिंह---यह उसमें आ जायगा। हमने समझ के दिया है। यह जो "च" का दूसरा भाग है, इसमें है---"अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे"।

श्री अध्यक्ष---वह तो आप घोषित करने का अधिकार दे रहे हैं। वह तो दूसरी बात है।

श्री गेंदासिंह---ऐसा अधिकार सरकार ले रही है कि वह किसी वर्ग के कर्मचारी को औद्योगिक अधिष्ठान में काम करने वाला घोषित कर सकती है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन औद्योगिक जरूर होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह---इसको जरा फिर गौर से देखा जाय। "अन्य वर्ग के किसी ऐसे अधिष्ठान से है"---अधिष्ठान चाहे औद्योगिक हो या न हो, किसी वर्ग का अधिष्ठान हो उसको सरकार औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करने का अधिकार ले रही है।

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने केवल अपने लिये राइट मांगा है। यह इस विधेयक के बाहर की चीज है। अभी औद्योगिक अधिष्ठान के सम्बन्ध में बिल आया है। उसके बाद इसको लागू करेंगे और इंडस्ट्रियल समझ कर लागू करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इसके अन्दर कृषि या सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसको इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर देंगे?

श्री गेंदासिंह---वह तो मत की बात है।

श्री अध्यक्ष---वह इंडस्ट्रियल को ही इंडस्ट्रियल डिक्लेयर करेंगे।

श्री गेंदासिंह---तो इसका स्कोप बड़ा घट जायगा। हमारा खयाल है कि सरकार जरूर यह समझती है और बहुत विस्तृत पावर ले रही है।

श्री अध्यक्ष---मैं उद्देश्य और कारण पढ़ देता हूं---"उक्त विधेयक पहले-पहल उन समस्त औद्योगिक अधिष्ठानों पर लागू होगा जो फैक्ट्रीज ऐक्ट के अधीन दी गयी "फैक्ट्री" शब्द की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को इस बात का अधिकार

[श्री अध्यक्ष]

है कि वह विधेयक के उपबन्ध का प्रसार अधिष्ठानों के ऐसे अन्य वर्ग पर करे जिसे राज्य सरकार एक विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करे।" फैक्ट्री ऐक्ट के अलावा इंडस्ट्रियल होना चाहिये।

श्री गेंदासिंह--यह बहुत स्पष्ट हो गया। पहले पहल यह विधेयक औद्योगिक अधिष्ठानों पर लागू होगा। उसके बाद सरकार को किसी वर्ग के अधिष्ठान को औद्योगिक अधिष्ठान घोषित करने का अधिकार होगा। इसने बहुत स्पष्ट कर दिया।

श्री अध्यक्ष--(उप-मंत्री से) आपका क्या इरादा है? इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट्स के अलावा भी लागू करने का इरादा है?

श्री वसी नकवी--इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट्स हैं या नहीं हैं, कभी यह डिस्प्यूट हो सकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--श्रीमन्, अब तो नयी व्यवस्था में कृषि को भी उद्योग कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--खैर, वह तो दूसरी बात है। लेकिन जो अर्थ साधारण तौर से लग सकता है उसमें यह नहीं आता है उग्रसेन जी का।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मेकैनाइज्ड फार्म को आप क्या कहेंगे?

श्री अध्यक्ष--वह दूसरी बात है। आप रूल्स में या जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं उसमें डेफीनीशन में उसको ले आयें, लेकिन एक बन्धन जो आप दो तीन चीजों का लगा देते हैं तो उसका मतलब यह होगा कि जितने और होंगे वह एक्सक्लूड हो जायेंगे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि और भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझ गया। वह इसमें नहीं आता। मैंने सब सुन लिया। मैं समझता हूं कि यह पहला जो संशोधन है यह तो इन आर्डर है नहीं। अब रहा यह कि २६ जनवरी के बाद और १५ अगस्त के पहले ८ अगस्त मान लिया जाय। एक तो यह है श्री गेंदा सिंह जी का, और दूसरा श्री भगवतीसिंह विशारद का है--राष्ट्रीय छुट्टी से तात्पर्य प्रत्येक वर्ष की २३, ३० जनवरी, १ मई, आचार्य नरेन्द्रदेव जन्म दिवस और तिलक जन्म दिवस से है। यह शब्द बढ़ा दिये जायं।

श्री भगवतीसिंह विशारद--पन्द्रह अगस्त और २ अक्तूबर मैं लिखना भूल गया।

श्री अध्यक्ष--भूल गये तो वह इस में आ जायगा। और फिर २ अक्तूबर तो है ही, इसलिये मैं अब इन दोनों के ऊपर राय लिये लेता हूं।

श्री राजनारायण--८ अगस्त है या ९ अगस्त?

श्री अध्यक्ष--८ अगस्त लिखा है। इनको उपस्थित करने में किसी को आपत्ति तो नहीं है।

(कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।)

श्री गेंदासिंह--यह जो मेरा पहला संशोधन है वही तो इस विधेयक का प्राण है और अगर उसे अवैध कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि जो उद्देश्य लिखा गया है....

श्री अध्यक्ष--वह मैंने अवैध डिक्लेयर कर दिया। अब उस पर बहस नहीं होगी।

श्री उग्रसेन—मैंने अपने भाषण में १० मई और २३ जनवरी भी राष्ट्रीय पर्व घोषित करने का सुझाव दिया था। अगर यह संशोधन भी आप ले लें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष—मैं हरएक पर राय लिये लेता हूं। प्रश्न यह है कि उपखंड (झ) की प्रथम पंक्ति में . . .

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, इस पर हुआ क्या? क्या यह सब लिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष—जी हां, लिये जायेंगे।

श्री उग्रसेन—तो फिर जाब्ते से प्रस्तावित करने की जरूरत नहीं है?

श्री अध्यक्ष—एक मामूली सी चीज यह रह गई कि कौन-कौन-सी छट्टी जुड़नी चाहिये। तो मैं सबको लिये लेता हूं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, इसके बाद खंड ७ को निकाल देने का भी प्रस्ताव है। खंड ७ को तो रहना ही नहीं चाहिये इसमें।

श्री अध्यक्ष—खंड ७ तो बाद में आता है। मैं इनके ऊपर पहले राय लिये लेता हूं। यह सब उपस्थित समझे जायेंगे। (श्री उग्रसेन से) वह २६ जनवरी और १५ अगस्त के बीच में आप १० मई और २३ जनबरी और चाहते हैं और १ मई और १० मई (श्री भगवती सिंह विशारद से) आप चाहते हैं। तो मैं एक-एक को लिये लेता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की पहली पंक्ति में शब्द "२६ जनवरी" के पहले शब्द "२३ जनवरी" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२०,

विपक्ष में—६१)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "१५ अगस्त" के पहले शब्द "३० जनवरी" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "१५ अगस्त" के पहले शब्द "१ मई" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की दूसरी पंक्ति में शब्द "१५ अगस्त" के पहले शब्द "१० मई" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की पहली पंक्ति में शब्द "२६ जनवरी" के बाद और "१५ अगस्त" के पहले "आचार्य नरेन्द्रदेव का जन्म दिवस" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर, निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१६,

विपक्ष में—६७)।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (झ) की पहली पंक्ति में शब्द "२६ जनवरी" के बाद और "१५ अगस्त" के पहले शब्द "२३ जुलाई" तिलक जी का जन्म दिवस, बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २, ३, ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

छूट

७—(१) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे औद्योगिक आस्थान पर प्रवृत्त न होगी जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया या कैन्टोनमेंट अधिकारी के अथवा ऐसे रेल प्रशासन के, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२०) में यथा पारिभाषित कोई रेलवे चलाता हो, नियंत्रणाधीन हो।

(२) यदि राज्य सरकार किन्हीं विशिष्ट कारणों से ऐसा करना उचित समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निदेश दे सकती है कि ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह निर्दिष्ट करे, अधिनियम के उपबन्ध औद्योगिक अधिष्ठानों के ऐसे वर्ग पर प्रवृत्त न होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली संख्या से अधिक कर्मचारी नियोजित नहीं करते।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, इस खंड ७ को मैं पढ़ दूं तो अच्छा हो। वह इस प्रकार है: "७—(१) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे औद्योगिक आस्थान पर प्रवृत्त न होगी जो केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया या कैन्टोनमेंट अधिकारी के अथवा ऐसे रेल प्रशासन के, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२०) में यथा पारिभाषित कोई रेलवे चलाता हो, नियंत्रणाधीन हो।"

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता था। माननीय गेंदासिंह जी पूरे खंड ७ को हटा देने की बात कह रहे हैं और मैं केवल दूसरे खंड को निकालना चाहता हूं। तो यदि मेरा संशोधन पहले ले लिया जाय तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—आपका संशोधन उपखंड (२) में है, उनका पहला और दूसरा दोनों उपखंडों को निकालने के बारे में है। तो आप भी बाद में भाषण कर लीजियेगा।

*श्री गेंदासिंह—उसका दूसरा उपखंड इस प्रकार है:—"(२) यदि राज्य सरकार किन्हीं विशिष्ट कारणों से ऐसा करना उचित समझे तो वह गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के निदेश दे सकती है कि ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी अवधि के लिये, जो वह निर्दिष्ट करे, अधिनियम के उपबन्ध औद्योगिक अधिष्ठानों के ऐसे वर्ग पर प्रवृत्त न होंगे जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली संख्या से अधिक कर्मचारी नियोजित नहीं करते।" मेरा कहना यह है कि इनको निकाल दिया जाय। मैं कोई कारण नहीं समझता हूं कि जो भी लोग रेलवे में काम कर रहे हों या रिजर्व बैंक आफ इंडिया में काम करते हों, उनको इन छट्टियों को मनाने का कोई अधिकार न हो। मुझे कोई औचित्य इस बात का नहीं दीख पड़ता कि उन औद्योगिक स्थानों में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा चल रहे हों यह तीनों पर्व की छुट्टी मनाने का अधिकार न रहे। इस बात का माननीय श्रम मंत्री जी की तरफ से उत्तर आना चाहिये कि आखिर क्यों वे ऐसा चाहते हैं। वे गवर्न तो इसी ऐक्ट के जरिये होंगे। फिर क्यों उन्हें यह अधिकार नहीं होगा? उन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है इससे?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस विधेयक का जो तीसरा खंड है उसका यह इन्टरप्रीटेशन है कि इस छुट्टी के बदले मजदूरी मिलेगी और काम करना होगा। तो जब मजदूरी छुट्टी क बदल काम करन की मिल जायगी तो फिर काम क डिस्लोकट करन का सवाल कहां रह जाता है। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती कि उनको इस छुट्टी से वंचित रखा जाय।

खंड ७ (२) में जो लिखा है उसका मतलब यह है कि जिनमें कम संख्या होगी उनमें भी यह अधिनियम लागू होगा। इसमें यह है कि जिनमें अधिक संख्या नहीं है उनको वे उससे बरी कर सकते हैं। तो इस विधेयक का यह स्कोप हो गया कि जो थोड़ स लोग हैं उन पर भी यह लागू होगा क्योंकि इस खंड क अनुसार अगर कोई विशिष्ट कारण हों तो सरकार बरी कर सकती है, मैं ऐसा समझता हूं। मैं जो बार-बार दुहाई देता हूं, वह इसीलिये देता हूं कि यह सरकार यह चाहती है कि खेतिहर मजदूरों का कोई लाभ न हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारियों का, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का तथा और जो कर्मचारी दूसरे उद्योगों में काम करते हैं उनका लाभ न हो। अब भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनको इसमें लिया जा सकता है, लेकिन सरकार उनको निकाल रही है। यह सरकार, जैसा कि भगवतीसिंह जी ने कहा, जो बाजारू कर्मचारी हैं, उनको भी इसका फायदा नहीं उठाने देती। जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं वे भी इससे बरी रहेंगे। तो यह क्यों किया जा रहा है? यह तो श्रम मंत्री जी समझाने का प्रयत्न क ें। वे यह भी बतायें कि भारत सरकार द्वारा उनको इन छुट्टियों को मनाने के लिये कोई गुंजायश कानून में की गयी है या नहीं? अगर उनको यह छुट्टियां दी गयी हैं तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूंगा और अगर वहां कोई गुंजायश नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार इस बात को मानेगी तो नहीं, लेकिन मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं इस सरकार के बुरे काम का विरोध अवश्य करूं।

अब श्रीमान्, मैं चाहूंगा कि मैं मंत्री जी को सुन लूं उसके बाद मुझे जवाब देने का मौका मिले। उसके बाद भी सातवां मेरा संशोधन है कि दोनों धाराओं को निकाल दिया जाय। उस समय मैं समझाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--वह तो आपका अमेंडमेंट खाली विरोध है जिसमें आप खंड को पूरे का पूरा निकाल देने की बात कहते हैं।

(श्री मोतीलाल अवस्थी से) यह आपका जो है इसे तो आप सब्स्टीट्यूट करना चाहते हैं, वह इसमें फिट-इन नहीं करता। यह हटाकर इसमें जमता नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी--दूसरे भाग को बिलकुल हटा करके जैसा कि हमने उसमें रखा है उसमें हम चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष--बात यह है कि कौन-कौन सी राष्ट्रीय छुट्टियां होंगी वह तो पहले ही निश्चय हो गया, अब यह एप्लीकेबिल नहीं होगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मेरी बात सुन ली जाय। अब तक कुछ तिथियां ऐसी हैं जो स्पष्ट तिथियां थीं, उनको अस्वीकृत किया गया है, लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि कोई महत्वपूर्ण छुट्टी दिखलाई पड़े तो....

श्री अध्यक्ष--लेकिन सवाल यह है कि एग्जेम्प्शन वाला जो क्लाज है, छूट वाला, उसमें उन्होंने कहा कि इसको एप्लीकेबिल नहीं करते और दूसरी बात उन्होंने नम्बर २ में यह बतलाई कि यदि किन्हीं कारणों से गवर्नमेंट यह समझे कि कुछ अवधि के लिये अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं हो सकेंगे तो उसके लिये उन्होंने छूट दे दी। अब उसके एवज में आप कहते हैं कि छुट्टियां जोड़ दें तो वह संशोधन यहां चस्पां नहीं होता। यह रेलेवेण्ट नहीं है। आप रेलेवेन्ट कैसे कहते हैं?

श्री मोतीलाल अवस्थी---खंड दो जिस रूप में है इस रूप में तो हम चाहते नहीं हैं, लेकिन हमारा नया संशोधन लाने का मौका ७ (२) पर ही है। अभी तक तो राष्ट्रीय छुट्टियों का स्पष्टीकरण किया गया कि फलां-फलां तारीख को रखी जायं, लेकिन इनके अतिरिक्त, यदि सरकार को कोई तिथि उचित दिखाई पड़े तो अधिकार सरकार को देना चाहिये नहीं तो वह बंधे ही रहेंगे और तीन दिन के आगे बढ़ा नहीं पायेंगे। यह तो अधिकार बढ़ाने की बात है....

श्री अध्यक्ष---मैं इसको रेलेवेन्ट नहीं समझता हूं, यह असंगत है।

श्री उग्रसेन---श्रीमन्, मैं निवेदन कर दूं कि सरकार का अधिकार बढ़ाने की बात है तो एक नया खंड लाकर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---जब सब बहस समाप्त हो चुकी तो इस तरह से नया खण्ड नहीं लाया जा सकता। यह फिट-इन नहीं हो सकता।

श्री प्रतापसिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ७ के सिलसिलेमें जो माननीय गेंदासिंह जी ने कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल होती है तो प्रदेशीय सरकार की सारी ताकत उसको खत्म करने के लिये लग जाती है, लेकिन जब उनको आराम पहुंचाने की बात होती है तो वह केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये नहीं की जाती। तो यह एक्सेप्शन केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये क्यों लाया जा रहा है? मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय छुट्टियां, जो प्रदेशीय कर्मचारियों को आप देना चाहते हैं वह तमाम औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मचारियों को मिलनी चाहिये चाहे वह केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत काम करते हों या प्रदेशीय सरकार के। क्योंकि यह राष्ट्रीय छुट्टियों का प्रश्न है, सारे राष्ट्र का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---अब आप कल जारी रखेंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य के बारे में सूचना

श्री अध्यक्ष---अभी माननीय धर्मसिंह जी ने मुझे सूचना दी है कि हैजे के संबंध में जो वक्तव्य देने के लिये मुख्य मंत्री जी ने परसों के लिये कहा था तो दो तारीख को तो वह दे नहीं सकेंगे क्योंकि प्रिन्ट नहीं हो पायेगा और तीन तारीख को छुट्टी है। इसलिये वह चार तारीख को दे देंगे।

श्री उग्रसेन---चार तारीख तक तो बहुत देर हो जायगी। सारे स्टेटमेंट हफ्तेवारी सरकार के पास आ जाते हैं। दो को ही दे दें। छपेगा नहीं, केवल इसी वजह से इसको नहीं टाला जा सकता।

श्री अध्यक्ष---वह परसों तैयार ही नहीं हो पायेगा, इसलिये चार तारीख को देंगे।

भावी कार्य क्रम के विषय में जानकारी की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं जानना चाहता था कि कल का प्रोग्राम क्या होगा?

श्री अध्यक्ष---इस विधेयक के बाद दूसरा विधेयक फेमीन रिलीफ का है, वह लिया जायगा। फिर चार बजे से जो आज एडजर्नमेंट के बारे में कल के दिन के लिये इजाजत दे दी गई उसके संबंध में ४ से ६ बजे तक बहस होगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
३१ जुलाई, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

नाम समिति	रुपया जो जनवरी १९६१ तक बकाया था	वर्ष बकाया
	रु०	
तालबेहट ताजग्राम बैंक सहकारी समिति	७५.००	१९५६–५७
,, ,,	८१.००	१९५७–५८
,, ,,	४,५०७.५५	१९५९–६०
तालबेहट हरिजन नं० १	९७९.२२	१९५५–५६
तालबेहट हरिजन नं० २	२९४.३०	१९५८–५९
तालबेहट खास समिति	४९७.९९	१९५५–५६
तालबेहट चौवियाना	५६१.६२	१९५७–५८
,,	६०६.५०	१९५८–५९
कुल योग ..	७,६०३.१८	

अमर उजाला

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७ पर)

समिति का नाम	नाम मेम्बर	धनराशि जो जुर्माना की गयी
		रु०
ताजग्राम बैंक समिति	१—श्री केशव दास भट्ट	५०.००
	२— ,, हरदेव सिंह	२०.००
	३— ,, गफूर बख्श	१५.००
	४— ,, जवाहर लाल गोस्वामी	४०.००
	५— ,, मनोहर लाल गोस्वामी	४०.००
	६— ,, नजीर खां	४०.००
	७— ,, हाफिज दायम खां	४०.००
	८— ,, अजीज अहमद खां	३७.००
	९— ,, गोविन्द दास	३०.००
	योग ..	३१२.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

जालौन जिले की साधन सहकारी समितियों की सूची

१--मिटारा
२--सिकरी राजा
३--छिरिया सलीमपुर
४--लोना
५--कैथ
६--ढोनी खास
७--कुंअर पुरा
८--रूरा मल्लू
९--सहजातपुरा
१०--खर्रा
११--जननेवा
१२--खारंगपुर
१३--कुठौवा बुजुर्ग
१४--सींगपुरा
१५--हीरापुर
१६--सहाव
१७--हरदोई राजा
१८--भड़गुवा
१९--ऊद
२०--रिनिया
२१--दना
२२--नाहली
२३--सिरसा क्लार
२४--तरसौल
२५--हुदरूख
२६--कँपुवां
२७--मिहेना
२८--वस्तुपुर
२९--पतराहीं
३०--दौन
३१--मड़ोरा
३२--विचौली
३३--डिकोली
३४--चितौरी चितौरा
३५--विजदुवा
३६--चंदावली
३७--गुपलापुर
३८--टिकरी
३९--सिंगटोली
४०--सिहारी माधोगढ़ (सिहारी माधोगढ़)
४१--नरोल
४२--ईटां
४३--अजीतापुर
४४--जमरेही अव्वल
४५--अकबुपुरा
४६--कुरेपुरा कनार
४७--नौरेजपुर
४८--हिम्मतपुर
४९--अटागांव
५०--बहादुरपुर
५१--आलमपुर अहीर
५२--लोहई
५३--कुरोती
५४--खनुवां
५५--जायवा
५६--सरावन
५७--चाकी
५८--भिटौरा
५९--बोहरा
६०--हरौली
६१--पचोखरा
६२--मजीठ
६३--ऊंचा
६४--हरिशंकरपुर
६५--कुरसेंडा
६६--रूदपुरा
६७--कैलोर
६८--भदेख
६९--गोरा चिरैया
७०--मई
७१--नेनापुर
७२--हजीपुर
७३--औरेली
७४--कुरावली
७५--विरियां माधौगढ़
७६--रामपुरा किरवहा नं० १
७७--धमना
७८--शेखपुर अहीर
७९--खेरा सल्लिमपुर
८०--तांबा

८१—गोहई
८२—बरी का पुरा
८३—गांधी नगर गधेला
८४—ईको अहीर
८५—बावली
८६—गोर भूषका
८७—दादनपुरा
८८—अमरेही झानी
८९—हुसेपुरा
९०—निनावली
९१—उदौतपुरा
९२—वहराई
९३—भानपुरा
९४—कस्बा
९५—राठौरनपुर
९६—नावर
९७—धूता
९८—कासिमपुर
९९—दौलतपुर
१००—देवनपुरवा
१०१—तिरावली
१०२—नकेलपुरा
१०३—मदारीपुर नं० १
१०४—बिजवाहा
१०५—जखा
१०६—पड़कुला
१०७—मदनपुर
१०८—छौना
१०९—गोहन
११०—अलाईपुर
१११—उरगांव

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १५ पर)

जिला रायबरेली की प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हुये पंचायत घरों की सूची

क्रम-संख्या	नाम ग्राम सभा
	(१) तहसील सलोन
१	मोहन गंज
२	परसदेपुर
३	बेहटा मुर्तजा
४	बघेल
५	ओदारी
६	मुबारकपुर मुखतिया
७	कन्दरावा
८	ऊंचाहार
९	गोकना
१०	रसूलपुर
११	उमरी
१२	पिछवरिया
१३	कपूरपुर
१४	इटौरा
१५	मोहना
१६	सलोन
१७	सेमबरसा
१८	अटावा
१९	डेखौली
२०	कुंवर मऊ
२१	रमई
२२	छीछा
२३	खेरहनी पहाड़गढ़
२४	सहरी
२५	अतरथरिया
२६	नुरोद्दीनपुर
२७	मेरमपुर
२८	गोपीलपुर
२९	मुर्तजानगर
३०	आशिकाबाद
३१	गढ़ी इस्लामनगर
३२	अलीनगर असकरनपुर
३३	बहुतई
३४	मलिया
३५	तदुवा
३६	खरौली
३७	निगोहा
३८	मटका
३९	रघुहारा
	(२) तहसील रायबरेली
१	बालापुर
२	खुरहटी
३	दोहरी
४	जगदीशपुर
५	मधपुरी
६	दरियापुर
७	भांव
८	रुस्तमपुर
९	बकवारा
१०	मंचितपुर
११	घुघुमऊ
१२	हरदासपुर
१३	आदमपुर
१४	कोडरम बुजुर्ग
१५	उफरामऊ
१६	जोहवाशर्की
१७	गुनावरकमगरपुर
१८	थुलवासा
१९	डिघौरा सौमसऊ
२०	पच्छिमगांव
२१	कोसाखास
२२	कठवारा
२३	शोरा
२४	गोहन्ना
२५	अड़ावर
२६	किशुनपुर राय
२७	अटौराबुजुर्ग
२८	सुल्तानपुर खेड़ा
२९	सन्दीनागिन
३०	सन्दीराम

क्रम-सं०	नाम ग्राम सभा
	(३) तहसील डलमऊ
१	बेहीखोर
२	अम्बारा पश्चिम
३	जगतपुर बरदरा
४	खजुरी
५	हमीरपुर मऊ
६	चरोहार
७	लखनगांव
८	शकतपुर
९	सूरजपुर
१०	दौलनपुर
११	बकुलिहां
१२	भीतरगांव
१३	गौरहरूपरई
१४	बहाई
१५	गेंगासौं
१६	जहांगीराबाद
१७	हजरतपुर
१८	कतानपुर बैती
१९	सुट्ठाहरदौं
२०	चिलौला
२१	खजूरगांव
२२	तौंधिकपुर
२३	पूरबगांव
२४	घूता
२५	मधुकरपुर
२६	हथनाशा
२७	गोविन्दपुर
२८	बैती
२९	मल्केगांव
३०	रायपुर
३१	रणगांव
३२	ढ़ाढपुर
३३	खीरो
३४	पखरोली

क्रम-सं०	नाम ग्राम सभा
	(४) तहसील महराजगंज
१	फूला
२	कुकहामपुर
३	सिरसा
४	गंगापुर
५	दादूपुर
६	पहराबा
७	नरायनपुर
८	रसूलपुर
९	देहली
१०	कन्डौसी
११	निरथुवा
१२	दहगवां
१३	अछई
१४	गूढ़ा
१५	मत्तेपुर
१६	मन्हौना
१७	चन्दापुर
१८	अकबरपुर फरसी
१९	फतेपुर
२०	अहुरी
२१	जमुरवा
२२	खरहनी
२३	सम्बसी
२४	रमई
२५	भोखापुर
२६	अरियांवा
२७	इन्हौना
२८	भगीरथपुर
२९	आजादपुर
३०	कठौरा
३१	रजनपुर
३२	जैहटाउसरहा
३३	सेरसा
३४	इचौली
३५	कसरांवा
३६	नीमटीकर
३७	थुलेडी ।

जिला रायबरेली की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हुये पंचायत घरों की सूची

क्रमांक	नाम ग्राम सभा
(१) तहसील सलोंन	
१	मबई अालमपुर
२	गाढ़ा
३	अहमनी
४	सरायमहेशा
५	रजियापुर
६	खोजनपुर
७	हाजीपुर
८	परइया नमक्सार
९	अरखा
१०	नसीराबाद
११	रामसांडा
१२	गेलौली
१३	संडहा
१४	छतोह
१५	पूरेराई
१६	जगतपुर
१७	सरायमानिक
१८	सरेना
१९	हमीदपुर बड़ागांव
२०	ममुनी
२१	धरई
२२	पारी
२३	पट्टी रहस कैथवल
२४	किशुनदास पुर
२५	उमरन
२५	बरबलिया
२७	सिरसिरा
२८	भटनोसा
२९	खेतोधन
३०	बगहा
३१	मऊ
(२) तहसील रायबरेली	
१	गढ़ी मुतवल्ली
२	राही
३	बेला गुसूसी
४	सलीमपुर सीकी
५	मोहम्मदपुर कुचरिया
६	खामी सड़वा
७	अमांवा
८	सिंधौना
९	अहमदपुर नजूल
१०	इसौती
११	घूरा डीह
१२	गौदवारा
१३	सेमरा
१४	बघेल
१५	उमरा
१६	सुलखियापुर
१७	पेड़ेपुर
१८	बावन बुजुर्ग
१९	पहाड़पुर
२०	मझगवां हरदोई
२१	अधौरा
२२	नन्दाखेरा
२३	दरीबा
२४	जगजीवनपुर अमरिया
२५	संताव
२६	कोरिहर
२७	हाजीपुर
२८	देदौर
२९	चन्दई रघुनाथपुर
३०	बेलाभेला
३१	रायपुर महेरी
३२	भदोखर
३३	बेला खारा
३४	रतनीपुर
३५	पेन्डारी कलां
३६	सिरसिरा
(३) तहसील डलमऊ	
१	सेमरपहा
२	बराराबुजुर्ग
३	जलालपुर धई
४	किशनदासपुर

क्रमांक	नाम ग्राम सभा
५	मखदूमपुर
६	संडवारा
७	तरखा
८	मीरापुर
९	तदौली लालगंज
१०	गोविन्दपुर बलौली
११	चिलौली
१२	डलमऊ
१३	जगतपुर बिचकौरा
१४	बन्नामऊ
१५	हरदी
१६	नैहास्था
१७	रमुवापर दवाई
१८	सेमरी
१९	उत्तरा गौरी
२०	भीरा गोविन्दपुर
२१	बैरीहार
२२	रसूलपुर घरांवा
२३	बासी सिहायक
२४	सलीमपुर
२५	सगुनी
२६	गौरा इदसपरी
२७	थुलरई
२८	अलाबलपुर
२९	धरमदासपुर
३०	जोगपट्टी दमोदर
३१	सेमरी
३२	पखरौली
३३	सोन्डासी
३४	बरहा
३५	उमामाद
३६	एकौनी
३७	मेरुई
३८	ऐषी
३९	एकसना
४०	पहुरी
४१	मीठापुर बढ़इया
४२	दुकनहन
४३	अजीतपुर

(४) तहसील—महराजगंज

क्रमांक	नाम ग्रांम सभा
१	शंकरगंज
२	कसरांवा
३	राजामऊ
४	बैंती
५	उमरापुर
६	रामपुर सुदौली
७	सैदपुर समौधा
८	इसिया
९	सेमरौता
१०	कूरा
११	चितरा बुजुर्ग
१२	पाकरगांव
१३	तिलोई
१४	अगौना
१५	ढोढनपुर
१६	बेरारा
१७	बेलवाहसनपुर
१८	रानीखेड़ा
१९	अत्रेहेटा
२०	हरदोई
२१	शाहमऊ
२२	बछरावां
२३	रीवां
२५	कुबना
२५	कुम्भी
२६	हसनपुर
२७	सीबन
२८	बरहवा
२९	भवानीगढ़
३०	कन्नवा
३१	बन्नावा ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २० पर)

मिर्जापुर नगरपालिका के अवक्रमण की अवधि में हुये सुधारों की सूची

१—विन्ध्याचल के (overhead water storage tank) ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक की मरम्मत करके फरवरी, सन् १९६१ में तैयार किया गया ।

२—मिर्जापुर शहर के ओवरहेड टैंक को शीघ्र ही तैयार करके अभाव के क्षेत्रों में पानी मार्च, सन् १९६१ में पहुंचाया गया।

३—पुराना टांडा डाम, जो २२ अक्टूबर, १९५८ को टूट गया था, की मरम्मत की गई ।

४—शहरमें सप्लाई किये जाने वाले जल की स्वच्छता के सुधार के लिये टाउन हाल और लंका रिजवॉयर में क्लोरोनोम्स (chloronomes) लगाये गये ।

५—टांडा डाम के टूट जाने के बाद नहर विभाग ने जो पानी शहर को सप्लाई किया था, उसके बकाया को, जो पिछले बोर्ड ने अदा नहीं किया था, उसे अदा किया ।

६—रिवाइज्ड ड्राफ्ट वाटर टैक्स तथा वाटर सप्लाई रूल्स को बनाया गया ।

७—विन्ध्याचल ड्रेनेज स्कीम, जो धनाभाव के कारण अधूरी पड़ी थी, के काम को शुरू किया गया ।

८—पुलिस लाइन और देवपुरवा में बिजली के विस्तार के काम को शुरू किया गया और जहां बिजली की रोशनी नहीं थी वहां की सड़कों पर मिट्टी के तेल के लैम्प लगाये गये ।

९—काफी बड़े पैमाने पर पैखानों, पेशाबघरों, और पानी के बम्बों की मरम्मत की गई ।

१०—लड़कियों के प्राइमरी शिक्षा के विस्तार की योजना बनाई गई ।

११—शहर की सड़कों की मरम्मत की व्यवस्था की गई । जबलपुर रोड तथा बाजीराव कटरा रोड में सुधार-कार्य किये गये ।

१२—बोर्ड की आय में बृद्धि की गई ।

१३—कुआर और चैत में विन्ध्याचल के नौरात्र मेले में बीमारियों के फैलने को रोकने में काफी सुधार किया गया ।

१४—प्लेयरस बाई-लाज स्वीकृत कराये गये ।

१५—साइकिल टैक्स को, जिसे पुराने बोर्ड ने घटाकर १ रु० कर दिया था, फिर २ रु० कर दिया गया। जिससे बोर्ड की आमदनी इस मद में दुगुनी हो गई ।

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३३ पर)

यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड (संशोधन) विधेयक, १९६१

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ को संशोधित करने के लिये

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० फेमिन रिलीफ फन्ड ऐक्ट, १९३६

विधेयक

एतत्पश्चात् उल्लिखित प्रयोजनों के लिये यू० पी० फेमिन रिलीफ फंड ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त शीर्षनाम

१— यह अधिनियम यू० पी० फेमिन रिलीफ फन्ड (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ की धारा ७ का संशोधन।

२—यू० पी० फेमिन रिलीफ फन्ड ऐक्ट, १९३६ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा ३ में—

(१) खन्ड (ii) के पश्चात नये खन्ड (ii-*a*) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :–

"(ii-a) a sum of fifty lakhs of rupees to be assigned to the Fund every year from the Consolidated Fund of the State."

और

(२) खन्ड (iii) में शब्द "under sub-section (2) of section 7 or otherwise" निकाल दिये जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, की धारा ७ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (२) तथा (३) निकाल दी जायं ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९३६ में नई धारा ७–ए– का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ७ के पश्चात् नई धारा ७–ए के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"7-A. The amount assigned to the Fund every year under clauses (ii-a) and (iii) of section 3 shall be an expenditure charged on the Consolidated Fund of the State."

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० फेमिन रिलीफ फण्ड अपने वर्तमान रूप में यू० पी० फेमिन रिलीफ फन्ड ऐक्ट, १९३६ द्वारा स्थापित किया गया था। राज्य राजस्व में से फंड में कोई नियमित वार्षिक धनराशि अभिहस्तांकित (assigned) करने की ऐक्ट में व्यवस्था नहीं है। ऐक्ट के अधीन, राज्य राजस्व से फण्ड में धनराशि के अभिहस्तांकन का विनियमन उसके परिनियत न्यूनतम शेष की धनराशि (statutory minimum balance) जिसके लिये ५५ लाख रुपया नियत है, को दृष्टि में रखते हुये किया जाता है। जैसा कि ऐक्ट की धारा ७ में व्यवस्थित है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में फंड के लेखे का हिसाब-किताब किया जाता है। यदि फण्ड की शेष धनराशि ५५ लाख रुपये से कम होती है, तो उस कमी को अगले वर्ष में राज्य राजस्व में से अभिहस्तांकन करके पूरा किया जाता है; किन्तु यदि कमी १६ लाख रुपये से अधिक हो तो इसकी पूर्ति वार्षिक किस्तों में की जा सकती है। ऐसी प्रत्येक किस्त की धनराशि अन्तिम किस्त को छोड़कर १६ लाख रुपये से कम न होगी।

वित्तीय आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पैराग्राफ १८४ में यह सिफारिश की है कि राज्य सरकार को इस फण्ड में जमा करने के लिये प्रत्येक वर्ष ५० लाख रुपया अलग रखना चाहिये जिससे कि राज्य सरकार अपने विकास कार्यक्रम को गम्भीर रूप से अस्त-व्यस्त किये बिना प्राकृतिक आपदाओं के परिमाणस्वरूप उत्पन्न असामान्य परिस्थितियों में समस्त व्यय को पूरा कर सके। वित्तीय आयोग की उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से यू० पी० फेमिन रिलीफ ऐक्ट, १९३६ को संशोधित करना आवश्यक हो गया है। अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हरगोविन्द सिंह,
वित्त मंत्री।

यू० पी० फेमिन रिलीफ फण्ड ऐक्ट, १९३६ में संशोधित की जाने वाली धारा ३ तथा ७ का उद्धरण विवरण ।

Establishment of the U. P. Famine Relief Fund.

3. As soon as may be, the State Government shall establish in and for Uttar Pradesh a fund called the Uttar Pradesh Famine Relief Fund. The Fund shall consist of—

(i) the securities of the Government of India mentioned in section 4 ;

(ii) the interest which may from time to time accrue on such securities ;

(iii) such other sums as the State Government may from time to time contribute to the Fund under sub-section (2) of section 7 or otherwise ; and

(iv) the interest which may from time to time accrue on the securities of the Government of India in which the sums to the credit of the Fund may be invested or re-invested under section 6.

Accounts of the Fund and making up the deficiency in the Fund.

7. (1) The accounts of the Fund shall be made up at the end of each financial year, the securities included in the fund being valued at their market value on the last day of the said year.

(2) If the accounts so made up in respect of any year show that the balance in the Fund falls short of fifty-five lakhs of rupees, the deficiency shall, as soon as may be in the next financial year, be made up from the revenues of Uttar Pradesh :

Provided that if the deficiency exceeds sixteen lakhs of rupees, it may be made up in annual instalments, the amount of each instalment except the last being not less than sixteen lakhs of rupees :

Provided further that it shall be necessary to make up in the next financial year any such deficiency, if the balance in the Fund has, at any time during such year, reached the sum of Rs.55 lakhs.

(3) It is hereby declared that any sums required for the purposes of sub-section (2) shall be charged upon the Consolidated Fund of the State.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४४ एल० ए०—१९६१—८४५ ।